PDF Compressor Free Version

इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
शिक्षा विद्यापीठ

बीईएस-122
समकालीन भारत एवं शिक्षा

खण्ड
1
भारतीय सामाजिक संदर्भ एवं शिक्षा

इकाई 1
भारतीय समाज की प्रकृति 7

इकाई 2
भारतीय समाज की अपेक्षाएँ 24

इकाई 3
शिक्षा एवं नीतियाँ 40

इकाई 4
भारतीय समाज एवं शिक्षा 63

PDF Compressor Free Version

विशेषज्ञ समिति

प्रो. आई.के. बंसल (अध्यक्ष)
पूर्व अध्यक्ष, प्रारंभिक शिक्षा विभाग,
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

प्रो. श्रीधर वशिष्ठ, पूर्व कुलपति
लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ,नई दिल्ली

प्रो. परवीन सिंक्लेयर
पूर्व निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी.
विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. ऐजाज़ मसीह
शिक्षा संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया,नई दिल्ली

प्रो. प्रत्युष कुमार मंडल
डी.ई.एस.एस.एच., एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

प्रो. अंजु सहगल गुप्ता
मानविकी विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. एन.के.दाश (निदेशक)
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. एम.सी. शर्मा (कार्यक्रम समन्वयक, बी.एड.)
शिक्षा विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. गौरव सिंह (कार्यक्रम सह–समन्वयक, बी.एड.)
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

विशिष्ट आमंत्रित सदस्य (शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू)

प्रो. डी. वेंकटेश्वरलू
प्रो. अमिताभ मिश्रा
सुश्री पूनम भूषण
डॉ. आइश्ना कन्नाड़ी
डॉ. एम.वी.लक्ष्मी रेड्डी
डॉ. भारती डोगरा
डॉ. वन्दना सिंह
डॉ. एलिजाबेथ कुरूविला
डॉ. निराधार डे
डॉ. अंजुली सुहाने

पाठ्यक्रम समन्वयक : प्रो. एम. सी. शर्मा, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू

पाठ्यक्रम सह–समन्वयक : डॉ. निराधार डे, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू

खंड निर्माण दल

पाठ्यक्रम योगदान
डॉ. प्रवीण शर्मा (इकाई 1 एवं 2)
हिन्दू कॉलेज ऑफ एजुकेशन,सोनीपत

डॉ. निराधार डे (इकाई 3)
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

सुश्री अभिलाषा गौतम (इकाई 4)
शिक्षा विभाग, दिल्ली इंस्टीट्यूट
ऑफ रूरल डेवेलपमेंट, दिल्ली

विषयवस्तु संपादन
प्रो. राज रानी
शिक्षक शिक्षा विभाग,
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

प्रारूप संपादन
डॉ. निराधार डे
शिक्षा विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

अनुवादक दल

अनुवादक
श्री चन्द्रशेखर
रिसर्च असिस्टेन्ट
(आई.सी.एस.एस.आर. प्रोजेक्ट)
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू,
नई दिल्ली

हिन्दी पुनरीक्षण
प्रो. आर.पी. पाठक
अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता
शिक्षा विभाग, श्री लाल
बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय
संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली

प्रूफ रीडिंग
डॉ. निराधार डे
शिक्षा विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

श्री चन्द्रशेखर
रिसर्च असिस्टेन्ट
(आई.सी.एस.एस.आर. प्रोजेक्ट),
शिक्षा विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

सामग्री उत्पादन

प्रो. एन. के. दाश
निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

श्री.एस.एस. वेंकटाचलम
सहायक कुलसचिव (प्रकाशन)
इग्नू, नई दिल्ली

जुलाई, 2018 (संशोधित)

©इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय; 2018

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110 068 से प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेजर टाइप सेटिंग : राजश्री कम्प्यूटर्स, वी–166ए, भगवती विहार, उत्तम नगर, (नजदीक द्वारका), नई दिल्ली–59

मुद्रक :

PDF Compressor Free Version

बीईएस–122 समकालीन भारत एवं शिक्षा

खंड 1	**भारतीय सामाजिक संदर्भ एवं शिक्षा**
इकाई 1	भारतीय समाज की प्रकृति
इकाई 2	भारतीय समाज की अपेक्षाएँ
इकाई 3	शिक्षा एवं नीतियाँ
इकाई 4	भारतीय समाज एवं शिक्षा
खंड 2	**भारत में शिक्षा हेतु नीतिगत ढाँचा**
इकाई 5	स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा का विकास
इकाई 6	विद्यालयी शिक्षा का विकास – 1947 से 1964
इकाई 7	विद्यालयी शिक्षा का विकास – 1964 से 1985
इकाई 8	विद्यालयी शिक्षा का विकास – 1986 एवं तत्पश्चात्
खंड 3	**शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य**
इकाई 9	शिक्षा की अवधारणा तथा प्रकृति
इकाई 10	शिक्षा के दार्शनिक आधार
इकाई 11	शिक्षा के लोकतांत्रिक सिद्धान्त
इकाई 12	शिक्षा के अभिकरण
खंड 4	**माध्यमिक शिक्षा के मुद्दे एवं सरोकार**
इकाई 13	माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण
इकाई 14	शिक्षा में समता एवं समानता
इकाई 15	माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यचर्या के मुद्दे तथा गुणवत्ता के सरोकार
इकाई 16	माध्यमिक शिक्षकों का व्यावसायिक विकास

PDF Compressor Free Version

बीईएस-122 समकालीन भारत एवं शिक्षा

पाठ्यक्रम की प्रस्तावना

शिक्षकों के लिए शिक्षक–शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत समकालीन भारत और शिक्षा का अध्ययन एक अनिवार्य पक्ष है। समकालीन भारत और शिक्षा के साथ इसके सम्बन्ध को समझने के लिए भारतीय समाज की प्रकृति, इसके सांस्कृतिक बहुलतावाद, भाषा, जनसंख्या तथा भारतवासियों के वैविध्य को समझना आवश्यक है। अनेकता में एकता के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह इसलिए कि हम विविधता को मजबूती के रूप में अनुभव और विश्वास करते हैं, कमजोरी के रूप में नहीं। भारत स्वाधीनता से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का राष्ट्रीय प्रशासन के लिए अभ्यास कर रहा है। वास्तव में भारत विश्व का वृहद लोकतंत्र है। भारतीय सामाजिक संरचना इसके संवैधानिक सिद्धान्तों एवं मूल्यों पर आधारित है जो मूलभूत राजनीतिक सिद्धान्तों, सरकारी संस्थानों की संरचना, मार्ग, शक्ति एवं कर्त्तव्यों की स्थापना और मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों तथा नागरिकों के कर्त्तव्यों की स्थापना को परिभाषित करते हुए संरचना प्रस्तुत करता है।

भारत में शिक्षा का अभ्यास इसके संपन्न लोकतांत्रिक मूल्यों का परिचायक है। विद्यालयी शिक्षा की सार्वभौमिक, प्रकृति, समता तथा समानता के लिए शिक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना भारत में एक वास्तविक चुनौती है। वैश्वीकरण का प्रभाव किसी एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है बल्कि भारतीय शिक्षा की विरासत पर भी इसका विस्तृत प्रभाव पड़ा है। हाल के दिनों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act, 2009) तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) का लागू होना राष्ट्र के संवैधानिक कर्त्तव्य के क्रियान्वयन का उदाहरण है।

उपर्युक्त सभी की पूर्ति करते हुए, प्रस्तुत पाठ्यक्रम भारतीय विद्यालयी शिक्षा के ऐतिहासिक, सामाजिक–राजनीतिक, दार्शनिक तथा तथ्य आधारित पथ पर प्रकाश डालता है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को भारतीय समाज और शिक्षा अध्ययन में संलग्न, सामाजिक विश्लेषण के अवधारणात्मक उपकरणों के अधिग्रहण तथा विविधतापूर्ण समुदायों, विद्यार्थियों तथा विद्यालयों के साथ व्यावहारिक अनुभव के लिए सक्षम करेगा। पाठ्यक्रम का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु है – विविधता, असमानता तथा समाज में सीमांतता अथवा उपेक्षित (हाशियाकृत) तथा शिक्षा का आशय, भारत में सामान्यतः तथा विशेषतः माध्यमिक शिक्षा के लिए नीतिगत ढाँचा।

पाठ्यक्रम चार खंडों में व्यवस्थित है। प्रथम खंड भारतीय सामाजिक संदर्भ तथा शिक्षा के मुद्दों के विषय में है जो आगे भारतीय समाज की प्रकृति, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा के नीतिगत ढाँचा की महत्त्वाकांक्षा तथा कार्य की ओर इंगित करता है। द्वितीय खंड भारत में शैक्षिक विकास का वर्णन करता है। विशेषतः, यह स्वाधीनता से पूर्व तथा समकालीन भारत में शिक्षा के विकास पर प्रकाश डालता है। तीसरा खंड, शिक्षा के दार्शनिक तथा राजनीतिक अवधारणाओं का वर्णन करता है जो भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक जीवन के अभिन्न अंग हैं। चौथा खंड, माध्यमिक शिक्षा में समता और समानता, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुद्दे तथा माध्यमिक शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर स्पष्टीकरण तथा विमर्श करता है।

पाठ्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- भारतीय समाज के सामाजिक यथार्थों तथा इसका शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना;

PDF Compressor Free Version

- भारतीय समाज में विविधता, असमानता और सीमांतता या उपेक्षित (हाशियाकरण) और इसके शैक्षिक निहितार्थ के विषय में जानकारी प्राप्त करना;
- शैक्षिक संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक रूपांतरण की अवधारणा को समझना;
- शिक्षा की अवधारणा एवं लक्ष्यों को समझना;
- भारतीय संविधान में स्थापित विभिन्न मूल्यों की समझ तथा इसका शिक्षा पर प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करना;
- समकालीन शिक्षा में मुद्दों की पहचान करना तथा इसके शैक्षिक आशय को समझना;
- भारत में सार्वजनिक शिक्षा के ऐतिहासिक विकास तथा नीतिगत ढाँचे को समझना; तथा
- भारत में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में वर्तमान विकास से परिचय स्थापित करना।

PDF Compressor Free Version

खंड 1 भारतीय सामाजिक संदर्भ एवं शिक्षा

खंड की प्रस्तावना

भारत जैसे बहुलतावादी राष्ट्र में सभी नागरिकों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय समाज की प्रकृति, इसका सामाजिक संदर्भ तथा ढाँचागत नीति–निर्माण के मुख्य क्षेत्रों को समझना आवश्यक है। विद्यार्थी शिक्षकों को सामाजिक विविधता की अवधारणा तथा यह हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करता है तथा सार्वभौमिक शिक्षा की प्राप्ति की वचनबद्धता के लिए कैसे कार्य करता है इसे आत्मसात करना आवश्यक है। सामाजिक जीवन में विभिन्न स्तर पर व्यक्तिगत, क्षेत्रीय, भाषायिक, धार्मिक, जातिगत, जनजातीय आदि विविधताएँ शिक्षा की विभिन्न माँगों को निर्धारित करती है। शिक्षा में बच्चों में विविधता के सम्मान हेतु उत्तरदायित्व का विकास तथा उनमें सामूहिक जीवन के लिए ढाँचा स्थापित करना तथा तनाव का शांति एवं न्यायपूर्वक समाधान करने की भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत खंड, **"भारतीय सामाजिक संदर्भ एवं शिक्षा"** का निर्माण विशेषतः अग्रलिखित मुद्दों के समाधान के लिए किया गया है जैसे : भारतीय समाज की विविधतापूर्ण प्रकृति; इसके लक्ष्य, शिक्षा हेतु सार्वजनिक नीतियों की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता; तथा शिक्षा के लिए एक ढाँचे की स्थापना जो राष्ट्र की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत खंड चार इकाइयों में निर्मित है। पहली इकाई, **"भारतीय समाज की प्रकृति"**, भारतीय समाज की जाति, वर्ग, धर्म, परिवार, समुदाय तथा बहुलतावाद पर विस्तार रूप में है। इकाई जाति, धर्म, भाषा, परिवार, लिंग, हाशियाकरण आदि कारकों पर प्रकाश डालती है जो समाज में परिवर्तन लाने के उत्तरदायी हैं। यह इकाई सामाजिक संरचना में अंतर्संबंधों पर समान रूप से चर्चा करती है। राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में भारतीय समाज की समस्याएँ तथा इसके अनुसार राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका को इस इकाई में प्रस्तुत किया गया है।

दूसरी इकाई, **"भारतीय समाज की अपेक्षाएँ"**, सामाजिक लक्ष्यों के व्यापक क्षेत्रों के मुद्दों का वर्णन करता है जैसे, राष्ट्रवाद, सामाजिक पदानुक्रम, सामाजिक न्याय और सार्वभौमिकरण। यह इकाई विद्यार्थी शिक्षकों में आत्म–सम्मान का विकास, आत्म–सम्मान, आत्मपूर्ति, स्वानुभूति, पर्यावरणीय जागरूकता तथा राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के संदर्भ में "भारतीय समाज में शिक्षा की भूमिका", पर चर्चा एवं विस्तृत सुविधा प्रदान करेगा।

तीसरी इकाई, **"शिक्षा एवं नीतियाँ"** विशेषतः, भारत में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों तथा इसके अनुसार नागरिकों को शिक्षित करने हेतु शिक्षा के लिए सार्वजनिक नीतियों के विकासक्रम की चर्चा के लिए निर्मित किया गया है। यह इकाई, विद्यार्थी–शिक्षकों को शिक्षा नीति के विकास एवं इसके कार्यान्वयन की सीमाओं के समझ हेतु एक आधार तैयार करता है। इस सम्बन्ध में, नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना का निर्माण, राजनीतिक तथा वित्तीय प्रावधानों तथा हितधारकों के सम्मिलित होने की चर्चा की गई है। यह इकाई बच्चों की शिक्षा के लिए प्रारंभ किए गए केन्द्र तथा प्रांत प्रायोजित शैक्षिक नीतियों से विद्यार्थी–शिक्षकों का परिचय स्थापित कराती है। इकाई, विद्यार्थी–शिक्षकों को नीति विश्लेषण एवं योजना पर शोध के लिए भी आधार प्रदान करती है।

चौथी इकाई, **"भारतीय समाज एवं शिक्षा"**, पहली इकाई "भारतीय समाज की प्रकृति" का विस्तार है। भारतीय समाज की उप–व्यवस्था के रूप में शिक्षा की चर्चा के साथ यह शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में भी बल देती है। यह आगे "विद्यालय एक सामाजिक इकाई" की अवधारणा तथा विद्यालयी जीवन में लोकतांत्रिक अभ्यास के महत्त्व की चर्चा करती है।

PDF Compressor Free Version

इकाई 1 भारतीय समाज की प्रकृति

संरचना

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 भारतीय सामाजिक संरचना : इसकी प्रकृति
 1.3.1 जाति व्यवस्था
 1.3.2 वर्ग व्यवस्था
 1.3.3 परिवार और समुदाय
 1.3.4 धर्म
 1.3.5 परिवर्तनशील सामाजिक ताना–बाना (संरचना)
 1.3.6 बहुलतावाद
1.4 संरचनाओं के मध्य अंतर्संबंध
1.5 राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में भारतीय समाज की समस्याएँ
 1.5.1 लैंगिक असमानता
 1.5.2 राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष स्थिति को कायम रखने की समस्या
 1.5.3 लोकतांत्रिक सिद्धान्तों का समर्थन
 1.5.4 भाषायी विविधता
 1.5.5 प्रादेशिक एवं सांस्कृतिक विविधता
1.6 राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका
1.7 शिक्षा द्वारा सीमांतता (हाशिया) का समाधान
1.8 सारांश
1.9 इकाई अंत अभ्यास
1.10 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन
1.11 प्रगति की जाँच हेतु उत्तर

1.1 प्रस्तावना

इस इकाई में, आप जाति, वर्ग, धर्म, परिवार, समुदाय तथा बहुलतावाद के विस्तृत संदर्भ के साथ भारतीय समाज की प्रकृति के विषय में अध्ययन करेंगे। सामाजिक विकास में जाति–व्यवस्था एक बाधा है। वर्ग चेतना भी लोकतांत्रिक मूल्यों की वृद्धि में अवरोध उत्पन्न करता है। घर, समुदाय, धर्म तथा शिक्षा में भी एक निकट सम्बन्ध रहा है। इस इकाई में समाज में परिवर्तन लाने वाले उत्तरदायी कारकों पर प्रकाश डाला गया है। आप अनेकता में एकता के साथ बहुलतावादी उपागम को समझेंगे। विभिन्न संरचनाओं के मध्य सम्बन्ध एक चुनौती हो चुका है, अतः इसे समझना आवश्यक है। भारत में राष्ट्रीय विकास, विविधता के समक्ष देखना आवश्यक है। इस इकाई के उद्देश्यों में आपको लैंगिक असमानता की समस्याओं के विश्लेषण के योग्य बनाना है। यह आपको संविधान का आदर तथा भारत को महाशक्ति बनाने के लिए सभी भाषा, धर्म तथा संस्कृति के आधार को समझने के लिए सहायता प्रदान करेगा। अंत में, यह इकाई सुझाव देती है कि शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों तथा वैश्विक नागरिकता तथा बंधुता का विकास होना चाहिए।

PDF Compressor Free Version

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आपः

- भारतीय समाज की संरचना का वर्णन कर सकेंगे;
- भारतीय समाज की विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे;
- विभिन्न सामाजिक संरचनाओं के मध्य सम्बन्ध को पहचान सकेंगे और इनकी व्याख्या कर सकेंगे;
- भाषायिक, क्षेत्रीय विविधता तथा सीमांत (हाशिये) की चर्चा कर सकेंगे;
- भारतीय समाज की समस्याओं को विश्लेषित कर सकेंगे;
- परिवर्तनशील सामाजिक संरचना को पहचान सकेंगे; और
- राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे।

1.3 भारतीय सामाजिक संरचना : इसकी प्रकृति

भारतीय समाज विभिन्न प्रकार की प्रजातियों, संस्कृतियों, धर्मों तथा आस्थाओं का मिश्रण है। यह समाज चारों तरफ से विविधतापूर्ण प्रतीत होता है परंतु, अखंडता अक्षुण्ण है। कुछ आधारभूत शक्तियाँ हैं जो हमें निरंतरता में बाँधती हैं। इसमें अपने संघर्ष, कलह तथा विवाद हैं यद्यपि, यह एक इकाई के रूप में जुड़ा हुआ है। इसे कमजोर करने में कौन–सी समस्याएँ एवं बाधाएँ हैं? प्रोफेसर हुमायूँ कबीर ने उल्लेख किया है कि "संपूर्ण भारतीय इतिहास में हम एक तरफ धर्म तथा संस्कृति के आधार पर एकीकरण तथा दूसरी तरफ भाषा, रीति–रिवाज, आर्थिक तथा राजनीतिक इच्छा में भिन्नता के कारण अलगाव की प्रवृत्ति पाते हैं" (माथुर, 1992, पृ. 5)।

आधुनिक भारतीय समाज में, भारतीय संविधान संगठन के लोकतांत्रिक सिद्धान्तों का समर्थन करता है। शिक्षा अवसरों की समानता पर बल देते हुए सामाजिक न्याय को लाने, सामाजिक परिवर्तनों की स्वीकारोक्ति तथा जाति, रंग और पंथ से ऊपर समाज के निर्माण का लोकतांत्रिक शस्त्र है। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र तथा आस्था से अलग हटकर उसका सम्मान होना चाहिए।

1.3.1 जाति व्यवस्था

अंतःजातीय समूह के पदानुक्रम के रूप में जाति को परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के व्यवसाय आधारित सामाजिक स्तर को निर्धारित करती है। जाति को परिभाषित करने में इसके चारित्रिक लक्षणों को प्रकाशित करना आवश्यक है। अंतःजातीय विवाह एक आवश्यक लक्षण है, जिससे समूह के सदस्य समूह के बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं। जाति के सदस्यों के भोजन (खान–पान) की थोड़ी सीमाएँ तथा बंधन के अलावा लगभग समानता है। अधिकांश जातियों के व्यवसाय निश्चित हैं और एक जाति से दूसरी जाति में जाना संभव नहीं है। सामाजिक स्तरीकरण में ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जाति की सदस्यता जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। जाति के सदस्य को आवश्यक रूप से इसकी जाति चेतना नहीं होती है।

मध्यकाल में, हिन्दू सामाजिक संगठन में जाति ने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिरता को कायम रखा, सदस्यों के सामाजिक तथा मानसिक

PDF Compressor Free Version

सुरक्षा की देखभाल की, व्यवसाय संघ के रूप में कार्य किया, शिक्षा के लिए विधियाँ निर्धारित की, तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया, यांत्रिक तथा तकनीकी प्रक्रिया के वंशानुगत ज्ञान को कायम रखा तथा हस्तांतरित किया तथा धार्मिक जीवन आदि को कायम रखा। जाति व्यवस्था धार्मिक प्रभाव, स्थिर समाज, ग्रामीण सामाजिक संरचना, भौगोलिक विभाज्य, जनजातियों में भिन्नता, शिक्षा की अनुपस्थित आदि जैसे कुछ निश्चित कारकों के कारण बनी रहीं। परंतु कुछ कारकों द्वारा वर्तमान समाज को कमजोर किया जा रहा है जैसे: शिक्षा, सामाजिक सुधार आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण, यातायात तथा संचार साधन, आर्थिक प्रभाव, नवीन सामाजिक वर्ग का उदय, नवीन विधि व्यवस्था आदि। जाति व्यवस्था समाज के लिए हानिकारक है। यह सामाजिक विघटन लाती है जिसका परिणाम बहुत से लघु समूह होते हैं। यह धन के विभाजन में असमानता लाता है। जाति व्यवस्था सामाजिक प्रगति में बाधा भी है।

1.3.2 वर्ग व्यवस्था

एक वर्ग में स्तरीकरण स्वतंत्र है कठोर नहीं। स्थिति (हैसियत), जीवन स्तर तथा अन्य वस्तुनिष्ठ कारक वर्ग की सदस्यता के आधार हैं। वर्ग के सदस्य को वर्ग चेतना होती है। वर्ग जाति से अधिक लचीला है। मेकाइवर के शब्दों में, "एक सामाजिक वर्ग समुदाय का एक भाग होता है, जो सामाजिक स्तर के आधार पर शेष से भिन्न परिलक्षित होता है (चन्द्रा एवं शर्मा, 2008, पृ.199)। वर्ग चेतना लोकतांत्रिक मूल्यों की वृद्धि में भी बाधक है। अत:, विद्यालय में समानता तथा बंधुता की समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। परंतु वर्ग चेतना का उन्मूलन आर्थिक असमानता तथा अन्य असमानताओं को समाप्त किए बिना नहीं हो सकता है। इसके लिए सामाजिक तथा आर्थिक सुधार की आवश्यकता है।

1.3.3 परिवार और समुदाय

परिवार

बालक की शिक्षा में परिवार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार प्राथमिक सामाजिक समूह है। बालक परिवार से जो भी सामाजिक अनुभव प्राप्त करता है, वह उसके व्यक्तित्व का आधार होता है। प्राचीन समाज में परिवार सामाजिक संरचना की एक महत्त्वपूर्ण इकाई थी परंतु वर्तमान समय में सामाजिक संरचना एक परिवर्तन के दौर से गुजरी है तथा जीवनयापन आर्थिक रूप से आंदोलित हुआ है। परिवार की दो प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं: **(i) विस्तृत या संयुक्त परिवार तथा (ii) एकल परिवार।** विस्तृत परिवार में माता–पिता एवं उनके बच्चे तथा दो पीढ़ी से अधिक के लोग एक साथ रहते हैं। एकल परिवार में माता–पिता और उनके बच्चे होते हैं। एकल परिवार में भौगोलिक तथा सामाजिक गतिशीलता अधिक होती है।

परिवार मुख्यत: बच्चे का पालन–पोषण तथा प्रशिक्षण, अच्छी आदतों के अभ्यास, परिवार के सदस्यों से प्यार तथा स्नेह के लिए करता है तथा व्यापक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक जीवन तथा पुनर्रचनात्मक उत्तरदायित्वों के लिए तैयार करता है। परिवार बच्चों को संरक्षण भी प्रदान करता है।

समुदाय

बच्चे की शिक्षा में समुदाय की अपनी स्वयं की भूमिका होती है। यह गाँव तथा शहर में बसे परिवारों का एक समूह है और लगभग समान प्रथाओं, विचारों, मूल्यों तथा संस्कृति से एक साथ बंधा होता है। इस प्रकार, प्रत्येक समुदाय एक बृहद समुदाय का हिस्सा होता है जो राज्य अथवा राष्ट्र कहलाता है।

PDF Compressor Free Version

बोगार्ड्स (Bogardus) के अनुसार, "एक समुदाय एक सामाजिक समूह है जो कुछ सीमा तक "हम" की भावना के साथ एक निश्चित क्षेत्र में रहता है।" (इंदर देव सिंह नांदरा, 2010, पृ. 52)। मेकाइवर (Maciver) और पेज (Page) के अनुसार "जब भी किसी छोटे और बड़े समूह के सदस्य, इस तरह एक साथ रहते हैं, यद्यपि, वे कुछ चीजों में हिस्सा नहीं लेते हैं परंतु उनके सामान्य जीवन के आधार तथा परिस्थिति एक हों, उस समूह को समुदाय कहा जाता है।" (इंदर देव सिंह नांदरा, 2010, पृ. 52)

एक समुदाय की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

(क) अपनेपन की समझ अथवा निवासियों की निष्ठा।

(ख) समान सामाजिक विरासत।

(ग) तुलनात्मक आर्थिक आत्मनिर्भरता

समुदाय एक शैक्षिक अभिकरण के रूप में :

- समुदाय शिक्षा का एक सक्रिय एवं क्षमतावान अभिकरण है। यह समुदाय के सदस्यों के लिए शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक अभिकरण के रूप में कार्य करता है। विद्यालय, मीडिया, पुस्तकालय आदि समुदाय में शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक अभिकरण के रूप में कार्य करते हैं। समुदाय में समृद्ध परंपरा तथा संस्कृति होती है जो इसके सदस्य को शिक्षित करने के लिए व्याप्त होती हैं।

- समुदाय की शैक्षिक भूमिका कई स्तरों में होती है। यह सदस्यों की शिक्षा के लिए धन प्रदान करता है। औपचारिक शिक्षा पर नियंत्रण रखता है, विद्यालय कर्मचारियों के चयन प्रक्रिया में सहायता करता है, सदस्यों की शिक्षा के लिए अनौपचारिक स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है तथा समाज में उत्तम जीवन के लिए नैतिकता तथा मूल्यों का प्रसार भी करता है।

- विशेषतः, समुदाय विद्यालय तथा महाविद्यालयों जैसे शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग का कार्य करता है। वे स्वयं को शैक्षिक संस्थानों के मानवीय तथा भौतिक विकास के साथ उनकी शैक्षिक गतिविधियों को सम्मिलित करते हैं।

भारतीय समुदाय के कार्य

समुदाय तथा शिक्षा के मध्य सम्बन्ध बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्रत्येक समुदाय यह चाहता है कि इसकी अगली पीढ़ी योग्य नागरिक बनें जो समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, अतः यह इसकी व्यवस्था करता है। यदि लोग शिक्षित हैं तो वे समाज की समस्याओं के समाधान के योग्य हैं। शिक्षा के माध्यम से, समुदाय भावी पीढ़ी को इसकी सांस्कृतिक विरासत के प्रति सचेत कर सकता है। इस प्रकार, समुदाय को इसके नागरिकों को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व लेना चाहिए।

भारतीय समाज में शिक्षा की सर्वव्यापी माँग एक आकर्षक गुण रहा है। प्राथमिक तथा पूर्व–प्राथमिक शिक्षा के विकास में समुदाय का प्रभाव बृहद रूप में रहा है। समुदाय का माध्यमिक शिक्षा के विकास पर भी प्रभाव रहा है।

शिक्षा समाज के उद्देश्यों, विचारों तथा मूल्यों के अनुसार होनी चाहिए। सामाजिक परिवर्तन शैक्षिक परिवर्तन में अवश्य प्रतिबिम्बित होने चाहिए। सांस्कृतिक धरोहर का अनुरक्षण भी समुदाय का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है।

अतः यह कहा जा सकता है कि समुदाय प्रशासकों तथा शिक्षकों के साथ एक सक्षम शैक्षिक बल के रूप में है। उनको इसके अधीनस्थ कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि इसको समझ कर

PDF Compressor Free Version

इसके साथ कार्य करना चाहिए। कुछ बिन्दु पर असहमतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं परंतु सहयोग तथा सच्चे प्रयास से इन असहमतियों को अंततः कम या इनका समाधान किया जा सकता है।

1.3.4 धर्म

धर्म तथा शिक्षा के मध्य एक निकट का सम्बन्ध रहा है। एक समय विशेष में धार्मिक दृष्टिकोण शैक्षिक विचारों को प्रभावित किया है।

सभी धर्म ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी मानते हैं। धार्मिक अभ्यास के माध्यम से मानवीय आत्मा ऐसी अनुभूति का प्रयास करती है जो इसे सर्वशक्तिमान के निकट ला सकती है। धार्मिक अभ्यास सर्वोच्च सत्ता के साथ रहना माना जाता है। यह आस्थाओं को एक सूत्र में बाँधता है। अतः यह कहा जा सकता है कि धर्म मानव जीवन में धार्मिक अभ्यास के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभव की बात करता है तथा मानव और ईश्वर के सम्बन्ध को बताता है।

धर्म तथा शिक्षा में काफी गहरे सम्बन्ध हैं, परंतु शिक्षा देने में हम धर्म के इस व्यापक दृष्टिकोण को अपने समक्ष रखते हैं और धर्म के संकीर्ण स्वरूप या आचरण को महत्त्व नहीं देते हैं। शिक्षा मार्ग की खोज करती है तथा नई पीढ़ी को उस पर चलने या उस मार्ग का अनुकरण करने की प्रेरणा देती है। धर्म हमारे जन्म के कारण तथा चिरस्थायी शांति कैसे प्राप्ति हो, आदि को बताता है।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ, सभी आस्थाओं और धर्मों को मानने वालों को सरकार के बिना किसी हस्तक्षेप के उनको पूजा, धर्म प्रचार, संस्थानों या पूजा स्थलों की स्थापना करने का समान अधिकार है। यह धार्मिक स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सम्मान के लिए आवश्यक है।

धार्मिक स्वतंत्रता "सत्यम, शिवम्, सुन्दरम्" पर अधिक बल देने के लिए प्रोत्साहित करता है। डॉ. राधाकृष्णन् आयोग ने धर्मनिरपेक्ष भारत में धर्म की आवश्यकता के महत्त्व पर बल दिया। इस आयोग का यह विचार था कि राज्य को किसी धर्म का अनुचित संरक्षण नहीं देना चाहिए।

1.3.5 परिवर्तनशील सामाजिक ताना–बाना (संरचना)

यह परिभाषित किया जा सकता है कि सामाजिक संरचना एक निश्चित भूभाग की मिश्रित जनसंख्या है जो नृजातीय संरचना, धन, शैक्षिक स्तर, रोजगार दर तथा क्षेत्रीय मूल्यों से बनी है।

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह शिक्षा के साथ भी समान रूप से सत्य है। प्रगति तथा गतिशीलता का परिणाम परिवर्तन है। कभी–कभी परिवर्तन बृहद स्तर (क्षेत्र) तथा कभी लघु स्तर पर होता है। ऑगबर्न (Ogborn) तथा निमकॉफ (Nimkoff) "प्रत्येक समुदाय में कुछ बल होते हैं जो स्थापित संगठन को ध्वस्त करते हैं तथा उनके कार्यों को रोकना सामाजिक समस्या के रूप में होता है" (राय, 1990, पृ. 67)।

सामाजिक ताना–बाना (संरचना) का अर्थ सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक संगठन के किसी पक्ष में विभिन्नता या गतिशीलता है।

सामाजिक संरचना सामाजिक आकार इसकी आंशिक संरचना या संतुलन या इसके संगठन के प्रकार में परिवर्तन है।

स्तर (हैसियत) में सुधार तथा व्यक्तियों की भूमिका के आधार पर सामाजिक तानाबाना में परिवर्तन होता है। कभी–कभी, व्यक्ति परिवर्तन के साथ समायोजित नहीं हो पाते हैं जिसके

PDF Compressor Free Version

कारण विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। शिक्षा समाज को शांति तथा विकासवादी स्थिति में ढालने का आधार है।

मानवजाति पर्यावरण में क्रिया तथा अंतःक्रिया द्वारा युगों के उपरांत जिस धरोहर को संजोया है, उसी का नाम संस्कृति है। इस प्रकार, संस्कृति में ज्ञान तथा अनुभव होता है यह मानव जीवन को आकार देती है जो लोगों के जीवन शैली से परिलक्षित होता है।

समाज की आवश्यकता सदैव परिवर्तनशील रही है। प्रत्येक आने वाली पीढ़ी वर्तमान प्रतिरूप में सुधार का लक्ष्य रखती है। शिक्षा समाज के पुनर्रचना तथा पुनर्संगठन की आवश्यकताओं में सहायता करती है तथा समाज के अनावश्यक चीजों को समाप्त कर सुखद और उत्तम समाज का निर्माण करती है।

1.3.6 बहुलतावाद

बहुलतावाद का अर्थ ऐसे समाज, सरकार या संगठन की व्यवस्था जिसमें विभिन्न समूह अपनी पहचान के साथ अन्य समूहों या प्रभावशाली समूह के साथ अस्तित्व बनाए रखता है। बहुलतावाद लोकतंत्र का एक प्रतिरूप प्रस्तुत करता है जहाँ विभिन्न समूह अपनी राय तथा विचार को रख सकते हैं।

यह अभिव्यक्ति के एकल उपागम या विधि के बजाए विविध दृष्टिकोणों तथा स्थितियों को इंगित करता है। सांस्कृतिक बहुलतावाद का अर्थ एक वृहद समाज के अंदर छोटे समूहों का अपनी अद्‌भूत सांस्कृतिक पहचान को कायम रखना है। इस स्थिति में विभिन्न सामाजिक वर्गों, धर्मों, प्रजातियों आदि के लोग एक साथ समान होते हैं। परंतु समाज में एक साथ रहते हुए भी उनकी विभिन्न परंपराएँ होती हैं; लोग विभिन्न सामाजिक वर्ग, राष्ट्रीयता तथा प्रजाति के हो सकते हैं।

इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए यह कहा जा सकता है कि बहुलतावाद वास्तविकता के साथ समायोजन का मूल्य है।

भारत में हिन्दू तथा हिन्दी भाषी बहुसंख्यक हैं परंतु अन्य धर्मों तथा भाषाओं के लोग भी यहाँ रहते हैं।

उदाहरणार्थ, इण्डोनेशिया एक बहुलतावादी समाज है जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि (धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा, नृजातीयता) के लोग एक साथ रहते हैं।

अपनी प्रगति की जाच करें —1

नोटः (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. "वर्ग व्यवस्था" को परिभाषित कीजिए।

....

....

....

....

....

PDF Compressor Free Version

2. भारतीय समाज की संरचना के मुख्य पक्ष कौन–से हैं?

....

....

....

....

3. समुदाय की भूमिका क्या है?

....

....

....

....

4. बहुलतावाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

....

1.4 संरचनाओं के मध्य अंतर्संबंध

भारत जैसे देश में जहाँ विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं, भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु में भी भिन्नता विद्यमान है। लोगों में अपने प्रदेश, जाति, वर्ग, धर्म, सामाजिक तथा भाषा के प्रति एक भावनात्मक लगाव है। सामाजिक संरचना से संबंधित विभिन्न पदों जैसे जाति, वर्ग, परिवार, ग्राम समुदाय तथा रिश्तेदार लघु पहचान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन संरचनाओं के मध्य सम्बन्ध एक चुनौती बन चुका है क्योंकि विभिन्न विभाजनकारी प्रवृत्तियों के सिर उठाना प्रारंभ करने से एकता का सूत्र कमजोर हो रहा है। विविधता राष्ट्रीय संस्कृति तथा आर्थिक सम्पन्नता को समृद्ध करती है। परंतु जब यह रूक जाती है तो राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में होता है। स्वतंत्रता के समय, हमने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की शपथ ली थी जो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय पर आधारित थी, इस क्षेत्र में हमारे बेहतर प्रयासों के बावजूद, भारत संकीर्णनिष्ठता जैसी कई समस्याओं का सामना कर रहा है जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है।

परिवर्तन हो रहे हैं, परंतु हमें सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के लिए और अधिक प्रयास करने हैं जो एक मजबूत तथा संगठित समाज के लिए निर्णायक है। लोग रूढ़ जाति व्यवस्था से जीविका आधारित वर्ग व्यवस्था की ओर गतिशील हो रहे हैं।

लोक राजनीति का उदीयमान (उभरता हुआ) प्रतिरूप अखण्डता का एक विषमरूपी (भिन्न) मार्ग प्रस्तुत करता है। जिन किसानों के पास भूमि तथा संपत्ति और उत्पादन के अच्छे साधन हैं वे पूँजी बाजार, मुद्रा, शिक्षा तथा प्रतियोगी राजनीति के माध्यम से क्षेत्रीय राजनीति के ऊपरी स्तर से जुड़े हैं। भूमिहीन किसानों या मजदूरों का एक अन्य समूह विस्तृत समाज के निचले स्तर से जुड़ा हुआ है।

PDF Compressor Free Version

अंततः, यह सभी को अनुभूति करना है कि पदार्थ, जो बिना सहनशीलता, सहानुभूति तथा बुद्धि के पास पहुँचता है वह मिट्टी में परिवर्तित हो सकता है।

अपनी प्रगति की जाच करें –2

नोट : (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

5. भारत की जनसंख्या किस प्रकार से स्तरीकृत (stratified) है?

....

....

....

....

6. सामाजिक संरचनाओं के मध्य अंतर्संबंध क्यों आवश्यक है?

....

....

....

....

7. भारत में सामाजिक संरचनाओं के मध्य सम्बन्ध कमजोर क्यों किया जा रहा है?

....

....

....

....

....

1.5 राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में भारतीय समाज की समस्याएँ

भारतीय समाज विशाल विविधताओं तथा असमानताओं के साथ मजबूत सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं तथा जाति, वर्ग तथा लिंग आधारित घोर भेदभावपूर्ण इतिहास के साथ बहुत पुराना है। भाषा, आदतों तथा रीति–रिवाज में भिन्नता है। यद्यपि, यह भारत को सांस्कृतिक रूप से संपन्न बनाता है। लेकिन यह विविधता राष्ट्रीय विकास में समस्या उत्पन्न करती है। लोग जाति, वर्ग, भाषा तथा धर्म के आधार पर आपस में लड़ते हैं जिसके कारण सामाजिक संरचना को कायम रखना कठिन हो जाता है। विश्व एक वैश्विक गाँव हो चुका है। पाश्चात्य संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है। विभिन्न अवधारणाओं के अर्थ बदल चुके हैं। कुछ मुद्दे जो प्राचीन समय में अस्वीकार्य थे, वे अब सामान्य हो चुके हैं जैसे अंतर्जातीय विवाह, बहु भाषावाद तथा बहुलतावाद, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी। इसलिए, भारत में राष्ट्रीय विकास की समस्या को इस विविधता के समक्ष देखा जाना है। इनमें से कुछ समस्याओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जाए।

PDF Compressor Free Version

1.5.1 लैंगिक असमानता

लैंगिक असमानता का अर्थ, व्यक्ति के लिंग के आधार पर असमान व्यवहार तथा अवधारणा है। यह भिन्नता सामाजिक रूप से निर्मित लैंगिक भूमिका के साथ गुणसूत्र, मस्तिष्क संरचना तथा हारमोन सम्बन्धी भिन्नता के माध्यम से जैविक रूप से उत्पन्न होती है। लैंगिक असमानता बालिकाओं तथा महिलाओं के प्रति हीन दृष्टिकोण, भेदभाव तथा पूर्वाग्रह है। कई शताब्दियों से भारत में महिलाएँ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों से निम्न स्थिति में रही हैं। यह स्थिति धीरे–धीरे परंतु निश्चित रूप से बदली है। भारत में पुरुषों तथा महिलाओं के मध्य असमानता स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक तथा राजनीतिक संदर्भ में देखा जाता है।

लैंगिक असमानता तथा इसके सामाजिक कारणों से भारत के लिंगानुपात, महिलाओं के स्वास्थ्य पर आजीवन, उनकी शैक्षिक प्राप्ति तथा आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। भारत में लैंगिक असमानता कई रूपों में विद्यमान है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि कुछ आर्थिक समानता की युक्तियाँ पुरुषों के लिए अलाभकारी हैं। यद्यपि, भारत की जनसंख्या को संपूर्ण रूप से जाँचा–परखा जाए तो यह देखने को मिलेगा कि भारत में महिलाएँ कई तरीके से नुकसान में हैं।

इस प्रकार के लैंगिक भेदभाव, भारतीय समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध है। इसके लिए बहुत से कारण जैसे पितृसत्तात्मक समाज, पुत्र की वरीयता, दहेज प्रथा, विवाह नियम आदि सम्मिलित हैं। 2011 में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट (Global Gender Gap Report) के अनुसार, 135 देशों में भारत का लैंगिक अंतर सूचकांक (Gender Gap Index) में 113वाँ स्थान था। यद्यपि, तत्पश्चात् से भारत ने विश्व आर्थिक मंच पर अपना स्थान सुधारा है। 2013 में लैंगिक अंतर सूचकांक नीचे गिर कर 105/136 तक हो गया है। सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। महिलाओं को कई संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा सरकार समाज में इनके स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रही है।

विगत कुछ दशकों के दौरान लैंगिक असमानता को कम करने के लिए विभिन्न राज्यों की सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों और केन्द्र सरकार के सहयोग से बहुसंख्यक प्रदेश विशेष कार्यक्रम के लक्ष्य को प्रारंभ कर दिए हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम निम्नलिखित हैं: *स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्रामीण और निर्धन महिलाओं के लिए जागरूकता निर्माण परियोजना, किशोरी शक्ति योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, बालिका समृद्धि योजना, सर्व शिक्षा अभियान तथा लाडली लक्ष्मी योजना।*

1.5.2 राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष स्थिति को कायम रखने की समस्या

जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जाति, रंग, धर्म, परंपरा, आस्था आदि के रूप में विविधताओं की भूमि है। स्वतंत्रता के पश्चात, भारत को लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र का नाम दिया गया। लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का प्रारंभ विविधता तथा भिन्नताओं में एकता को मजबूत करने के लिए तथा राष्ट्र की अखण्डता को अक्षुण्ण रखने के लिए किया गया। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ राज्य सभी धर्मों से स्वतंत्र है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सभी धर्मों से समान व्यवहार करता है और किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता है।

लोकतांत्रिक बहुलतावाद के मूल आदर्श न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता हैं जो भारतीय संविधान द्वारा कायम हैं। अन्य शब्दों में, भारत में अंतर्सांस्कृतिक शिक्षा निम्नलिखित पाँच सिद्धान्तों पर आधारित है:

PDF Compressor Free Version

1. भारत में प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक मूल्य तथा प्रतिष्ठा है।
2. समाज व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति समाज के लिए नहीं है।
3. समानता तथा बहुमत नियम को परस्पर पूरक कार्य करना चाहिए, अलग–अलग तरीके से नहीं।
4. सामाजिक जीवन में धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव असहनीय है।
5. भारत में प्रत्येक समूह को अपनी संस्कृति की सुरक्षा, अनुरक्षण तथा बढ़ावा देने का अधिकार है।

अपने देश के धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को कायम रखना है। धर्मनिरपेक्ष आधारित शिक्षा व्यक्ति के बहुलतावादी दृष्टिकोण को लाने में आवश्यक है। समाज तथा विश्व की भी भलाई धर्मनिरपेक्ष आधारित शिक्षा पर निर्भर है। धर्मनिरपेक्षता न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता तथा सहयोगपूर्ण जीवन जैसे लोकतांत्रिक गुणों के विकास के लिए आवश्यक है।

आज हमारी शिक्षा व्यवस्था इसके व्यापक लक्ष्यों, पाठ्यचर्या, प्रबुद्ध शिक्षकों, ग्रहणशीलता तथा सभी धर्मों के लिए समान आदर के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्तियों तथा मूल्यों को बढ़ावा देती है।

अंत में, हम सभी का उत्तरदायित्व है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को कायम रखने के लिए हमारे पास स्वस्थ उपागम होने चाहिए।

अपनी प्रगति की जाच करें –3

नोटः (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

8. लैंगिक असमानता को परिभाषित कीजिए।

....

....

....

....

....

9. भारत में अंतर्सांस्कृतिक शिक्षा कौन–से मौलिक सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए?

....

....

....

....

....

....

PDF Compressor Free Version

1.5.3 लोकतांत्रिक सिद्धान्तों का समर्थन

हमारे संविधान में कुछ बहुत महत्त्वपूर्ण प्रावधान हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि उन्हें समझें तथा उनका पालन करें। हमारा देश "प्रभुत्वसंपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य" घोषित होने के पश्चात् हम अपने संविधान के सभी प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य हैं। उनमें से किसी का उल्लंघन सहन नहीं किया जा सकता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 सामाजिक न्याय के सम्बन्ध में अग्रलिखित राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों को निर्धारित करता है: "राज्य, समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को विशेष बढ़ावा तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक न्याय प्रदान कर उनको सभी प्रकार के शोषणों से रक्षा करेगा।" उपर्युक्त उल्लेखित राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त द्वारा सामाजिक न्याय की अवधारणा ने पिछड़ी जातियों के हित के संरक्षण के लिए स्वयंसेवी संगठनों के निर्माण के लिए दिशा प्रदान किया है। लोकतंत्र के संदर्भ में ये संगठन भारतीय समाज में एक मजबूत राजनीतिक शक्ति धारण करते हैं।

सामाजिक असमानता, आर्थिक भिन्नता तथा राजनीतिक विशेषाधिकार के उन्मूलन के लिए हमारे संविधान में चार स्तरीय आदर्शों—न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता को अपनाते हुए सम्मिलित किया गया है। कृत्रिम रूप से असमानता, विविधता तथा विभाजन के आधार पर निर्मित कुछ सामाजिक पदानुक्रम के सुधार के लिए ये आदर्श आवश्यक थे। हमारा संविधान यह निर्दिष्ट करता है कि विधि की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं, किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता, प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति तथा अपनी आस्था एवं विश्वास के व्यवहार की स्वतंत्रता है तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिष्ठा की स्वीकारोक्ति है।

भारतीय लोकतंत्र का महानतम बल भारतीय संविधान की प्रकृति तथा प्रावधान है। इन प्रावधानों का अर्थ है कि हमें शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्रदान करने में एक वातावरण का निर्माण करना है जिसमें सामाजिक स्तरीकरण नहीं होगा।

व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित की जा सकती है, जब एक तरफ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा समान रूप से हो तथा दूसरी तरफ समाज की आवश्यकता समाजवादी प्रतिरूप है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त एक सकारात्मक उपागम को इंगित करते हैं जो नागरिकों के उच्च आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन स्तर को सुनिश्चित करने में सहायता के लिए आवश्यक हैं।

भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में समकालीन घटनाओं का अध्ययन इंगित करता है कि भारतीय संस्कृति में लोकतंत्र की ओर एक मजबूत रुझान का विस्तार हो रहा है, अतः आज यह देश की अखण्डता की महान ताकत है।

1.5.4 भाषायी विविधता

एक दर्जन से अधिक भाषाएँ तथा असंख्य बोलियाँ भारतीय समाज की एक अन्य विशेषता है। भारत में विभिन्न भागों में विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं। ये हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमी, कश्मीरी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, आदि हैं। किसी भी भाषायी समूह को अपनी भाषा के परिष्करण में कोई हानि नहीं है परंतु जब अंतर उत्पन्न किया जाता है तब संघर्ष, तनाव तथा अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। भाषावाद एक प्रवृत्ति है जो एक

PDF Compressor Free Version

भाषायिक रूप से संगठित समूह को अपनी भाषा की विशेषताओं की प्रशंसा के लिए प्रेरित करता है तथा अन्य भाषा तथा भाषायी समूह को अलग दृष्टि से देखता है। यह प्रवृत्ति किसी वाद के रूप में राष्ट्र के लिए हानिकारक है। यह भाषावाद भारत में भाषायिक समस्या की जड़ है तथा यह तेजी से और अधिक संक्रामक तथा गहन होता जा रहा है। कभी–कभी यह भाषायिक भिन्नता प्रदर्शन, संघर्ष, हिंसा तथा परिणामतः तनाव का कारण बनता है।

भाषावाद भाषा समस्या पर स्पष्ट विचार को अस्पष्ट करता है तथा इस पर वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति को अपनाना असंभव बनाता है। भाषावाद के मूल में कुछ निश्चित समस्याएँ हैं – देश में संपर्क भाषा कौन–सी होनी चाहिए? राष्ट्र भाषा के रूप में कौन–सी भाषा होनी चाहिए? शिक्षा के प्रतिरूप में अंग्रेजी भाषा की स्थिति? आदि। प्रादेशिक लगाव के कारण लोग राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनी भाषा की वकालत करते हैं। इस प्रकार, विभिन्न भारतीय भाषाएँ भारतीय सामाजिक जीवन में विभिन्न स्थितियाँ उत्पन्न करती हैं।

1.5.5 प्रादेशिक एवं सांस्कृतिक विविधता

प्रादेशिक तथा सांस्कृतिक विविधता की चर्चा करने से पहले हमें सांस्कृतिक विविधता के अर्थ के विषय में स्पष्ट होना चाहिए। सर्वप्रथम, संस्कृति समाज का पर्याय नहीं है। संस्कृति भौतिक तथा अभौतिक दोनों पदार्थों को सम्मिलित करती है जो मानव समाज की उत्पत्ति या उपज है।

प्रादेशिक विविधता क्या है?

एक प्रदेश को एक क्षेत्र विशेष के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे यहाँ के निवासी जाति, रिवाज, जीवन–शैली, परंपरा, भाषा, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर के विकास की समानता के कारण भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। प्रदेशवाद (क्षेत्रवाद) का अर्थ, एक समाज के अंदर विभिन्न लघु समूहों का अस्तित्व है। क्षेत्रवाद के मूल में कई कारण हैं जैसे: भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, भाषायिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा आर्थिक। यदि क्षेत्रीय असंतुलन है तो इसका अर्थ है कि देश के विभिन्न भागों में निवास कर रहे लोगों के जीवन स्तर में भिन्नता है।

क्षेत्रीय असंतुलन के कई कारण जैसे प्राकृतिक संसाधनों की अनुपलब्धता या अनुपयोग शैक्षिक सुविधाओं का अभाव, आर्थिक अवसरों का अभाव, लोगों में विकास के प्रति दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव तथा सरकार द्वारा क्षेत्र विशेष की उपेक्षा है।

सांस्कृतिक विविधता

हम जानते हैं कि भारत में लोग विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित हैं। उनकी विचारधाराएँ भिन्न हैं। इसे एक ही क्षेत्र के अंदर बहु सांस्कृतिक परंपराओं के अस्तित्व, स्वीकारोक्ति या बढ़ावा के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। सामान्यतः संस्कृति को एक नृजातीय समूह से जोड़ कर देखा जाता है। गतिशीलता के प्रभाव से विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक–दूसरे से मिलते हैं। सांस्कृतिक विभिन्नता, भाँति–भाँति की संस्कृति या नृजातीय समूहों का एक समाज में अस्तित्व है। 'सांस्कृतिक विविधता' शब्द का उपयोग कभी–कभी मानव समाज की विविधता या प्रदेश विशेष में या संपूर्ण विश्व में संस्कृतियों के अर्थ में किया जाता है।

यह सभी के लिए समझना आवश्यक है कि हमारी विविध संस्कृति को महत्त्व देना दूसरे को समझना तथा उनकी आस्था तथा जीवन शैली को सम्मान देना है, जैसा कि हम दूसरों से आदर की अपेक्षा करते हैं। यह सभी को अनुभूति करना है कि सांस्कृतिक भिन्नता को बढ़ावा देना तथा आदर करना आवश्यक है। इस तरह हम अपने देश को मजबूत बना सकते हैं।

PDF Compressor Free Version

अपनी प्रगति की जाच करें –4

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

10. आधुनिक भारतीय लोकतंत्र का महानतम बल क्या है?

....

....

....

....

11. भारतीय संविधान का कौन–सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व को सामाजिक न्याय के सम्बन्ध में निर्दिष्ट करता है?

....

....

....

....

12. भाषावाद क्या है?

....

....

....

....

13. क्षेत्रीय असंतुलन क्या है?

....

....

....

....

1.6 राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका

परिवर्तन अपरिहार्य है। समाज गतिशील है, यह एक नियत प्रवाह है। शिक्षा को आवश्यक रूप से परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ समायोजन करना चाहिए। सभ्यता के दौर में शिक्षा ने एक महान उत्तरदायित्व को धारण किया है। शिक्षा मानवीय तथा आर्थिक विकास के लिए महान पूँजी है और यह अपने स्थित वातावरण से प्रभावित होती है। इसका सभ्यता से बहुत अधिक सरोकार नहीं है। यह मानव में उचित विकास से संबंधित है। शिक्षा समाज में उचित विचार के लिए विद्यार्थियों के मस्तिष्क को तैयार करने से संबंधित है जिससे कि समाज में स्तरीकरण तथा विघटन की समस्याओं को सौहार्दपूर्ण तथा शांतिपूर्वक समाधान किया जा सके।

PDF Compressor Free Version

शिक्षा राष्ट्र निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शिक्षा को व्यक्ति विशेष की दुर्भावनाओं से ऊपर उठने में सहायता तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। लोकतंत्र की अवधारणा तथा वैश्विक नागरिकता को शिक्षा के माध्यम से पोषण करना चाहिए।

1.7 शिक्षा द्वारा सीमांतता (हाशिया) का समाधान

सीमांतता (हाशिया) की परिभाषा तथा शिक्षा में इसके अर्थ पर सहमति नहीं है : ई.एफ.ए. ग्लोबल मॉनीटरिंग रिपोर्ट 2010 : *हाशिए तक पहुँच*, यद्यपि, हाशिए को एक तीव्र तथा वंचित जो कि सामाजिक असमानता के मूल में है के रूप में परिभाषित किया है। बालिका तथा महिलाएँ समाज में अधिक अलाभान्वित समूह के कुछ उदाहरण हैं। कुछ पहुँच से परे समूह जैसे: भारतीय तथा नृजातीय अल्पसंख्यक, गरीब, अस्थायी घरों में आश्रय लिए हुए लोग, ग्रामीण जनसंख्या, भ्रमणशील जनसंख्या, सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित लोग, एच.आई.वी. तथा एड्स तथा गली के और कार्यशील बच्चे।

इस प्रकार के समूहों के पृथक्करण के कारकों तथा उनके लिए शैक्षिक अवसरों की कमी को देखना है। वास्तव में, निर्धनता, लिंग, नृजातीयता, भौगोलिक स्थिति, अयोग्यता, प्रजाति तथा भाषा ऐसे कारण हैं जो शिक्षा में वंचन (अलाभान्वित) चक्र की रचना करते हैं। यह समाज के साथ व्यक्ति विशेष के लिए भी मूल्यवान है। सीमांतता (हाशिए) से निपटना कई मामलों में आवश्यक विषय है।

वचनबद्धता से प्रेरित समानता के लिए अच्छी नीति कुछ अलग कर सकती है। शिक्षा को अलाभान्वित बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक शैक्षिक वातावरण तक पहुँच तथा सुप्रशिक्षित शिक्षक का परामर्श आवश्यक रूप से सुनिश्चित कराना चाहिए। बाल श्रम का उन्मूलन होना चाहिए, यद्यपि इस सम्बन्ध में सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। परंतु अभी बहुत कुछ करना अपेक्षित है। हम विविधता को स्वीकारते हैं परंतु यह व्यक्ति के साथ समाज की वृद्धि तथा विकास में बाधक नहीं होना चाहिए।

अपनी प्रगति की जाच करें —5

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

14. राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका की चर्चा कीजिए।

....

....

....

....

15. भारत में राष्ट्रीय विकास के लिए अंतर्सस्कृति की समझ एक प्राथमिक आवश्यकता पर शोध तथा अध्ययन कैसे आधारित है? स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

....

PDF Compressor Free Version

16. शिक्षा में सीमांतता को परिभाषित कीजिए।

....

....

....

....

1.8 सारांश

इस इकाई में, आपने भारतीय सामाजिक संरचना तथा इसकी प्रकृति का अध्ययन किया है। भारतीय समाज की क्या समस्याएँ हैं? भारतीय समाज की प्रगति में विभिन्न बाधाएँ जैसे जाति, वर्ग, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र तथा इसकी धर्मनिरपेक्ष स्थिति को कायम रखने की व्याख्या की गई है। हमने आपके लिए परिवर्तनशील सामाजिक ढाँचा तथा बहुलतावाद की व्याख्या की है। आपने सीमांतता तथा लैंगिक भिन्नता को जान लिया है। आपने राष्ट्रीय विकास तथा मानवीय सम्बन्धों में सुधार में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन किया है। आपने सहिष्णुता, समायोजन तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ की आवश्यकता का अध्ययन किया है।

1.9 इकाई अंत अभ्यास

1. एक शिक्षक के रूप में आप, विद्यालय में जाति, वर्ग तथा भाषा की विभिन्नता से कैसे निपटते हैं?

2. एक शिक्षक के रूप में बच्चे को विकास सिद्धान्तों को पढ़ाने के लिए परिवार तथा समुदाय का सहयोग आप कैसे लेते हैं?

3. एक शिक्षक राष्ट्रीय विकास में सक्रिय भूमिका कैसे निभा सकता है?

4. एक शिक्षक के रूप में आप, सीमांत समूह को सभी सुविधाएँ मिल रही हैं के प्रदर्शन के लिए कक्षाकक्ष में क्या गतिविधि आयोजित करेंगे?

5. एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों को बंधुता के महत्त्व के नाट्य–रूपांतरण के लिए कैसे प्रेरित करेंगे?

1.10 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

मूर्ति, एस.के., (1963). *टीचर एंड एजुकेशन इन इंडिया,* प्रकाश ब्रदर्स।

चन्द्रा, एस.एस. एवं शर्मा, आर. के., (2008). *प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन,* नई दिल्ली : अटलांटिक पब्लिशर्स।

इग्नू, (2004). *एजुकेशन एंड सोसाइटी, ई.एस.–334, खंड 2, एजुकेशन इन इंडियन* कांटेक्स्ट। नई दिल्ली : इग्नू।

नांदरा, आई.डी.एस., (2010). *फिलोसोफिकल, सोसियोलॉजिकल एंड इकानामिक बेसिस ऑफ एजुकेशन,* पटियालाः ट्वंटी फर्स्ट सेंचुरी पब्लिशर्स।

राय, बी.सी. (1990). *सोसियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन,* लखनऊः प्रकाश केन्द्र।

PDF Compressor Free Version

चौबे, एस.पी. एवं चौबे ए., (2010). *फिलोसोफिकल एंड सोसियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन,* आगराः अग्रवाल पब्लिकेशन्स।

माथुर, एस.एस., (1992). *ए सोशलोजिकल एप्रोच टू इंडियन एजुकेशन,* आगराः विनोद पुस्तक मंदिर।

संदर्भित वेबसाइट :

http://www.onwikipadiea.org/wikiepluralism

http://www.en.wikipadia.org/wiki/genderinequality-in-India

www.unesco.org/education/efaw2009/concept paper-marginzation.pdf in Paris, December 9-11, 2009.

www.unesco.org/ne/fileadmin/multimedia/HQ/ED/GMR/pdf/year2016

1.11 प्रगति की जाँच हेतु उत्तर

1. वर्ग की सदस्यता सामाजिक स्थिति, जीवन स्तर, तथा अन्य वस्तुनिष्ठ कारकों पर निर्भर होता है।
2. जाति तथा वर्ग व्यवस्था भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य पक्ष हैं।
3. यह अपने सदस्यों में "हम" की भावना को मनःस्थापित करता है।
4. बहुलतावाद एकल उपागम या पद्धति की व्याख्या के बजाए दृष्टिकोणों तथा मानकों की विविधता को इंगित करता है।
5. भारत की जनसंख्या आर्थिक तथा सामाजिक रूप में स्तरीकृत है।
6. संरचना के मध्य मजबूत सम्बन्ध राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं।
7. लोगों को अपनी भाषा, जाति, क्षेत्र तथा धर्म के प्रति संकीर्ण निष्ठा होती है।
8. यह लिंग आधारित व्यक्ति का असमान व्यवहार या अवधारणा को बताता है।
9. पाँच मूल सिद्धान्तः
    - भारत में प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक मूल्य तथा प्रतिष्ठा है।
    - समाज व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति समाज के लिए नहीं है।
    - समानता तथा बहुमत नियम को परस्पर पूरक कार्य करना चाहिए, छलपूर्वक नहीं।
    - धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव सामाजिक जीवन के प्रतिकूल है।
    - भारत में प्रत्येक समूह को अपनी संस्कृति की सुरक्षा, अनुरक्षण तथा बढ़ावा देने का अधिकार है।
10. भारतीय संविधान का यह स्वभाव तथा प्रावधान है।
11. अनुच्छेद 46

PDF Compressor Free Version

12. भाषावाद एक प्रवृत्ति है जो एक भाषा समूह को अपनी भाषा की विशेषता की प्रशंसा के लिए प्रोत्साहित करता है। तथा अन्य भाषा को महत्त्वहीन समझता है।

13. देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में विभिन्नता है।

14. शिक्षा को व्यक्ति के जीवन तथा राष्ट्र के प्रति स्वस्थ प्रवृत्ति के विकास में सहायता करनी चाहिए।

15. अंतर्संस्कृति की समझ तथा बढ़ावा देने के लिए।

16. एक प्रकार का तीव्र तथा सतत बंधन जो सामाजिक असमानता के मूल में है।

PDF Compressor Free Version

इकाई 2 भारतीय समाज की अपेक्षाएँ

संरचना

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 अपेक्षा के मुख्य क्षेत्र

2.3.1 राष्ट्रवाद

2.3.2 सामाजिक व्यवस्था

2.3.3 सामाजिक न्याय

2.3.4 सार्वभौमिकतावाद

2.4 भारतीय समाज में शिक्षा की भूमिका की प्रासंगिकता

2.4.1 आत्मसम्मान तथा सम्मान

2.4.2 समाज तथा पर्यावरणीय जागरूकता

2.4.3 आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता

2.4.4 आत्मबोध

2.4.5 राष्ट्रीय विकास में सहभागिता

2.5 सारांश

2.6 इकाई अंत अभ्यास

2.7 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

2.8 प्रगति की जाँच हेतु उत्तर

2.1 प्रस्तावना

आज विश्व एक गाँव हो चुका है। भारत को विश्व की महाशक्तियों से प्रतिस्पर्द्धा करनी है। हमारी विभिन्न क्षेत्रों में अपार उपलब्धि है जैसे विज्ञान, तकनीक, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य आदि। परंतु हमें अभी लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी समाज एवं आवश्यकता तथा लक्ष्य के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है, जिसका हमने स्वयं से वादा किया था। अज्ञानता, अशिक्षा, महिला उत्पीड़न की समस्या तथा अधिक जनसंख्या आदि कठिनाईयाँ अभी भी हमारे समाज की वृद्धि एवं विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। सरकार द्वारा बहुत से शैक्षिक तथा अन्य सामाजिक एवं आर्थिक योजनाओं के प्रारंभ के बाद भी समाज का प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित नहीं है।

शिक्षा को अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसे लोगों को एकता में बाँधना है। सामाजिक संरचना तथा न्याय को कायम रखना है। एक आत्मसंतुष्ट समाज की स्थापना करनी है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सम्मान पाता है तथा समाज की वृद्धि में पारस्परिक रूप से वचनबद्धता दिखाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय विकास के हित में समर्पित रूप से सहभागी होता है। प्रस्तुत इकाई, उपरोक्त सभी अवधारणाओं, भारतीय समाज की अपेक्षाएँ तथा भारतीय समाज में शिक्षा की भूमिका की प्रासंगिकता पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए इस पर विषयगत रूप से चर्चा करती है।

PDF Compressor Free Version

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आपः

- भारतीय समाज के विभिन्न अपेक्षाओं का वर्णन कर सकेंगे;
- इन अपेक्षाओं को भारत के वर्तमान परिदृश्य से संबंधित कर सकेंगे;
- सामाजिक व्यवस्था द्वारा सामाजिक न्याय का विश्लेषण तथा चर्चा कर सकेंगे;
- आत्मसम्मान तथा आत्म बोध की आवश्यकता की व्याख्या कर सकेंगे;
- इन सामाजिक अपेक्षाओं की प्राप्ति में शिक्षा की भूमिका की चर्चा कर सकेंगे।

2.3 अपेक्षा के मुख्य क्षेत्र

2.3.1 राष्ट्रवाद

राष्ट्रवाद एक शक्ति है जो देश के नागरिकों को एकता के सूत्र में बाँधती है। यह व्यक्ति को राष्ट्र की भलाई के लिए अपनी अच्छाइयों के त्याग के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। किसी देश के देशभक्त नागरिक राष्ट्र हित के लिए अपने हितों का त्याग करते हैं। राष्ट्रवाद की भावना व्यक्ति को यह अनुभूति कराती है कि राष्ट्र के ऊपर कुछ नहीं है। नागरिक व्यक्तिगत रूप से इससे अपनी विभिन्नताओं का समाधान करते हैं। एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नागरिकों को मजबूत बंधन में बाँधता है जो राष्ट्रसेवा तथा बाह्य खतरों से रक्षा करता है।

राष्ट्रवाद के लिए शिक्षा

शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य व्यक्तियों को समाजीकृत तथा उनको एकता के बंधन में बाँधना है। वास्तव में राष्ट्रवाद के लिए शिक्षा का अर्थ, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा और समाज सेवा की भावना को मनःस्थापित करना है। यह राष्ट्रीय पुनर्रचना तथा राष्ट्रीय प्रगति की ओर उन्मुख है। राष्ट्रीय एकता केवल तभी संभव है जब विभिन्न प्रजाति, वर्गों, सामाजिक समूहों, प्रांतों के नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का विकास करते हैं तथा राष्ट्रीय प्रगति और राष्ट्रहित के लिए एक साथ काम करते हैं।

शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति में सहायता करती है, जब यह राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के लिए नेतृत्त्व करती हो। शिक्षा को सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन करना चाहिए। इसे सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग भाषा, जाति, पंथ तथा रंग के मुद्दे पर एक दूसरे से लड़ाई–झगड़ा न करें।

तुच्छ मुद्दे राष्ट्रवाद के मार्ग में बाधक होते हैं जैसे : (क) कई धर्म, (ख) विभिन्न समुदाय, (ग) विभिन्न राजनीतिक दल, (घ) क्षेत्रीय प्रांत, (ङ) अनेक भाषा, (च) आर्थिक असमानता, (छ) सामाजिक असमानता, (छ) योग्य नेतृत्व का अभाव, (झ) उचित शिक्षा का अभाव।

आज, भारतीय समाज को राष्ट्रवादी भावना की वृद्धि के लिए अपेक्षाएँ रखनी होगी। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक आदि सभी को सामूहिक राष्ट्रीय जीवन के लिए विभिन्न विषय, उप–समूहों को मुख्यधारा में एकीकृत करने का प्रयास करना चाहिए।

PDF Compressor Free Version

अपनी प्रगति की जाच करें –1

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं?

....

....

....

....

2. राष्ट्रीय एकता कैसे संभव है?

....

....

....

....

2.3.2 सामाजिक व्यवस्था

एक आधारभूत नियम तथा व्यवस्था है जिसके अनुसार प्रत्येक संस्था या संगठन कार्य करता है। यह एक राष्ट्र के साथ–साथ समाज के लिए भी सत्य है। व्यवस्था, जिसके अनुसार समाज कार्य करता है "सामाजिक व्यवस्था" कहलाती है। सामाजिक व्यवस्था समाज की परंपरा अथवा प्रबंधन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह समुचित सामाजिक अंतःक्रिया तथा सामाजिक सम्बन्धों के लिए उत्तरदायी है। सामाजिक व्यवस्था परंपराओं, प्रक्रियाओं, भौतिक, सहयोग, नियंत्रण एवं स्वतंत्रता आदि का कुल योग है। सामाजिक व्यवस्था को "सामाजिक संस्थाओं के समूह" के रूप में भी परिभाषित किया गया है। इसे व्यक्ति तथा समूह के "कुछ निश्चित गुणों जैसे सहज, कुशल, तार्किक, सौंदर्यात्मक तथा नृजातीय अंतःक्रियात्मक कार्य के रूप में भी वर्णित किया गया है। एफ.सी. लूमले के अनुसार "सामान्यतः सामाजिक व्यवस्था का अर्थ किसी क्षेत्र या समय विशेष में समाज के मानव सम्बन्धों तथा संस्कृति का समष्टि रूप है। (राय, 1990, पृ.47)"

सामाजिक व्यवस्था समाज की समग्रता है। संक्षेप में, जब समाज के विभिन्न छोटे समूह अपने कार्यों का अपने अंतःक्रियात्मक सम्बन्धों के अनुसार निष्पादन करते हैं तब एक व्यवस्था होती है जो सामाजिक व्यवस्था के रूप में जानी जाती है।

सामाजिक व्यवस्था के रूप

सामाजिक व्यवस्था समाज की विभिन्न इकाईयों का एक संगठन है। इस सामाजिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप, विभिन्न इकाईयाँ लचीले ढंग से कार्य करती हैं। परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण लचीलापन आता है। सामाजिक व्यवस्था सामान्यतः भिन्न रूपों में विभाजित की जा सकती है:

i) परिवार एवं सम्बन्ध (रक्त सम्बन्ध)

परिवार "उत्तम समाज का सशक्त शिक्षक" होता है। परिवार वह सामाजिक समूह है जिससे बच्चों में अपनी संस्कृति की समझ का निर्माण तथा उन्हें परिस्थितियों, समस्याओं तथा

PDF Compressor Free Version

परिवर्तनशील संस्कृति के मुद्दों से परिचित कराने का उत्तरदायित्व है। भारत में, बच्चे के विकास में परिवार ने सदैव उच्च स्थान प्राप्त किया है। परंतु अभी, संयुक्त परिवार व्यवस्था के विघटन के कारण इसका महत्त्व कम हुआ है। समकालीन भारत में, पारिवारिक मूल्यों को कम महत्त्व दिया जा रहा है। तलाक की दर बढ़ रही है। बहु–विवाह सम्बन्ध, छद्म सम्बन्ध में जीवनयापन (live in relationship) तथा एकल माता–पिता बच्चे (माता या पिता में से एक) अन्य कारण हैं जो बच्चों के विकास को प्रभावित कर रहे हैं। माता–पिता को इसे अनुभव करना है। भारतीय सामाजिक अपेक्षाओं को भारतीय पारिवारिक आदर्शों तथा मूल्यों को संरक्षित तथा पुनर्बलित करना चाहिए जो वैश्विक सामाजिक व्यवस्था के लिए सदैव एक प्रेरणा रहा है।

ii) आर्थिक व्यवस्था

"आर्थिक व्यवस्था" पद उन सभी आर्थिक संस्थाओं तथा संगठनों को सम्मिलित करता है जो समाज के आर्थिक कल्याण तथा समृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। वे संस्थान जो उत्पादन, वितरण तथा आदान–प्रदान आदि की देखरेख करते हैं, आर्थिक संस्था कहलाते हैं। आर्थिक व्यवस्था को निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जा सकता है जैसे आखेटक अवस्था, यायावर (घूमंतु) अवस्था, कृषि अवस्था तथा औद्योगिक अवस्था।

प्रत्येक समाज की शिक्षा इसके आर्थिक कारकों द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है। उदाहरणार्थ, आखेटक अवस्था में दी जाने वाली शिक्षा वर्तमान में उपयोगी नहीं हो सकती है। एक अच्छे आर्थिक स्तर/स्थिति वाला व्यक्ति अपने परिवार की अच्छी शिक्षा के लिए समर्थ हो सकता है। दूसरी तरफ, शिक्षा समाज विशेष की आर्थिक समृद्धि को भी प्रभावित करती है। यह कहा जा सकता है कि शिक्षा तथा आर्थिक स्थिति/स्तर में सम्बन्ध पारस्परिक होता है।

शैक्षिक व्यय तथा आर्थिक वृद्धि समानांतर गमन करते हैं। ग़ैर मानवीय पूँजी के रूपों (प्रकारों) की तुलना में शिक्षा में अपेक्षाकृत दीर्घ उत्पादक जीवन है। यह कहा जा सकता है कि शिक्षा में निवेश गतिशील आर्थिक वृद्धि के रूप में उच्च लाभ लाता है।

iii) राजनीतिक व्यवस्था

राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का वह पक्ष अथवा भाग होता है जिसमें विभिन्न राजनीतिक संस्थाएँ विद्यमान होती हैं। सरकारें तथा सहयोगी अभिकरण राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य कारक तथा तत्त्व हैं। राज्य में बहुत से महत्त्वपूर्ण अभिकरण हैं। अन्य राजनीतिक संस्थाएँ इसके लिए लगभग पूरक तथा द्वितीयक हैं। राज्य, शिक्षा में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस खण्ड में, देश तथा राज्य शब्द पर्यायवाची के रूप में उपयोग किए गए हैं। यह एक औपचारिक सरकार तथा संगठित राजनीतिक व्यवस्था को प्रस्तुत करता है।

एक राष्ट्र की स्थिति तथा शिक्षा का इसके साथ सम्बन्ध का अध्ययन करना उचित होगा। राष्ट्र में जिन तंत्रों की सहायता से शिक्षा दी जाती है उनका राष्ट्र द्वारा शपथ राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार होना अनिवार्य (बाधक) है। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र नागरिकों को विकसित करने तथा प्रशिक्षित करने का प्रयास करता है जो समाज के सहायक सदस्य हो सकते हैं। यदि किसी राष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसकी शिक्षा अनिवार्यतः नागरिकों में लोकतांत्रिक कला का प्रशिक्षण देने के लिए बाध्य होगी।

राज्य, महान प्राचीन विचारकों के अनुसार समाज का पर्याय था परंतु वर्तमान समय में यह पृथक राजनीतिक पहचान के रूप में व्यवहार किया जाता है। समाज अपेक्षाकृत व्यापक पद है जबकि राज्य एक राजनीतिक संस्था है जिसके पास सीमित क्षेत्र तथा संगठन हैं। इस

PDF Compressor Free Version

राजनीतिक संगठन को समाज में विधि व्यवस्था को कायम रखने तथा विकास को संपादित करने का उत्तरदायित्व है।

iv) धार्मिक व्यवस्था

भारत एक बहुधर्मी देश है। विभिन्न धार्मिक आस्था के लोग प्रेम तथा एकता के साथ देश में रहते हैं तथा अपने सामाजिक, राजनीतिक जीवन में धर्मनिरेपक्षता के सिद्धान्त को अपनाया है। भारत का संविधान अपने नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है।

धर्म मानव को नैतिक जीवन की ओर प्रेरित करता है। इससे प्रभावित होकर, लोग अपने चरित्र को धर्म द्वारा स्थापित आदर्शों के अनुसार मोड़ने का प्रयास करते हैं। धर्म हमें प्राचीन समय से प्रेरक नागरिक जीवन, मानवता, सहचर भावना, विश्वव्यापी बंधुता, समाज के समूहों, उपसमूहों तथा व्यक्तियों में राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता का पाठ पढ़ाया है।

परंतु समकालीन भारत में धर्म के नाम पर लोग प्रेम तथा उदारता के स्थान पर घृणित तथा संकीर्ण मानसिकता उत्पन्न कर रहे हैं। अन्य धर्मावलंबियों पर भयंकर क्रूरता की गई है।

यदि धार्मिक व्यवस्था को कायम करना है तो इसके लिए, धर्म को मानव कल्याण का एक माध्यम बनना चाहिए। इसे समाज के अनुशासन तथा आध्यात्मिक उत्थान का एक उपकरण होना चाहिए। बच्चों को सभी धर्मों के मूल सिद्धान्तों तथा आदर्शों से परिचित कराना चाहिए। यह इसलिए कि विभिन्न धर्मों में मानवीय तथा अन्य संबंधित मूल्यों की विरासत कहानी, कथन, तथा मस्तिष्क उद्वेलन के रूप में विद्यालयी पाठ्यचर्या के रूप में होना चाहिए।

v) विधिक व्यवस्था

सरकार का कोई भी रूप हो, प्रत्येक समाज के लिए शासन के रूप में विधियाँ आवश्यक हैं जो सामाजिक जीवन के संचालन के लिए तैयार की गई हैं। भारतीय संविधान के प्राधिकार के अंतर्गत "शिक्षा का अधिकार" प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। वैश्विक रूप से, शिक्षा का संवैधानिक अधिकार अपना विधिक आधार मानव अधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) के अनुच्छेद 26(2) से प्राप्त करता है जो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का संवैधानिक अधिकार है। इस कानून का पालन करना आवश्यक है तथा उल्लंघन करना समुदाय के संगठित बल या न्याय तंत्र द्वारा दण्डनीय है। कौन निर्णय करेगा कि राष्ट्र में कितना धन उपयोग किया जा सकता है तथा कब तक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी? इसे समाज में सामाजिक अनुशासन कायम रखने के लिए वैधानिक ढंग से अनुकरण करना है। भारतीय अपेक्षाओं को इस सम्बन्ध में कुशल कार्य तथा पहले समाधान के लिए विधिक व्यवस्था को मजबूत करना है, जिससे कि नागरिकों को उन्हें समाज के बुरे तत्त्वों से रक्षा तथा सुरक्षा के लिए इसमें विश्वास हो।

अपनी प्रगति की जाच करें —2

नोटः (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

3. सामाजिक व्यवस्था को आप कैसे परिभाषित करेंगे?

....

....

....

PDF Compressor Free Version

4. सामाजिक व्यवस्था के कौन–कौन से घटक हैं?

....

....

....

....

5. आर्थिक व्यवस्था अन्य सभी व्यवस्थाओं से कैसे संबंधित है?

....

....

....

....

2.3.3 सामाजिक न्याय

विश्व स्तर पर समाज, सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर पदानुक्रम द्वारा पृथक किया जाता है। सामाजिक प्रतिरूप समाज में असमान रूप से वितरित हैं।

यंग एवं मैक के शब्दों में, "अधिकांश समाजों में लोग एक–दूसरे को वर्गों तथा पदों में वर्गीकृत करते हैं, ये वर्ग ऊपर से नीचे पंक्तियों में होते हैं। इस प्रकार की श्रेणियों को परिभाषित करना सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है तथा क्रमित श्रेणी का परिणामी समूह स्तरीकरण संरचना कहलाता है" (माथुर, 1992, पृ.269)। श्रेणियाँ स्वयं में स्तर कहलाती हैं जो वर्ग के नाम से लोकप्रिय हैं। भारत में, अमीर तथा गरीब, पुरुष तथा स्त्री, श्रमिक तथा नियोक्ता के मध्य अंतर मौलिक समस्याएँ हैं। समाज के संपूर्ण विस्तार पर विचार करते हुए स्तरीकरण व्यवस्था में उपयुक्त सामाजिक विशेषताओं के तीन प्रकार हो सकते हैं। ये सभी हैं: (1) जैविक कारक, जैसे: आयु, लिंग, प्रजाति तथा सम्बन्धी; (2) वर्ग विशेषताएँ जैसे व्यवसाय, धन एवं शक्ति; (3) विशेष मानसिक विशेषताएँ जैसे प्रतिभा तथा व्यक्तित्व।

परंतु कभी–कभी, स्तरीकरण संगत सामाजिक बल के रूप में कार्य करता है। मान्यता एक एकीकृत बल हैं, इसके द्वारा स्तरीकरण के प्रयोग के माध्यम से समाज अधिक संगत (जुड़ाव की प्रकृति) होता है। इसलिए यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि स्तरीकरण का अर्थ विभाजन तथा जुड़ाव दोनों हो सकता है।

हमारे समाज में धन, आय तथा मौलिक सेवाओं का असमान वितरण है। अभी तक अधिकांश लोग एक दिन में दो समय का भोजन नहीं प्राप्त करते हैं। महिलाएँ अभी भी कुछ समाजों/क्षेत्रों में समान दर्जा नहीं प्राप्त करती हैं। ऐसे परिदृश्य में सामाजिक न्याय की अवधारणा कैसे उपयुक्त हो सकती है। शिक्षा के माध्यम से इस स्तरीकरण की समस्या का समाधान किया जा सकता है। भारतीय समाज में यह सामान्य परिस्थिति है। एक तरफ जाति के साथ स्तरीकरण की बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है तो दूसरी तरफ वर्ग भावना आधारित शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से और अधिक वर्ग आधारित स्तरीकरण को मनःस्थापित किया जा रहा है।

जब एक व्यक्ति छोटे पद से बड़े पद पर आसीन होता है तब वह वर्ग संरचना में अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है। व्यक्ति सामाजिक रूप से गतिशील कहा जा सकता है जब वह एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में जाता है। जब समाज का एक व्यक्ति

PDF Compressor Free Version

सामाजिक या आर्थिक पदानुक्रम में ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है तो यह ऊर्ध्वगामी गतिशीलता कहलाती है। क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता, एक व्यक्ति का एक समूह से अन्य समूह में समान स्तर पर गतिशीलता है। स्तर में कोई परिवर्तन नहीं है बल्कि केवल सम्बन्ध (सामाजिक सम्बन्ध) में परिवर्तन है।

सामाजिक न्याय लाने के क्रम में, शिक्षा को अपनी भूमिका अवश्य निभानी चाहिए। निःसंदेह, सरकार ने सभी जाति, पंथ तथा आस्था से संबंधित सभी पुरुष तथा स्त्री को समान अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न नीतियों को प्रारंभ किया है। परिवर्तन लाने के बहुत से रास्ते हैं। लोग परिष्कृत विचार तथा सोच के परिणामस्वरूप प्रगति प्राप्त करते हैं। उनको समाज में समायोजन सीखना पड़ेगा। शिक्षा लोगों में प्रगति तथा सुधार की इच्छा को मनःस्थापित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, लोगों को सामाजिक निष्ठा भी सीखनी होगी।

सामाजिक गतिशीलता

सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक व्यवस्था में गतिशीलता तथा परिवर्तन की प्रकृति को प्रदर्शित करती है। हम लोगों ने व्यवसाय, जीवन स्तर, कार्य, कार्य की प्रकृति, रूढ़िवाद से उदार मानसिकता तथा बहुत–सी सामाजिक घटनाओं की स्वीकारोक्ति के रूप में परिवर्तनों की अनुभूति की है। यह सामाजिक गतिशीलता के कारणस्वरूप है। सामाजिक गतिशीलता कई प्रकार की हो सकती हैं जैसे : क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, उधोगामी गतिशीलता, अधोगामी गतिशीलता, अंतरपीढ़ीय गतिशीलता, अंतःपीढ़ीय गतिशीलता तथा व्यावसायिक गतिशीलता। हम प्रत्येक सामाजिक गतिशीलता पर कुछ निश्चित चर्चा करेंगे। आप इस खंड की इकाई–3 में सामाजिक गतिशीलता पर विस्तार से अध्ययन कर सकेंगे।

क्षैतिज गतिशीलताः इस प्रकार की सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति अपने स्तर या व्यवसाय को बदलता है, परंतु कुल मिलाकर सामाजिक स्थिति समान रहती है। उदाहरणार्थ, यदि एक अभियंता या एक चिकित्सक अपने व्यवसाय को बदलकर इंजीनियरिंग कालेज तथा मेडिकल कालेज में शिक्षण करते हैं तब व्यक्ति की मूल स्थिति समान रहेगी। इस प्रकार की सामाजिक गतिशीलता क्षैतिज गतिशीलता कहलाती है।

ऊर्ध्वाधर गतिशीलताः ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का अर्थ व्यवसाय, आर्थिक स्थिति तथा राजनीतिक स्थिति का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन होना है। समाज में आरोही तथा अवरोही ऊर्ध्वाधर गतिशीलता दोनों हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, यदि एक पंचायत का सरपंच एक विधान सभा सदस्य (विधायक) या लोकसभा सदस्य (सांसद) बनता है तो यह आरोही ऊर्ध्वाधर गतिशीलता कहलाती है। यहाँ गतिशीलता आरोही तथा अवरोही दोनों ही तरफ गमन कर सकती है। इसके विपरीत यदि यह उच्च सामाजिक या व्यावसायिक स्थिति से निम्न स्तर की तरफ होती है तो यह अवरोही ऊर्ध्वाधर गतिशीलता कहलाती है।

क्रियाकलाप 1

सामाजिक गतिशीलता की चर्चा के अनुसार, आरोही, अवरोही, अंतरपीढ़ीय तथा अंतःपीढ़ीय गतिशीलता में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए।

....

....

....

....

PDF Compressor Free Version

अपनी प्रगति की जाच करें —3

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

6. भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण के मानक क्या हैं?

....

....

....

....

7. सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं?

....

....

....

....

8. सामाजिक न्याय के प्रावधान में शिक्षा कैसे सहायता करती है?

....

....

....

....

2.3.4 सार्वभौमिकतावाद

सार्वभौमिकतावाद की अवधारणा व्यापक रूप में समावेशी है, इसका अर्थ है कि यह सभी के लिए निरापवाद रूप से विस्तृत है। अतः यह सभी वर्ग या श्रेणी को विचाराधीन रूप से सम्मिलित करता है। यह आवश्यक रूप से "एक में सभी" को समझता है जो अपवाद की अनुमति नहीं देता है।

सार्वभौमिकतावाद सार्वभौम उपयोग या उपयोगिता के साथ धार्मिक, आध्यात्मिकता तथा दार्शनिक अवधारणा है। विश्वव्यापी सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धों के आगमन के साथ, गृह को एक इकाई या गाँव के रूप में समझा जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य तथा अंतःक्रिया होने के कारण देश एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तथा भौगोलिक सीमाओं को पार कर रहे हैं। हम एक व्यक्ति या एक राष्ट्र के रूप में अलग रह कर अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरु एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने इसे पहले ही अनुभव किया था। सभी देशों के मध्य मित्रता, प्रेम तथा सहिष्णुता जैसी भावना आवश्यक है। परंतु हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इसे समझना है ताकि भविष्य सुरक्षित हो।

विश्व शांति या सार्वभौमिकतावाद के लिए बड़ा खतरा विभिन्न देशों की राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ हैं। व्यक्तिगत हित में, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को प्रगति कराना नहीं चाहता है अथवा प्रगति करते हुए नहीं देख सकता है।

PDF Compressor Free Version

लोगों का शक्ति तथा प्रतिष्ठा का लालच सार्वभौमिकतावाद की प्राप्ति में खतरा है। यह महत्त्वपूर्ण समय है कि सभी देशों को अनुभूति करना चाहिए कि जर्मनी तथा अन्य राष्ट्रों के बीच शत्रुता के कारण यहाँ तक कि प्रथम विश्व युद्ध भी लड़ा गया। विश्व युद्ध की हानि को हमें भूलना नहीं चाहिए।

सार्वभौमिकतावाद लाने के लिए सभी स्तरों से प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास के लिए सहयोग, सहिष्णुता तथा परस्पर विश्वास, निर्भरता तथा मित्रता का एक वातावरण निर्मित होना चाहिए। यह समय की माँग है।

प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रम में वैश्विक समझ के लिए शिक्षण का स्थान होना चाहिए। हमें अपनी शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया की योजना तथा संरचना इस तरह बनानी चाहिए जिससे कि बच्चों की वृद्धि वैश्विक नागरिक के रूप में हो सके।

अपनी प्रगति की जाच करें –4

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

9. "सार्वभौमिकतावाद" शब्द से आप क्या समझते हैं?

....
....
....
....

10. सार्वभौमिकतावाद के लिए क्या खतरा है?

....
....
....
....

11. सार्वभौमिकतावाद को प्रोत्साहित करने में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है?

....
....
....
....

2.4 भारतीय समाज में शिक्षा की भूमिका की प्रासंगिकता

यह व्यापक रूप में माना जाता है कि कोई समाज स्वयं को परिवर्तित या आधुनिक करना चाहता है तो वह कई साधनों का उपयोग करता है जिसमें अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शायद शिक्षा एक बहुत महत्त्वपूर्ण साधन है। शिक्षा को लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय अखंडता के आदर्शों को समझने में बहुत बड़े सहायक के रूप में माना जाता है।

PDF Compressor Free Version

शिक्षा लोगों में मूल्यों तथा अभिवृत्तियों के परिवर्तन तथा उनमें सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तेजना तथा आवश्यक प्रेरणा के निर्माण के लिए अपेक्षित मानी जाती है। शिक्षा आवश्यक निपुण व्यक्ति का निर्माण कर सकती है जो आत्म संतुष्ट होकर आत्म बोध का प्रयास कर सकते हैं।

भारतीय संदर्भ में, शिक्षा को भारतीय समाज के संजोए हुए महत्त्वाकांक्षाओं की प्राप्ति में एक प्रभावी उपकरण होना है। यह निम्नलिखित चर्चा किए गए प्रकरणों के अनुसार पूर्ण किया जा सकता है।

2.4.1 आत्मसम्मान तथा सम्मान

समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान में, आत्मसम्मान व्यक्ति के स्वयं के मूल्य का कुल व्यक्तिनिष्ठ भावनात्मक मूल्यांकन को दर्शाता है। यह किसी के निर्णय के साथ–साथ उसका स्वयं के प्रति एक अभिवृत्ति है। आत्मसम्मान विश्वास तथा भावनाओं की ओर इंगित करता है जैसे विजय (जीत), निराशा, अभिमान तथा लज्जा। यह इस रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है कि हम अपने विषय में क्या सोचते हैं। यह अपने विषय में नकारात्मक तथा सकारात्मक मूल्यांकन एवं अनुभूति करनी है।

आत्मसम्मान एक आयाम विशेष या वैश्विक स्तर पर उपयोग हो सकता है। मनोवैज्ञानिक सामान्यतः आत्मसम्मान को स्थायी व्यक्तित्व चरित्र के रूप में विचार करते हैं: यद्यपि, सामान्यतः इसका संक्षेप पद विभिन्नता भी अस्तित्व में है। आत्मसम्मान का बहुत अधिक उच्च तथा निम्न क्षेत्र विस्तार की समाप्ति तथा खतरनाक है। अतः मध्य में एक रेखा का खींचना आदर्श होगा। अतः आपका स्वयं में स्वाभिमान आत्मसम्मान कहलाता है। आत्मसम्मान की सोच अपने आपको महत्त्व देती है। यदि आप महसूस करते हैं कि आपके पास अच्छी वस्तु नहीं है तब आपके पास निम्न आत्मसम्मान, विश्वास, आत्मनिर्देशन, आशावाद, समस्या समाधान की क्षमता है। स्वयं की अच्छी देखभाल तथा साहसिक क्षमता कुछ सकारात्मक आत्मसम्मान के प्रतीक हैं।

निम्न आत्मसम्मान के लोग कुण्ठित रहते हैं। वे लोग सदैव दूसरों की निंदा करते हैं, धार्मिक मूल्यों तथा दूसरों के विश्वास का आदर नहीं कर सकते हैं। शिक्षा द्वारा लोगों में सकारात्मक आत्मसम्मान विकसित करने के लिए आवश्यक दक्षता के साथ कौशल तथा उचित अभिवृत्ति को मनःस्थापित करना चाहिए।

2.4.2 समाज तथा पर्यावरणीय जागरूकता

पारिस्थितिकी, आर्थिक तथा नैतिक विचार के दृष्टिकोण के विषय में सभी का वैश्विक समझ विकसित करने की शीघ्र आवश्यकता है। वर्तमान संदर्भ में, पारिस्थितिकी सम्बन्ध समेत मानव की प्रकृति के साथ तथा मानव का मानव के साथ सम्बन्धों को सुदृढ़ करना आवश्यक हो गया है। प्रत्येक देश को अपनी संस्कृति के अनुसार कुछ मौलिक संकल्पनाओं का अर्थ स्वयं के लिए स्पष्ट करना आवश्यक है जैसे, संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में स्पष्ट विचार तथा अन्य संस्कृति को बढ़ाने के साथ अन्य देशों के राष्ट्रीय सीमा के बाहर जीवन की गुणवत्ता तथा मानवीय सुख। यह समझना होगा कि कौन सा कार्य जैव, भौतिक तथा मानव निर्मित पर्यावरण के साथ सौहार्दपूर्वक मानवीय क्षमताओं का संरक्षण तथा सुदृढ़ीकरण तथा सामाजिक एवं व्यक्तिगत भलाई सुनिश्चित करेगा।

शिक्षा द्वारा लोगों को जागरूक बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हमें वैश्विक जनसंख्या विकसित करने की आवश्यकता है जो पर्यावरण और इससे संबंधित समस्याओं जैसे प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति के प्रति जागरूकता तथा इससे सरोकार रखती हो जिसे समाज की वर्तमान समस्याओं के समाधान तथा नवीनीकरण के संरक्षण के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से कार्य करने का ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति तथा वचनबद्धता हो। संपूर्ण

PDF Compressor Free Version

वातावरण तथा इससे संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता तथा समझ के लिए व्यक्तियों को आवश्यक रूप से सहायता की जानी चाहिए। शिक्षा को व्यक्तियों में ऐसे ज्ञान तथा मूल्यों को मनःस्थापित करना चाहिए कि एक अभिवृत्ति परिवर्तन हो तथा वे पर्यावरण से संबंधित सामाजिक मूल्यों, मजबूत भावना तथा समाज की सुरक्षा एवं सुधार में भूमिका के लिए प्रोत्साहन ग्रहण करें। विद्यालयों को पर्यावरणीय युक्तियों के मूल्यांकन तथा पारिस्थितिकी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सौन्दर्यात्मक तथा शैक्षिक कारकों के रूप में शिक्षा कार्यक्रम के लिए व्यक्तियों को सक्षम करना चाहिए।

अपनी प्रगति की जाच करें —5

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

12. किसी समाज के कार्य करने के लिए एक व्यक्ति का आत्मसम्मान तथा सम्मान कैसे आवश्यक है?

....

....

....

....

13. समाज के समस्या समाधान के लिए लोगों में पर्यावरणीय जागरूकता उनकी सहायता कैसे करती हैं?

....

....

....

....

2.4.3 आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता

आपको समझाया जाए कि हम आत्मसंतुष्टि से क्या समझते हैं? इसका अर्थ आर्थिक रूप से स्वतंत्र, आत्मनिर्भर तथा आत्मसहायक होना है। समाज को इसकी वृद्धि के लिए आवश्यक रूप से आत्मसंतुष्ट होना चाहिए। इसे खाद्य उत्पादन के विशेष सम्बन्ध में मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हमारे समाज को प्रावधान करना होगा कि सभी क्षेत्र के लोगों को आत्मसंतुष्ट होना चाहिए।

हमारी मुख्य क्षमतावान संपत्ति हमारे लोग हैं जो हल चलाते हैं, ट्रक चलाते है, लौह उद्योग या निर्माण या व्यापार पत्र टंकण कर रहे हैं। आर्थिक गतिविधियों की सभी शाखाओं के लिए मानवीय कारक सामान्य तथा महत्त्वपूर्ण हैं। राष्ट्र श्रम की संरचना तथा प्रमाविकता में शिक्षा को आवश्यक भूमिका निभानी है। जैसा कि अर्थव्यवस्था विकसित तथा विविध रूप धारण करता है तब बहुसंख्य व्यवसायों में वृद्धि होती है और इसे भरने के लिए सुशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है। राष्ट्र की आर्थिक गतिविधि की वृद्धि के लिए शिक्षा को अवश्य गतिमान होना चाहिए।

शिक्षा के प्रत्येक स्तर (प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च) पर कृषि, कार्यशाला, प्रयोगशाला तथा उद्योग में ज्ञान प्रयोग पर दृढ़तापूर्वक बल देना चाहिए।

PDF Compressor Free Version

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर, बच्चे समाज के सम्बन्ध में आधुनिक तकनीकी शब्दों को समझ प्राप्त करते हैं; वे विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में उपकरणों तथा पदार्थों के उपयोग में मूलभूत सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक अवधारणा प्राप्त करते हैं। विकसित तथा औद्योगिक रूप से विकसित देशों में, सभी विद्यार्थियों के लिए सामान्य शिक्षा के रूप में तकनीक को प्रारंभ किया जा रहा है।

कार्य अनुभव को कम–से–कम विद्यालय स्तर के पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन का उचित तथा न्यायपूर्ण उपयोग होना चाहिए। निश्चित रूप से शिक्षा ने आवश्यक प्रगति के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपभोक्ता की पद्धतियाँ प्रदान किया है परंतु लाभ सभी लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। निर्धनता, अज्ञानता, कुपोषण तथा जनसंख्या सम्बन्धी समस्याएँ लोगों की आत्मसंतुष्टि में बाधाएँ हैं। यदि हम अपने समाज को वैश्विक संदर्भ में बने रहने देना चाहते हैं तो लोगों को आर्थिक आत्मसंतुष्टि के साथ अन्य क्षेत्रों में भी आत्मसंतुष्ट होना चाहिए।

2.4.4 आत्मबोध

मानव को जैविक आवश्यकताओं जैसे क्षुधा (भूख), तृष्णा (प्यास) आदि की अपेक्षा उच्च स्तर की आवश्यकताएँ हैं। उसे प्रेम तथा आदर की भी आवश्यकता है। अब्राहम मॉसलो ने अपने आत्मबोध के सिद्धान्त को विकसित किया जो प्रोत्साहन तथा वृद्धि के प्रति सकारात्मक उपागम प्रदान करता है। उन्होंने मानवीय आवश्यकताओं को दो भागों में व्यवस्थित किया : (क) मूलभूत या निम्न स्तरीय आवश्यकताएँ (ख) उच्च स्तरीय आवश्यकताएँ।

प्रथम श्रेणी के अंतर्गत सभी शारीरिक आवश्यकताएँ, सुरक्षा आवश्यकता, सम्बन्ध, प्रेम तथा सम्मान की आवश्यकताएँ आती हैं, जबकि द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत केवल आत्मबोध की आवश्यकता है। शारीरिक आवश्यकता की संतुष्टि के पश्चात अन्य उच्च स्तर की आवश्यकताएँ महत्त्वपूर्ण हो जाती हैं।

निश्चित रूप से, यह सत्य है कि सर्वप्रथम व्यक्ति की सभी जैविक आवश्यकताएँ पूर्ण होनी चाहिए। परंतु इस धरती पर व्यक्ति को उच्च स्तर के कर्त्तव्य का भी निर्वाह करना है। शिक्षा को अपनी भूमिका निभानी चाहिए ताकि एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो जो आत्मबोध की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सोचता हो। विद्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि सम्बन्ध, धन, सामाजिक स्थिति तथा संपदा आदि पर आधारित नहीं हों। बच्चों में राष्ट्र तथा व्यक्ति के प्रति उच्च स्तर के स्थायी मूल्यों जैसे ईमानदारी, जागरूकता, सहिष्णुता, सहयोग, सम्मान आदि को मनःस्थापित करना चाहिए ताकि वे बचनबद्ध तथा समर्पित नागरिक के रूप में विकसित हों।

आत्मबोध के लिए, व्यक्ति को अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है, अतः सरकार को यह देखना होगा कि व्यक्ति के साथ–साथ समाज की प्राप्ति के लिए सभी को समान अवसर प्राप्त हों।

अपनी प्रगति की जाच करें –6

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

14. किसी समाज के लिए आत्मसंतुष्टि क्यों आवश्यक है?

....

....

....

....

PDF Compressor Free Version

15. भारत के आत्मसंतुष्टि के मार्ग में कौन–कौन सी बाधाएँ हैं?

....

....

....

....

16. आत्मबोध से आप क्या समझते हैं?

....

....

....

....

17. आत्मबोध वाले व्यक्ति से योगदान की क्या अपेक्षा की जा सकती है?

....

....

....

....

2.4.5 राष्ट्रीय विकास में सहभागिता

राष्ट्रीय विकास को प्रोन्नत करने में शिक्षा की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसका लक्ष्य राष्ट्रवाद से पूर्ण नागरिकों को तैयार करना होना चाहिए। विश्व अर्थव्यवस्था में राष्ट्रों के मध्य बढ़ता हुआ आर्थिक एकीकरण तथा प्रगतिशील आर्थिक स्वतंत्रता रही है। हमें अन्य विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। राष्ट्रीय विकास लाने में शिक्षा एक प्रभावशाली उपकरण है। इस प्रकार, भारत में शिक्षा, राष्ट्रीय विकास में प्रोत्साहित सहभागिता के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित लक्ष्य रखती है :

1. **परिदृश्य में स्वस्थ परिवर्तनः** शिक्षा को व्यक्तियों में व्यक्ति, समूह तथा संपूर्ण राष्ट्र, वस्तु, संस्थाएँ तथा प्रक्रियाओं के प्रति स्वस्थ एवं सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए।

2. **मानवीय संसाधन का विकासः** शिक्षा को आर्थिक, उद्योग, तकनीकी तथा सामाजिक क्षेत्र में कुशल एवं दक्ष व्यक्तियों को प्रदान करने पर बल देना चाहिए।

3. **अभिवृत्ति का विकासः** शिक्षा को नवीन ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्तियों पर बल देना चाहिए जो राष्ट्रीय विकास में सहायता कर सकें।

4. **लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का विकासः** शिक्षा को नागरिकों में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को मनःस्थापित करना चाहिए।

5. **राष्ट्रीय चेतनाः** शिक्षा को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लोगों को उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को देखने के लिए तथा राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहित करने के लिए स्पष्ट विचार प्रदान करने चाहिए।

PDF Compressor Free Version

6. **जीवन सूची के भौतिक गुणवत्ता में वृद्धि:** शिक्षा को मानव के जैविक भलाई तथा समाज में कुल श्रम में बौद्धिक श्रम के अनुपात पर केन्द्रित होना चाहिए।
7. **सामाजिक तथा राष्ट्रीय अखण्डता:** शिक्षा को सामाजिक तथा राष्ट्रीय अखण्डता का पाठ पढ़ाना चाहिए।
8. **आर्थिक प्रगति के लिए:** शैक्षिक कार्यक्रमों को राष्ट्रीय विकास के लिए होना चाहिए। शिक्षा का राष्ट्र तथा व्यक्ति के आर्थिक कल्याण पर बल देना चाहिए।
9. **वैज्ञानिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों का संश्लेषण:** शिक्षा आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मध्य सौहार्द ला सकती है।
10. **शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय समझ:** शिक्षा को नागरिकों में शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय समझ की भावना को मनःस्थापित करना चाहिए।
11. **पर्यावरणीय विघटन को रोकना:** यह अत्यावश्यक है।

अंत में, शिक्षा में कुछ अन्य मुद्दे जैसे लैंगिक असमानता, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरणीय जागरूकता तथा जाति, रंग, पंथ के भेदभाव के बिना सम्मान आदि को सम्मिलित करना है। हम अपेक्षा करते हैं कि यदि इन पक्षों पर ध्यान दिया जाता है तो राष्ट्रीय विकास अग्रणी होगा।

अपनी प्रगति की जाच करें —7

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

18. भारत में राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक क्या हैं?

....

....

....

....

19. राष्ट्रीय चेतना के लिए शिक्षा से आप क्या समझते हैं?

....

....

....

....

2.5 सारांश

इस इकाई में, हमने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि राष्ट्रवाद की भावना व्यक्ति को अनुभूति कराती है कि राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। हमने यह भी स्पष्ट किया है कि सामाजिक क्रम समाज की व्यवस्था है। सामाजिक न्याय तथा सामाजिक व्यवस्था को कायम रखना आवश्यक है। हमने यह भी स्पष्ट किया कि विश्व एक वैश्विक गाँव कैसे बन गया है। प्रत्येक दृष्टिकोण में वैश्विक समझ का विकास अत्यावश्यक है। समाज को आत्मसंतुष्ट होने की आवश्यकता है। सभी नागरिकों को आत्मसम्मान तथा आत्मबोध होना

PDF Compressor Free Version

चाहिए। हमने यह भी स्पष्ट किया है कि उपर्युक्त अपेक्षाएँ तभी पूर्ण हो सकती हैं जब शिक्षा अपनी भूमिका निभाती है। सभी नागरिक राष्ट्रीय विकास में योगदान के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं।

2.6 इकाई के अंत में अभ्यास

1. कल्पना कीजिए कि आप ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक हैं, आप लोगों में परिवार नियोजन का संदेश कैसे पहुँचाएँगे।
2. राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाओं की चर्चा कीजिए।
3. अनेक प्रयासों के बावजूद, लोग भाषा के आधार पर लड़ते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कुछ उपचार बताइए।
4. इस देश में आर्थिक व्यवस्था बहुत सी अपेक्षित चीजों को छोड़ती है। उदाहरण के साथ टिप्पणी कीजिए।
5. हमारे समाज में न्यायिक व्यवस्था कायम नहीं होने के क्या कारण हैं? अपनी राय दीजिए।

2.7 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

चन्द्रा, एस.एस. एवं शर्मा, आर. के., (2008). *प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन*, नई दिल्ली : अटलांटिक पब्लिशर्स।

इग्नू, (2004). *एजुकेशन एंड सोसाइटी, ई.एस.–334, खंड 2, एजुकेशन इन इंडियन कांटेस्ट*, नई दिल्ली : इग्नू।

नांदरा, आई.डी.एस., (2010). *फिलोसोफिकल, सोसियोलॉजिकल एंड इकानामिक बेसिस ऑफ एजुकेशन*, पटियाला: ट्वटी फर्स्ट सेंचुरी पब्लिशर्स।

राय, बी.सी. (1990). *सोसियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन*, लखनऊ: प्रकाश केन्द्र।

माथुर, एस.एस., (1992). *ए सोसियोलॉजिकल एप्रोच टू इंडियन एजुकेशन*, आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।

संदर्भित वेबसाइट :

http://www.en.wikipadiea.org/wiki/self-esteem

http://www.psychology.about.com/od/sintex//what_is_self-esteem.htm

www.christinyou.net/pages/universalism.html

2.8 प्रगति की जाँच हेतु उत्तर

1. राष्ट्रवाद एक टिप्पणीपूर्ण बल है जो देश के नागरिकों को एकता में बाँधता है।
2. जब विभिन्न जाति, रंग तथा पंथ के नागरिक राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का विकास करते हैं और राष्ट्र के विकास के लिए एक साथ प्रयास करते हैं।
3. व्यवस्था तथा अनुशासन जिसके अनुसार समाज कार्य करता है।

PDF Compressor Free Version

4. परिवार, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा विधिक।

5. आर्थिक समृद्धि अन्य सभी पक्षों को प्रभावित करती है। आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति अन्य सभी कर्त्तव्यों का निष्पादन कर सकता है।

6. समृद्धि, शक्ति तथा प्रतिष्ठा।

7. लोगों को शिक्षा की सहायता से समाज के निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ गतिशीलता।

8. शिक्षा जाति, रंग, पंथ के आधार पर अंतर कम करते हुए समान अवसर प्रदान कर सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करती है।

9. सार्वभौमिकतावाद, सार्वभौम उपयोग के साथ धार्मिक, वैचारिक तथा दार्शनिक संप्रत्यय।

10. शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रति लोगों की भूख। एक देश दूसरे देश की प्रगति नहीं चाहता है।

11. शैक्षिक कार्यक्रम ऐसे निर्मित होने चाहिए कि बच्चे वैश्विक मानस की वृद्धि कर सकें।

12. एक आत्मसम्मान वाला व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए सोचने के योग्य है।

13. समाज के प्रति इसके उत्थान सरोकार तथा वचनबद्धता की मजबूत भावना।

14. समाज की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए और प्रभावी संरचना के लिए।

15. गरीबी, अज्ञानता, अशिक्षा, अधिक जनसंख्या तथा प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति।

16. समाज के कल्याण के लिए उच्च स्तर की आवश्यकता।

17. ईमानदारी, सहिष्णुता, सहयोग तथा सम्मान जैसे मूल्यों को लाना।

18. पर्यावरणीय विघटन को रोकना तथा पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाना।

19. राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लोगों को देखने की आवश्यकता।

PDF Compressor Free Version

इकाई 3 शिक्षा एवं नीतियाँ

संरचना

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देश्य
3.3 शिक्षा एवं संविधान
3.3.1 शिक्षा तथा संविधान में सम्बन्ध
3.3.2 शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान
3.4 शिक्षा लोकनीति का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र : आवश्यकता एवं प्रासंगिकता
3.5 शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन
3.5.1 कार्य योजना का निर्माण
3.5.2 राजनीतिक समर्थन तथा वित्तीय प्रावधान
3.5.3 हितधारकों की सहभागिता
3.6 नीति विश्लेषण तथा नियोजन के लिए शोध
3.7 शिक्षा की योजनाएँ
3.7.1 केन्द्र प्रायोजित शिक्षा की योजनाएँ
3.7.2 राज्य प्रायोजित शिक्षा की योजनाएँ
3.8 सारांश
3.9 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन
3.10 प्रगति की जाँच हेतु उत्तर

3.1 प्रस्तावना

शिक्षा किसी राष्ट्र के संपूर्ण राष्ट्रीय विकास की कुंजी है। यह राष्ट्र के संवैधानिक प्रावधानों के पूर्वावलोकन के अंतर्गत आती है। राष्ट्र के विकास के लिए शैक्षिक नीतियाँ एवं योजनाएँ संवैधानिक विस्तार तथा प्रावधान के अनुसार बनाई जाती हैं। शैक्षिक नीतियों को बनाना ही पर्याप्त नहीं है यद्यपि नीतियों की अनुशंसाओं को क्रियान्वित करना भी आवश्यक है। नीतियों के क्रियान्वयन के लिए समुचित कार्य योजना का निर्माण, राजनीतिक समर्थन, वित्तीय प्रावधानों, विभिन्न हितधारकों का सम्मिलित होना आवश्यक है। शैक्षिक नीतियों के मूल्यांकन तथा इसके क्रियान्वयन के लिए बेहतर सुझाव हेतु प्रतिपुष्टि तथा नीति विश्लेषण एवं योजना पर शोध एक अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न शैक्षिक योजनाओं को प्रायोजित करना भी शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन का एक भाग होता है।

इस इकाई में उपर्युक्त महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विमर्श किया गया है जो आपको शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों, देश में शैक्षिक नीतियों के समुचित क्रियान्वयन के पक्षों को समझने में सहायता करेंगे। यह इकाई आपको इस पाठ्यक्रम के खण्ड–2 में वर्णित मूल विषय तथा मुद्दों की समझ में भी सहायता प्रदान करेगी।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आपः

- भारत में शिक्षा के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों का समीक्षात्मक विश्लेषण कर सकेंगे;

PDF Compressor Free Version

- लोक नीतियों के निर्धारण के लिए शिक्षा को एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में इसकी आवश्यकता एवं प्रासंगिकता का औचित्य समझ सकेंगे;
- देश में शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों के साथ शैक्षिक नीतियों के गठन की आवश्यकता में सम्बन्ध स्थापित कर सकेंगे;
- भारत में शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन के मुद्दों एवं चुनौतियों की व्याख्या कर सकेंगे;
- नीति विश्लेषण तथा योजना की प्रतिपुष्टि तथा अनुसंधानों के महत्त्व को समझ सकेंगे; और
- भारत में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित (प्रत्यामूत) शिक्षा की विभिन्न योजनाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण कर सकेंगे।

3.3 शिक्षा एवं संविधान

एक राष्ट्र के संविधान में राष्ट्र के प्रशासन तथा विकास के लिए निर्देशक सिद्धान्त सम्मिलित होते हैं। संवैधानिक प्रावधानों, दृष्टिकोणों तथा लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के लिए नीतियों को विकसित किया जाता है। शिक्षा, संविधान का मुख्य पक्ष होता है जो देश में लोक शिक्षा के लिए विभिन्न नीतियों के विकास हेतु आधार प्रदान करता है। भारत में शैक्षिक तथा अन्य सम्बन्धित मुद्दों का निराकरण करना वास्तव में देश के लिए एक चुनौती है जहाँ सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था में विविधता तथा बहुलतावाद एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाहक के रूप में विद्यमान हैं। अतः राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करना कठिन है। यद्यपि हम विविधता तथा बहुलतावाद को अपने समाज की मजबूती मानते हैं, कमजोरी नहीं। निरंतर प्रयास सभी प्रकार की विविधता तथा बहुलतावाद को समाज के मुख्यधारा में लाने का काम किया है। इसे प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान में शिक्षा समेत विभिन्न विशेष प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इस इकाई के इस भाग में, हम लोग शिक्षा का संविधान से सम्बन्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा शिक्षा के लिए विभिन्न सांविधानिक प्रावधानों का विश्लेषण भी करेंगे।

संविधान की प्रस्तावना

भारत का संविधान

एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधि-नियमित और आत्मार्पित करते हैं।

शिक्षा सहित राष्ट्र की नीति एवं योजना आवश्यक रूप से भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निर्मित किए जाते हैं जो हमें संवैधानिक मूल्यों जैसे : न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता की प्राप्ति एवं अनुरक्षण हेतु निर्देशित करता है।

PDF Compressor Free Version

3.3.1 शिक्षा तथा संविधान में सम्बन्ध

हमारी संवैधानिक व्यवस्था के मौलिक प्रावधानों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों की दृष्टि तथा अर्थ को शिक्षा गहराई से प्रभावित करती है। हम किसे और कैसे तथा किस विषयवस्तु और रूप में शिक्षा प्रदान करें, इस पर संविधान का समान रूप से महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहता है। लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमारी शैक्षिक रणनीतियाँ तथा सुधार संविधान द्वारा निर्धारित मानकों के परिप्रेक्ष्य में अपनाई तथा मूल्यांकित की जाती है। दूसरी तरफ नीति निर्माताओं द्वारा विकसित तथा उपयुक्त नीतियाँ संविधान के दायरे में वृद्धि करती हैं तथा विकसित होती हैं। शिक्षा तथा संविधान के मध्य सम्बन्ध की प्रकृति का परीक्षण एक रोचक विषय है। लोक शिक्षा संदर्भ तथा मूलभूत संवैधानिक सिद्धान्तों के विकास के मध्य अंतःक्रिया विद्यालय परिसर के अंदर तथा बाहरी दोनों संदर्भों में उपयोगी है। दूसरी विमा (क्षेत्र) स्पष्ट तथा छिपी हुई पाठ्यचर्या है जो संविधान के विकास तथा अनुप्रयोग से सम्बन्धित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में, हम लोक शिक्षा तथा संविधान के मध्य निकट सम्बन्ध को देख सकते हैं। अनिवार्य शिक्षा बच्चों तथा उनके अभिभावकों को यह सुनिश्चित करती है कि वे संवैधानिक वचनबद्धता को पूर्ण करने के लिए कार्य हेतु राज्य से चुनौतीपूर्ण अंतःक्रिया करेंगे।

सभी बच्चों को समान तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षिक रणनीतियों के विकास पर भी संविधान प्रभाव डालता है जो निरंतर अनुरीक्षण का विषय है। अन्य शब्दों में, शिक्षा में कोई भी नीति एवं अभ्यास (अन्य क्षेत्र में) संवैधानिक अनुरीक्षण तथा सांविधानिक शर्तों के रूप में निर्धारित स्वीकार्यता मानकों से सम्बन्धित विषय हैं। नीतियों का चयन तथा निर्माण यह प्रतिबिम्बित करता है कि हम क्या हैं तथा एक राष्ट्र के रूप में क्या होना चाहते हैं?

3.3.2 शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक प्रगति की अवधारणा तथा उनकी दृष्टि में न्यायप्रिय तथा समतामूलक समाज में शिक्षा आंदोलनकारी भूमिका निर्वाहक के रूप में है। भारत में सामाजिक रूप से वंचित लोगों के उद्धार में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को उनके शब्दों में समुचित रूप से अभिव्यक्त किया जा रहा है:

> *"जैसा कि मैं हिन्दू समाज के सबसे निचले स्तर से सम्बन्ध रखता हूँ, मैंने जाना कि शिक्षा का मूल्य क्या होता है। निचले स्तर के उत्थान में आर्थिक समस्या का होना, महान भूल है। भारत में निचले स्तर का उत्थान उनको भोजन कराना, वस्त्र पहनाना, तथा उच्च स्तर पर सेवा कराना नहीं है...... समस्या, उनमें से हीनभावना को निकालना है जिसने उनकी प्रगति को अवरुद्ध किया है .... उनमें उनके जीवन तथा राष्ट्र के प्रति महत्त्व की चेतना का निर्माण करना है ...... जो वर्तमान व्यवस्था द्वारा क्रूरतापूर्वक लूटा गया है ... शिक्षा के विस्तार के अतिरिक्त कुछ भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। यह, मेरे विचार में, हमारे सामाजिक व्याधि का उपचार है।"*

(भट्टाचार्य, 2002)

केवल डॉ. अम्बेडकर ही नहीं यद्यपि, हम पाते हैं कि विश्व स्तर पर जाति व्यवस्था तथा भेदभाव को समाप्त करने, दमन पर नियंत्रण के लिए आंदोलनों ने सदैव शिक्षा को एक प्राथमिक अस्त्र के रूप में प्रस्तुत किया है (ओमवेदट, 1993)। शिक्षा को मुख्यधारा में लाने के लिए, देशवासियों को शिक्षित करने के लिए भारतीय संविधान अपने प्रावधानों में व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। भारतीय संविधान में निहित विशेष शैक्षिक प्रावधानों पर विमर्श किया जाए।

मौलिक अधिकार तथा शिक्षा

हमारे संविधान में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों में समानता की भावना को स्थापित

PDF Compressor Free Version

किया गया है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करने में सहायता करते हैं। मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित अनुच्छेद भारत में शिक्षा पर विशेष बल देते हैं।

अनुच्छेद 14 – "राज्य भारतीय क्षेत्राधिकार में किसी व्यक्ति को विधि है के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से इन्कार नहीं करेगा।" आधुनिक राज्य व्यक्तिगत स्तर पर शक्तियों का प्रयोग करते हैं। समानता के अधिकार का आशय यह सुनिश्चित करना है कि राज्य शक्तियों का उपयोग विभेदकारी रूप में न करें। शिक्षा के संदर्भ में प्रवेश नियमों को नियंत्रित करने के लिए यह कार्य करेगा और इस प्रकार यह सभी तक शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है।

अनुच्छेद 15 – राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह भारत में शैक्षिक अवसरों में समानता भी सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 15(4) – यह सरकार को पिछड़े वर्गों समेत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान बनाने के लिए सक्षम बनाता है। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण को भी सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 16(1) – राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों पर भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी प्रदान करता है।

अनुच्छेद 16 (4) – नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों के आरक्षण के लिए विशेष उपबन्ध करने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 21(क) – राज्य को छह से चौदह वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान निर्धारित करना है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा सम्मिलित किया गया है। यह अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक विस्तार सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा को अधिकार की स्थिति प्रदान किया है।

अनुच्छेद 24 – 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी उद्योग, खनन या अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 28 – राज्य द्वारा चलाए जा रहे संस्थान न तो कोई धार्मिक उपदेश और न ही धार्मिक शिक्षा देंगे और किसी भी धर्म के व्यक्तियों का समर्थन करेंगे। इस अनुच्छेद के अधीन, राज्य या अन्य कोई अभिकरण पूर्णतः राज्य प्रबंधित किसी भी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता है यद्यपि, किसी न्यास या धार्मिक संस्थान द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट है। इसके आगे अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य पोषित या अनुदानित विद्यालय में कार्यरत किसी व्यक्ति को बिना उनके माता–पिता के सहमति के किसी भी धार्मिक अनुदेश में भाग लेने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। इसका अभिप्राय है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित संस्थान जो राज्य से अनुदान (सहायता) प्राप्त करने के योग्य हैं, वे संस्थान में प्रदान की जा रही धार्मिक शिक्षा का अनुसरण करने के लिए अपने विद्यार्थियों को विवश नहीं कर सकते। किसी भी विद्यार्थी पर अपनी धार्मिक विचारधारा को थोपे बिना वे अपने धार्मिक स्वरूप को बनाए रख सकते हैं।

अनुच्छेद 46 – राज्य विशेष संरक्षण के साथ कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करेगा और विशिष्ट रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण के सभी रूपों से रक्षा करेगा।

PDF Compressor Free Version

अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

किसी राष्ट्र की सुंदरता इसके अल्पसंख्यक जनसंख्या की देखभाल में निहित है। समाज में अल्पसंख्यक समुदायों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान उनके लिए बहुत से शैक्षिक प्रावधान प्रदान किया है। कुछ मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

अनुच्छेद 29 – यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सुनिश्यतता प्रदान करता है:

- नागरिकों का कोई भी समूह भारत के राज्याधिकार या इसके किसी अन्य भाग में निवास करते हैं जिनकी एक निश्चित भाषा, लिपि या संस्कृति है उन्हें इसे संरक्षित करने का अधिकार होगा।
- किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षिक संस्थान में केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक कारण से प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जा सकता है।
- यह अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा में शिक्षा विशेषकर भाषा संरक्षण के एक महत्वपूर्ण भाग के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है।

अनुच्छेद 30 – शिक्षा के लिए सरकारी अनुदानों की प्राप्ति में भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण के विषय में विस्तार (स्पष्टीकरण) करता है:

- सभी भाषायिक या धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और प्रबंधन करने का अधिकार होगा।
- अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रबंधित किसी भी शैक्षिक संस्थान की किसी भी सम्पत्ति के आवश्यक अधिग्रहण के लिए नियम निर्माण में, खंड 1 में उल्लेखित, राज्य को सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार की संपत्ति अधिग्रहण के लिए ऐसी विधि के अंतर्गत निर्धारित या निश्चित राशि इस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित अधिकार को प्रतिबंधित या निषेधित नहीं करे। राज्य भाषायिक तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अंतर्गत किसी शैक्षिक संस्थान को अनुदान प्रदान करने में भेदभाव नहीं करेगा।
- अंतिम खंड राज्य को शैक्षिक नियंत्रण के लिए निर्देशित नहीं करता है परंतु मातृभाषा में शिक्षा से सम्बन्धित नियामकों को संरक्षित करता है जो अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रावधान स्वरूप न्यायालयों में भी मान्य रहा है।

अनुच्छेद 350 – यह लोगों की "शिकायतों के निवारण हेतु निरूपण" में अपनी समझ की भाषा के उपयोग का अधिकार सुनिश्चित करता है। संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा भाषायिक अल्पसंख्यक मुद्दों के निराकरण के लिए निम्नलिखित दो अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया :

अनुच्छेद 350 (अ) – यह प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए सुविधाओं को संरक्षित करने का प्रावधान करता है। राज्य के अंदर तथा प्रत्येक राज्य तथा स्थानीय प्राधिकार का यह प्रयास होगा कि वे भाषायी अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करें। राष्ट्रपति किसी भी राज्य को दिशा निर्देश निर्गत कर सकता है यदि वह इस प्रकार की सुविधाओं के प्रावधानों की सुरक्षा आवश्यक या उचित समझता है।

PDF Compressor Free Version

अनुच्छेद 350 (ब) – यह भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के विषय में बात करता है:

- भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

- विशेष अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा विषयों से सम्बन्धित सभी बातों की जाँच–पड़ताल (निरीक्षण) करें और जैसा राष्ट्रपति द्वारा निर्देश हो, इन विषयों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को दें और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेंगे और राज्यों की सम्बन्धित सरकारों को प्रेषित करेंगे।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त तथा शिक्षा

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 में सम्मिलित किए गए हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत तीन मार्गदर्शक प्रावधान हैं जो शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं के लिए आधारभूत ढाँचा प्रदान करते हैं। ये हैं:

- **अनुच्छेद 41** – यह राज्य को उसकी आर्थिक क्षमताओं और विकास की सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार और सभी के लिए शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधानों के निर्माण करने के लिए निर्देशित करता है।

- **अनुच्छेद 45** – राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में एक महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद होने के नाते, यह देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नींव रखता है। अनुच्छेद के अनुसार "राज्य इस संविधान के प्रारंभ होने के दस वर्षों के अंदर बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा जब तक कि वे चौदह वर्ष तक की आयु पूरी नहीं कर लेते।" 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए, अनुच्छेद 21ए के सन्निवेश के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया है तथा इसका क्षेत्र 6 वर्ष तक की आयु तक पूर्व–प्राथमिक शिक्षा तक सीमित है।

  संविधान में कोई भी अनुच्छेद भिन्न रूप में कार्य नहीं करता है। यही बात अनुच्छेद 45 के लिए भी सत्य है। अनुच्छेद 29(2) की पंक्तियों के आधार पर यह सभी के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता को सुनिश्चित करता है जिसके अनुसार राज्य द्वारा संचालित किसी संस्था में किसी को भी मूलवंश/प्रजाति, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21(अ) जो सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है तथा अनुच्छेद 45 के समान महत्वपूर्ण है। 15, 29(2), 15(3), 46 और 29(1) भारत सरकार को देश के सभी भागों में शैक्षिक अवसरों की समानता के उत्तरदायित्व को सौंपता है तथा राज्यों या पिछड़े हुए क्षेत्रों को विशेष सहायता प्रदान करता है।

- **अनुच्छेद 46** – इसके अनुसार *"राज्य कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को विशेष उत्तरदायित्व के साथ प्रोत्साहित करेगा तथा इन्हें सामाजिक अन्याय और सभी तरह के शोषणों से रक्षा करेगा।" इस प्रकार, अनुच्छेद 46 शिक्षा से संबंधित अन्य*

PDF Compressor Free Version

प्रासंगिक अनुच्छदों के साथ विभिन्न कारणों से पीछे छूटे हुए लोगों हेतु विशेष प्रावधानों की व्यवस्था द्वारा शैक्षिक अवसरों में गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को एक–दूसरे के पूरक के रूप में देखना संभव है। मौलिक अधिकार सरकार को कुछ करने के लिए बाध्य करते हैं जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को कुछ करने के लिए परामर्श देते हैं। मौलिक अधिकार मुख्यतः व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत संपूर्ण समाज की भलाई को सुनिश्चित करते हैं।

(स्रोत : उपरोक्त भाग डी.ई.एल.ई.डी., बी.ईएस.–004, खंड–2 इग्नू से लिया गया है)

क्रियाकलाप 1

क्या संविधान मौलिक अधिकारों को भारत में गरीब तथा अशिक्षित महिलाओं तक पहुँचाता है? क्या मौलिक अधिकार महिलाओं के हितों की रक्षा करते हैं? कैसे?

....

....

....

....

....

....

....

....

अपनी प्रगति की जाच करें –1

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. शिक्षा भारत के संविधान से कैसे सम्बन्धित है?

....

....

....

2. कौन–सा संवैधानिक अधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों का उल्लंघन करेगा?

i) यदि एक 10 वर्ष का बच्चा कालीन निर्माण उद्योग में कार्य कर रहा है।

....

....

....

....

PDF Compressor Free Version

ii) यदि लोगों के एक समूह को कर्नाटक में बंगाली माध्यम के विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है।

....

....

....

....

iii) एक संस्थान जो राज्य सरकार के अनुदान का उपयोग करता है और एक बच्चे की जाति या धर्म के कारण प्रवेश से इंकार करता है।

....

....

....

....

3.4 शिक्षा लोकनीति का महत्वपूर्ण क्षेत्र : आवश्यकता एवं प्रासंगिकता

कोच्रेन आदि सभी, 2009 ने लोकनीति को इस प्रकार परिभाषित किया है – "लोक सम्बन्धित मुद्दों के समाधान के लिए सरकारी संस्था या कार्यालय द्वारा कार्य के लिए संकल्पित रूप में अनुकरण किया गया मार्ग।" इस प्रकार के कार्य को करने की विधियाँ परिणामतः विधि, लोक दस्तावेज, कार्यालय नियम तथा लोक व्यवहार का दृश्यमान प्रतिरूप हो जाते हैं। अधिकांश लोकनीतियाँ कुछ निश्चित कारणों के लिए विकसित की जाती हैं। एक उदार सरकार सदैव देश के विभिन्न पक्षों की भलाई के लिए कार्य करती है जैसे : स्वास्थ्य शिक्षा, आधारभूत संरचना, सामाजिक क्षेत्र, व्यवसाय तथा आर्थिक कार्य आदि। देश का विकास लोकनीतियों पर निर्भर करता है कि देश ने क्या स्थापित तथा क्रियान्वित किया है। लोकनीतियों के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ये देश के लोगों को लाभ पहुँचाते हैं, तथा इनके विकास से जुड़े हैं। शिक्षा को सदैव लोकनीति का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। किसी देश में शिक्षा का विकास सभी क्षेत्रों के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के विकास के साथ आवश्यक रूप से सम्बन्धित हैं। अतः, शिक्षा लोकनीति के योजना में महत्त्वपूर्ण स्थिति ग्रहण करती है।

विश्व बैंक के 2011, 2012 तथा 2013 के आँकड़ों के अनुसार विश्व के चयनित देशों में शिक्षा पर व्यय के प्रतिशत निम्नलिखित हैं:

तालिका 3.1 : चयनित देशों में शिक्षा पर व्यय

देश	शिक्षा पर कुल सरकारी व्यय (सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)			शिक्षा पर कुल सरकारी व्यय (सरकारी व्यय का प्रतिशत)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
ऑस्ट्रेलिया	5.1	4.9	–	13.5	13.2	–
ब्राजील	6.1	6.3	–	15.3	15.6	–

PDF Compressor Free Version

फ्रांस	5.5	5.5	–	9.9	9.7	–
भारत	3.9	3.9	–	14.2	14.2	–
जापान	3.8	3.8	3.8	9.7	9.5	9.6
न्यूजीलैंड	7.1	7.4	–	17.9	18.7	–
पाकिस्तान	2.2	2.1	2.5	11.0	10.9	11.6
दक्षिण अफ्रीका	6.0	6.4	6.0	18.9	20.6	19.2
श्रीलंका	2.0	1.7	–	9.3	8.8	–
यू.के. (ब्रिटेन)	5.8	–	–	12.7	–	–
संयुक्त राज्य अमेरिका	5.2	–	–	12.9	–	–

(स्रोत : विश्व बैंक, 2015)

तालिका 3.1 चयनित देशों के शिक्षा पर व्यय (सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत तथा सरकारी व्यय का प्रतिशत) प्रकट करता है। यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षा पर सरकार का सामान्य व्यय (नकद, पूँजी तथा हस्तांतरण) सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत तथा सभी क्षेत्रों (स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज सेवा आदि) के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत तथा कुल सामान्य सरकारी व्यय के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह सरकार के लिए विदेशी स्रोतों से हस्तांतरण द्वारा प्राप्त वित्त के व्यय को सम्मिलित करता है। यह शिक्षा पर व्यय का बजटीय प्रावधान का एक उदाहरण है। आपने उपर्युक्त आँकड़ों का अवश्य अवलोकन किया होगा कि विकसित देशों का व्यय विकासशील देशों की तुलना में सामान्यतः अधिक है। इसका अर्थ है कि देश के अन्य क्षेत्रों के विकास में आवश्यक रूप से उस क्षेत्र विशेष पर केवल व्यय नहीं बल्कि यह उनके शिक्षा में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत तथा सरकारी व्यय के प्रतिशत पर निर्भर करता है।

निष्कर्षतः निम्नलिखित कारणों से "शिक्षा लोकनीति का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र" है:

- शिक्षा देश में अन्य क्षेत्रों के विकास से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका स्वास्थ्य, समाज सेवा, रक्षा, संचार तथा जनसंपर्क, व्यापार तथा उद्योग आदि से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है।
- देश के लोगों को शिक्षित करना सरकार का कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्त्व है।
- शिक्षा पर पर्याप्त व्यय प्रशिक्षित तथा कुशल मानव शक्ति के निर्माण को सक्षम बनाता है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश के विकास के लिए कार्य करते हैं।

उपर्युक्त पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए, यह उचित तरीके से कहा जा सकता है कि "शिक्षा राष्ट्र के लोकनीति का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।"

PDF Compressor Free Version

क्रियाकलाप 2

तालिका 3.1 चयनित देशों में शिक्षा पर व्यय के तुलनात्मक चित्र का विश्लेषण करता है। इस सम्बन्ध में, वर्ष 2011–2015 के लोकनीति के अन्य क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद पर सरकारी व्यय के विषय में सरकारी स्रोतों से सूचना एकत्र कीजिए तथा शिक्षा पर व्यय से इसकी तुलना कीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

3.5 शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन

राष्ट्र के संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्र को शिक्षा के लिए लोक नीति का निर्माण तथा इसे देशभर में क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व है। इस सम्बन्ध में, आप स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में गठित समितियों तथा आयोगों की अनुशंसाओं से परिचित होंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) से प्रारंभ कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) तथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992) तक भारत ने शिक्षा में कई लोकनीतियों का अनुभव प्राप्त किया है। शिक्षा आयोग का गठन शिक्षा के उद्देश्यों को कभी पूरा नहीं कर सकता है क्योंकि नीतियों का क्रियान्वयन समान रूप से आवश्यक है। हमने शिक्षा में लोक नीतियों के क्रियान्वयन की कठिनाईयों का अनुभव किया है। कई कारणों से बहुत बार योजना के निर्धारित समय के अंदर लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है तथा आगे इसी नीति के विस्तार में यही परिणाम रहा है। उदाहरणार्थ, "प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण" की प्राप्ति भारत में नई अवधारणा नहीं है। इसे लगभग सभी शिक्षा आयोगों की संस्तुतियों में उछाला गया है तथा इसके क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। परंतु आज तक, प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर लगभग 75 प्रतिशत थी। इस सम्बन्ध में, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों के लिए एक अधिकार बनाना हमारे देश के लिए महत्त्वपूर्ण विकासों में एक है। अतः किसी शैक्षिक नीति का क्रियान्वयन कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे : कार्य योजना का निर्माण, राजनीतिक समर्थन की प्राप्ति, वित्तीय प्रावधान तथा सम्बन्धित हितधारकों की सहभागिता।

3.5.1 कार्य योजना का निर्माण

शिक्षा पर नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना का निर्माण नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग में पहला कदम है। कार्य योजना, योजना को मूर्त रूप देने तथा क्रियान्वयन के लिए एक रणनीति है। यह विभिन्न हितधारकों की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों को परिभाषित करती है जैसे, सरकार, स्थानीय इकाईयों, समूहों, व्यक्तियों तथा लाभार्थियों। यह शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर वित्तीय प्रावधानों को भी सम्मिलित करती है। किसी शिक्षा नीति की कार्य योजना के बेहतर समझ के लिए एक उदाहरण पर विमर्श किया जाए।

PDF Compressor Free Version

भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रयोग में आया। उस समय कार्य निष्पादन के लिए विस्तृत कार्य योजना तथा क्रियान्वयन की रणनीति तैयार की गयी थी। इस अधिनियम के विभिन्न भागों तथा उपभागों को क्रियात्मक रूप से परिभाषित किया तथा हितधारकों की भूमिका तथा कार्यों को निश्चित किया। इस अधिनियम के कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय सीमा भी प्रदान की गई। कुछ मुद्दों के समाधान के लिए विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की गई जैसे : कक्षाकक्ष में विद्यार्थियों तथा शिक्षक के अनुपात को सुनिश्चित करना, शिक्षक प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, बाल केन्द्रित शिक्षण, विद्यालयों में अनुपस्थिति की समस्या का समाधान, शिक्षकों में समुदाय की सहभागिता को सुनिश्चित करना, बच्चों की सुरक्षा एवं इनके अधिकारों की सुनिश्चितता, हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण की योजना, अधिनियम के विभिन्न स्तरों पर इसके क्रियान्वयन के पक्षों की प्रतिपुष्टि एवं पुनर्रीक्षण आदि। अधिनियम पूरे भारत में (जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर) लागू है, तथा राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश पूरे मन से शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्सुकतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार, देश में किसी शैक्षिक नीति के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी तथा उचित कार्य योजना के निर्माण की आवश्यकता है। यह इसलिए कि शिक्षा में जितना कार्य योजना का निर्माण महत्त्वपूर्ण है उतना ही नीतियों का निर्माण भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रों तथा विशेषज्ञता से बहुसंख्य व्यक्ति कार्य योजना की तैयारी में सम्मिलित होते हैं।

3.5.2 राजनीतिक समर्थन तथा वित्तीय प्रावधान

जैसा कि पहले चर्चा किया गया है कि "राजनीतिक समर्थन तथा वित्तीय प्रावधान" शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए एक महत्त्वपूर्ण कारक है। आप समझ गए होंगे कि किसी नीति के क्रियान्वयन के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति महत्त्वपूर्ण है। विशेषतः एक लोकतांत्रिक देश में, राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं तथा विजयी दल सरकार बनाता है। सरकार का कार्यकाल पाँच अथवा छह वर्ष का होता है। इसके पश्चात्, कोई अन्य दल जो चुनाव जीतता है वह भी सरकार बनाने का एक अवसर प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में, हम कह सकते हैं कि देश में शासन का स्थायित्व नहीं है। राजनीतिक दलों के विचार तथा दृष्टिकोण भी भिन्न हैं। सभी दलों के कार्य के अपने उद्देश्य, प्राथमिकताएँ तथा घोषणापत्र हैं। यह बहुत विचित्र बात है कि जब एक विशेष राजनीतिक दल परिवर्तित होता है और दूसरा दल देश में शासन करने के लिए आता है तो शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन स्थिर तथा उपेक्षित हो जाता है। सभी राजनीतिक दल अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करते हैं। असाधारणतः वे अन्य दलों की सरकारों के दौरान स्थापित शैक्षिक नीतियों को समान रूप से महत्त्व देते हैं। यह शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन में बाधक हैं। कई मामलों में समान रूप से देखा गया है कि नई सरकार पूर्ववर्ती सरकार के नीतियों को कायम रखती है।

समर्थन तथा वित्तीय प्रावधान भी शैक्षिक नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। उदाहरणार्थ, भारत जैसे देश में किसी शैक्षिक नीति का क्रियान्वयन करना, जहाँ जनसंख्या 125 करोड़ से अधिक तथा वृहद भौगोलिक क्षेत्र है, विशाल राशि की आवश्यकता है। यह देखा गया है कि बहुत–सी शैक्षिक नीतियाँ वित्तीय सहायता के अभाव के कारण क्रियान्वयन की कठिनाइयों से प्रभावित हैं। कभी–कभी शैक्षिक नीतियाँ क्रियान्वयन के लिए अल्प राशि प्राप्त करती हैं तथा यह भी देखा गया है कि नीतियों के लिए आवंटित राशि में विलंब होता है। ये सभी नीतियों के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसके विपरीत कभी–कभी यह भी देखा गया है कि शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है परंतु हितधारकों के मध्य समन्वय के अभाव में राशि का उपयोग

PDF Compressor Free Version

नहीं हो पाता है और राशि शेष रह जाती है तथा इस प्रकार कार्य योजना के अनुरूप कार्य प्रगति नहीं कर पाता है। अतः अब यह स्पष्ट है कि राजनीतिक समर्थन तथा वित्तीय प्रावधान शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन के मुख्य भाग हैं।

3.5.3 हितधारकों की सहभागिता

किसी भी शैक्षिक नीति के हितधारक इसके क्रियान्वयन में बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। नीति का क्रियान्वयन करना आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करना तथा लाभार्थियों को सशक्त करना है जिनके लिए नीति बनी है। उदाहरण के लिए, पुनः शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पर विचार विमर्श किया जाए। इस अधिनियम में, कई हितधारक सम्मिलित हैं जैसे, केन्द्र तथा राज्य सरकारें, स्थानीय इकाईयाँ, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदें (State Councils of Educational Research and Training – SCERTs), प्रत्यक्ष प्रशासन, ग्राम पंचायत, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, माता–पिता, समुदाय सदस्य आदि। इस अधिनियम में, यद्यपि मुख्य लाभार्थी विद्यार्थी हैं, परंतु बहुत से हितधारक अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सम्मिलित हैं। सभी हितधारकों के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु उनकी निश्चित भूमिकाएँ हैं, जैसेः

- केन्द्र तथा राज्य सरकारें अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करेंगे, वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे तथा प्रगति पर नियंत्रण रखेंगे।
- शिक्षक, माता–पिता, समुदाय सदस्य, विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee - SMC) के सदस्य, अधिनियम को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में सम्मिलित हैं।
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदें, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (District Institutes of Educational Training - DIETs) आदि अधिनियम के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं तथा क्रियान्वयन के लिए रणनीति बनाते हैं।
- जिला शैक्षिक एवं सामान्य प्रशासन, स्थानीय स्वशासन जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति आदि भी अधिनियम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित हैं।

अतः एक भी हितधारक की सहभागिता के बिना शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन समुचित रूप से नहीं हो सकता है। इसलिए, यह शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए एक महत्त्वपूर्ण कारक है।

क्रियाकलाप 3

एक शिक्षक के रूप में, आप अपने विद्यालय में विभिन्न शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन में सम्मिलित होंगे। इस प्रकार की नीतियों के नामों की सूची बनाइए तथा उन कारकों को पहचानिए जो ऐसी शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं।

....

....

....

....

....

....

PDF Compressor Free Version

अपनी प्रगति की जाँच करें – 2

नोट : (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।
(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

3. शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन में शैक्षिक नीतियों का निर्माण किस तरह से महत्त्वपूर्ण है?

....

....

....

....

4. किसी शैक्षिक नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना की तैयारी के महत्त्वपूर्ण मुद्दों की सूची बनाइए।

....

....

....

....

3.6 नीति विश्लेषण तथा नियोजन के लिए शोध

सभी विषयों में सामान्य रूप से नीति विश्लेषण तथा योजना के लिए शोध तथा विशेष रूप से शैक्षिक नीति विश्लेषण तथा योजना के लिए शोध अनुसंधान का बहुत लोकप्रिय क्षेत्र है। वर्तमान में दो प्रकार के शोध नीति विश्लेषण तथा योजना के क्षेत्र को देखा गया है। पहला, विभिन्न शोध संगठनों द्वारा प्रायोजित परियोजना शोध है तथा दूसरा पूर्णतः शैक्षिक प्रकृति का है जैसे किसी विषय में परा–स्नातक, एम.फिल या पीएच.डी.। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) "शैक्षिक नीति विश्लेषण तथा योजना" के क्षेत्र में शोध के लिए प्रसिद्ध अग्रणी विश्वविद्यालय है। नीति विश्लेषण तथा योजना के लिए शोध कार्य के उद्देश्यों की चर्चा की गई है:

- योजना के लिए आवश्यक मूल्यांकन का अध्ययन तथा शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में नीतियों का निर्माण।
- वर्तमान नीतियों के प्रावधानों तथा समाज के लिए उनके क्रियान्वयन का अध्ययन करना।
- एक ही क्षेत्र में पूर्ववर्ती नीतियों तथा नई नीतियों के लिए आवश्यक परिवर्तनों की तुलना तथा विश्लेषण करना।
- विश्व में कार्यरत समान प्रकार की नीतियों तथा समाज के लिए उनके क्रियान्वयन का अध्ययन करना।
- वर्तमान नीतियों की शक्ति, कमजोरियों, अवसरों तथा चुनौतियों (SWOT) का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

PDF Compressor Free Version

- नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना का सुझाव और तैयारी करना।
- नीतियों के क्रियान्वयन पर मध्यावधि प्रतिपुष्टि तथा मूल्यांकन अध्ययन संचालित करना।
- शैक्षिक तथा अन्य नीतियों का मूल्यांकन करना।

उपर्युक्त बिंदुओं से आप समझ गए होंगे कि नीति विश्लेषण तथा योजना के लिए शोध संचालन की क्यों आवश्यकता है। शोधकर्ता नीतियों के प्रावधानों, क्रियान्वयन पक्ष तथा मूल्यांकन का विस्तृत ज्ञान प्रदान कर सकता है। नीति विश्लेषण तथा योजना पर शोध के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

- विशेष शिक्षा नीति की आवश्यकता को समझना।
- नीति में सम्मिलित किए जाने वाले पक्षों तथा हितधारकों की चर्चा करना।
- शैक्षिक नीति में सम्मिलित मूलभूत प्रावधानों की चर्चा करना।
- शिक्षा नीति एवं योजना के क्रियान्वयन की रणनीतियों को समझना।
- शैक्षिक नीतियों की सफलता तथा असफलता के कारणों को समझना।

"शैक्षिक नीति विश्लेषण तथा योजना" के क्षेत्र में किए गए कुछ शोध निम्नलिखित हैं:

- कुमार, ए. एवं लतिका, एम. (2012). सेक्रेड गोल्स एंड इंज्यूडिसियस स्पैंडिंग: ए मिड–टर्म अप्रेजल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, केरल. *जर्नल ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* खंड XXVI, सं. 3, पृ.445–464, नई दिल्ली: एन.यू.ई.पी.ए.।
- डे, एन. (2013). रीजनल इम्बेलेंस इन टीचर एजुकेशन इन इंडिया: एन एनालिसिस ऑफ ईस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग नार्थ ईस्टर्न स्टेटस. *जर्नल ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* खंड XXVII, सं. 1, नई दिल्ली: एन.यू.ई.पी.ए.।
- बर्न्स, बी. एवं अन्य (2004). एचिविंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन बाई 2015: ए चांस फॉर एवरी चाइल्ड. *जर्नल ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* खंड 18, सं. 3, पृ.414–416, नई दिल्ली: एन.यू.ई.पी.ए.।
- ज़िंडरमेन, ए. (2005). पॉलिसी आप्शन्स फॉर स्टूडेंट्स लोन स्कीम्स: लेसन्स फ्रोम फाइव एशियन केस स्टडीज. *जर्नल ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* खंड 19, सं. 4, पृ.570–573, नई दिल्ली: एन.यू.ई.पी.ए.।
- शीन, एच. एवं ली, डब्ल्यू. (2006). ए रिव्यू ऑफ दी स्टूडेंट्स लोन स्कीम इन चाइना. *जर्नल ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* खंड 20, सं. 1, पृ.125–143, नई दिल्ली: एन.यू.ई.पी.ए.।
- एन.सी.टी.ई. (2010). पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स इन टीचर एजुकेशन: क्रिटिक्स एंड डाक्यूमेंटस. *जर्नल ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* खंड 24, सं. 2, पृ.185–187 नई दिल्ली: एन.यू.ई.पी.ए.।
- वर्ल्ड बैंक (2010). सेकेन्डरी एजुकेशन इन इंडिया: यूनिवर्सलाइजिंग आर्पच्युनिटी. *जर्नल ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* खंड 24, सं. 3, पृ.336–338, नई दिल्ली: एन.यू.ई.पी.ए.।

PDF Compressor Free Version

क्रियाकलाप 3

ऊपर उल्लेखित शोधों की तरह, "शैक्षिक नीति विश्लेषण तथा योजना" के क्षेत्र में किए गए कुछ शोधों का पता कीजिए तथा वेबसाइट में उपलब्ध जर्नल, आर्टिकल को संदर्भित करते हुए विभिन्न मुख्य परिणामों को रेखांकित कीजिए।

....

....

....

....

3.7 शिक्षा की योजनाएँ

प्रत्येक सरकार देश के लिए कार्य करने का प्रयास करती है तथा शिक्षा सहित जनजीवन के सभी क्षेत्रों में विकास लाना चाहती है। समय–समय पर, शिक्षा की आवश्यकता तथा माँग को ध्यान में रखते हुए, सरकार शिक्षा पर विभिन्न योजनाओं की घोषणा करती है। शिक्षा के लिए कोई योजना शैक्षिक नीतियों से पूर्णतया भिन्न नहीं होती है। शिक्षा की कई योजनाएँ शैक्षिक नीतियों के मुद्दों का समाधान करती हैं। अतः, शैक्षिक योजनाएँ तथा शैक्षिक नीतियाँ एक–दूसरे से सम्बन्धित हैं। शैक्षिक योजनाएँ नीति के विशेष लक्ष्यों को पूरा करती हैं वहीं शैक्षिक नीतियाँ शैक्षिक नीति के व्यापक लक्ष्य को पूरा करती हैं। उदाहरणार्थ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। नीति के लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ शैक्षिक योजनाओं जैसे मध्याह्न भोजन योजना, बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालयों की योजना, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को क्रियान्वित किया गया है। शिक्षा की प्रभावी योजनाओं का क्रियान्वयन, शैक्षिक नीतियों एवं योजना में सफलता लाता है। इस भाग में केन्द्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संचालित वर्तमान शिक्षा की कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाओं पर विचार–विमर्श किया जाए।

3.7.1 केन्द्र प्रायोजित शिक्षा की योजनाएँ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित शिक्षा की योजनाएँ संपूर्ण भारत में प्रदान की जा रही हैं:

तालिका 3.2 : केन्द्र प्रायोजित शिक्षा की योजनाएँ

योजनाओं के नाम	उद्देश्य	लाभार्थी
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (एक मौलिक अधिकार है)।	– भारत के संविधान के अनुच्छेद 21–अ को क्रियान्वित करने तथा इसके परिणामस्वरूप बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम को देश भर में 1 अप्रैल 2010 से कार्यात्मक बनाने हेतु।	प्रारंभिक विद्यालय के विद्यार्थी (कक्षा I - VIII)

PDF Compressor Free Version

	– बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्ति के अधिकार को प्रदान करना	
मध्याह्न भोजन योजना (15 अगस्त 1995 से प्रारंभ)	– बच्चों के नामांकन, ठहराव, उपस्थिति में वृद्धि तथा साथ–साथ पोषण के स्तर में सुधार।	प्रारंभिक विद्यालय के विद्यार्थी
कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय	– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आवासीय सुविधाएँ प्रदान करना। – कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की स्थापना बिखरे हुई बस्तियों (मानव निवास) के क्षेत्रों में जहाँ विद्यालय अधिक दूरी पर स्थित हैं, की जाती है।	प्रारंभिक स्तर
राष्ट्रीय बाल भवन	– बच्चों को आनंदपूर्ण वातावरण में रचनात्मक, कला, लेखन, अभिनय, शारीरिक शिक्षा, वैज्ञानिक नवाचार, फोटोग्राफी आदि के माध्यम से उनके रचनात्मकता में वृद्धि के लिए अवसर प्रदान करना।	प्रारंभिक स्तर
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) (मार्च 2009 से प्रारंभ) (नोटः राशि के समुचित उपयोग तथा बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि, केन्द्र प्रायोजित माध्यमिक शिक्षा के लिए अन्य योजनाएँ, जैसेः विद्यालय में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक (ICT), माध्यमिक स्तर पर विभिन्न	– योजना अन्य बातों के साथ-साथ, घर से उचित दूरी पर एक माध्यमिक विद्यालय प्रदान कर माध्यमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि तथा 2017 तक कुल नामांकन अनुपात का लक्ष्य 100 प्रतिशत तथा 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव पर विचार करता है।	माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत सभी विद्यार्थी (कक्षा IX - X)

PDF Compressor Free Version

रूप से सक्षमों के लिए समावेशी शिक्षा (IEDSS), व्यावसायिक शिक्षा, बालिका छात्रावास को RMSA के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।	–सभी माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करना, लैंगिक, सामाजिक–आर्थिक तथा निर्योग्यता की बाधाओं की समाप्ति के माध्यम से माध्यमिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।	
माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण (2011 में सरकार द्वारा अनुमोदित, 2013 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में सम्मिलित तथा 2014 में पुनर्रीक्षित)	–माँग आधारित दक्षता तथा बहु–व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के रोजगार में वृद्धि करना; शिक्षार्थियों को अपनी सुविधानुसार पाठ्यक्रम में एक से अधिक बार नामांकन लेने तथा समयानुसार बीच में बंद करने तथा पुनः प्रारंभ करने के प्रावधान के माध्यम से उनके दक्षता को कायम रखना तथा योग्यताओं में उर्ध्वाधर गतिशीलता/परिवर्तन की क्षमता बनाए रखना; शिक्षित तथा रोजगार के योग्य के मध्य कमी को पूर्ण करना; –माध्यमिक स्तर पर पलायन दर (बीच में छोड़ने वाले) को कम करना तथा उच्च शिक्षा पर दबाव कम करना।	माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए (कक्षा IX - X)
अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत संरचना के विकास की योजना (IDMI),	–योजना अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के औपचारिक शिक्षा के लिए सुविधाओं के विस्तार के क्रम में अल्पसंख्यक संस्थानों में संस्थागत आधारभूत संरचना को सक्षम तथा मजबूत कर अल्पसंख्यक शिक्षा में सहायता करती है।	प्रारंभिक विद्यालय

PDF Compressor Free Version

	– योजना संपूर्ण भारत में संचालित है परंतु जिला, प्रखंड तथा 20 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले नगरों में स्थित अल्पसंख्यक संस्थानों (अनुदानित/अनानुदानित) को वरीयता दी जाती है।	
मदरसों के लिए गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPQEM)	– मुस्लिम बच्चों की शिक्षा को सक्षम करने के लिए मदरसों में गुणात्मक सुधार लाना।	प्रारंभिक स्तर
आदर्श विद्यालयों की स्थापना (2008–09)	– यह प्रत्येक प्रखंड में एक आदर्श माध्यमिक विद्यालय (कुल 6,000 विद्यालय) की स्थापना का केन्द्रीय योजना है।	माध्यमिक स्तर
राष्ट्रीय सहायता सह मेधा छात्रवृत्ति योजना (2008–09)	– कक्षा 8 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के पलायन (बीच में छोड़ने) को रोकने तथा उन्हें बारहवीं कक्षा उच्चतर माध्यमिक स्तर तक (6,000 रुपए प्रति वर्ष) प्रोत्साहन के लिए योजना।	माध्यमिक स्तर
माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (2008–09)	– कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में उत्तीर्ण सभी बालिकाओं सहित आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अन्य सभी बालिकाओं (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों) के खाते में 3,000 रुपए जमा किया जाता है।	माध्यमिक विद्यार्थी
उड़ान (UDAAN) (परियोजना का लक्ष्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के न्यूनतम नामांकन का समाधान करना है।)	– शिक्षा के तीन क्षेत्रों (विमाओं) पाठ्यक्रम संरचना, पहुँच और मूल्यांकन के समाधान द्वारा विद्यालयी शिक्षा तथा इंजीनियरिंग प्रवेश के मध्य गुणात्मक कमी का समाधान करना।	माध्यमिक स्तर की छात्राएँ।

PDF Compressor Free Version

	– उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान तथा गणित शिक्षण–अधिगम की समृद्धि तथा वृद्धि करना। – छात्राओं को सशक्त तथा बेहतर अधिगम अवसरों के लिए मंच (अवसर) प्रदान करना।	

(स्रोत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट, 2014–15 तथा बी.ई.एस.–017, डी.ई.एल.ईएड., इग्नू, 2014)

क्रियाकलाप 5

आप जानते होंगे कि भारत सरकार विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए बहुत इच्छुक है। इस सम्बन्ध में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन कीजिए तथा "राष्ट्रीय कौशल योग्यता की ढाँचा अथवा संरचना" (NSQF) योजना का विश्लेषण कीजिए तथा इसकी मुख्य विशेषताओं को लिखिए।

....

....

....

....

....

....

....

3.7.2 राज्य प्रायोजित शिक्षा की योजनाएँ

केन्द्र सरकार की तरह, कई राज्य सरकारें अपने राज्य के शैक्षिक विकास के लिए कई शिक्षा योजनाएँ संचालित कर रही हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा चलाई जा रही कुछ शैक्षिक योजनाओं को निम्नलिखित रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका 3.3 : राज्य प्रायोजित शिक्षा की योजनाएँ

राज्य	कार्यक्रम	लाभार्थियों का विवरण
केरल	अतुल्यम	चौथी कक्षा पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़ने वाले, प्राथमिक विद्यालय पलायन को रोकने के लिए एक पहल है। राज्य सरकार की पहल में सहभागियों को व्यावसायिक तथा कम्प्यूटर कौशल विकास के लिए 100 घंटे की शिक्षा सम्मिलित होगी।

PDF Compressor Free Version

ओडिसा	आदर्श आवासीय विद्यालय	मयूरभंज, सुंदरगढ़, कोरापुट तथा रायगढ़ जिलों में कक्षा VI-XII के जनजातीय विद्यार्थियों के लिए नवोदय विद्यालय के अनुरूप चार आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है।
	बालिका छात्रावास	अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं में पलायन (विद्यालय छोड़ने) की जाँच के लिए प्राथमिक स्तर पर 400 बालिका छात्रावासों की स्थापना की गई है।
छत्तीसगढ़	सरस्वती योजना (निःशुल्क साइकिल आपूर्ति)	राज्य उच्च विद्यालय स्तर पर अध्ययन करने वाली अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की बालिकाएँ (2006–2009 में 45,000 के लगभग साईकिलों का वितरण किया।)
गुजरात	बालिका समृद्धि योजना	लड़कियों के नामांकन तथा ठहराव में सुधार, विवाह आयु को बढ़ाने तथा सामाजिक–आर्थिक– शैक्षिक उत्थान में सहायता के लिए।
	बाल प्रवेश	नामांकन पत्र प्रदान करते हुए बाल प्रवेश को प्रोत्साहित कर तथा राज्य में कन्या केलवानी अभियान में लड़कियों के 5,25,000 से अधिक नामांकन द्वारा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत साक्षरता दर सुनिश्चित करती है।
आंध्र प्रदेश	माबादी (अपना विद्यालय)	6 से 11 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों, 100–200 की जनसंख्या वाली छोटी बस्तियों में भी बच्चों को पहुँच प्रदान करने के लिए बनाया गया।
मध्य प्रदेश	हेड स्टार्ट	भारतीय जन्य परिष्कृत शैक्षिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ग्रामीण प्रारंभिक विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रदान कर शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना।
उत्तराखंड	बालवाड़ी	उत्तराखंड के सुदूर हिमालयी गाँवों में आर्थिक रूप से निर्धन 3–6 वर्ष के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम प्रदान करना।
महाराष्ट्र	प्रथम	प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में लाना तथा उनको सीखने में सहायता करना इसका उद्देश्य है। *प्रथम* का मानना है कि

PDF Compressor Free Version

		इसके प्रयास को निश्चित रूप से ठोस रूप धारण करना चाहिए तथा हस्तक्षेप प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सरकार की वर्तमान पहल में अनुपूरक होना चाहिए *प्रथम* सुविधाविहीन बच्चों की सेवा कर रहा है। इसके कार्यक्रम के पाँच माध्यम हैं: जैसे, विद्यालय पूर्व विद्यार्थी, विद्यालय से बाहर के विद्यार्थी, कार्यकारी बच्चे, विद्यालयी बच्चे, कम्प्यूटर आधारित अधिगम कार्यक्रम।
असम	ज्ञान ज्योति योजना	ज्ञान ज्योति योजना असम सरकार द्वारा 2004 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार विद्यार्थियों को ऐतिहासिक, भौगोलिक महत्त्व के स्थानों तथा प्रदेश के औद्योगिक नगरों के भ्रमण के लिए सभी सुविधाएँ प्रदान करती है।
	असम विकास योजना (प्रारंभिक शिक्षा)	असम विकास योजना (प्रारंभिक शिक्षा) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तथा निर्धन परिवार की छात्राओं को वित्तीय सहायता तथा छात्राओं (कक्षा I-VII) को अध्ययन सामग्री खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।

स्रोत : http://floatingsun.net/udai/files/Education-Initiatives.pdf and http://nagaon.nic.in/schmstate.html retrieved on 20.02.2015)

उपर्युक्त योजनाओं की योजना तथा प्रारंभिक शैक्षिक नीतियों के महत्त्वपूर्ण घटक के भाग हैं। यह शैक्षिक नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं।

अतः, एक भी हितधारक की सहभागिता के बिना शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन समुचित रूप से नहीं हो सकता है। शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए यह महत्त्वपूर्ण कारकों में से एक है।

क्रियाकलाप 6

आप अपने राज्य द्वारा प्रारंभ की गई शैक्षिक योजनाओं के विषय में जानते होंगे। बालिका शिक्षा से सम्बन्धित शैक्षिक योजनाएँ तथा उनके उद्देश्यों की सूची बनाइए।

....

....

....

....

....

PDF Compressor Free Version

अपनी प्रगति की जाँच करें –3

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

5. शिक्षा की योजनाएँ शैक्षिक नीतियों से कैसे सम्बन्धित हैं?

....

....

....

....

6. केन्द्र सरकार द्वारा हाल में ही प्रारंभ की गई उड़ान (UDAAN) योजना का विश्लेषण कीजिए।

....

....

....

....

3.8 सारांश

यह इकाई मुख्यत: शिक्षा एवं संविधान, शैक्षिक नीतियों तथा शिक्षा की योजनाओं से सम्बन्धित मुद्दों का वर्णन करती है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी देश की शैक्षिक योजना इसके संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होती है। इसके अनुसार, देश में शिक्षा को निश्चित आकार प्रदान करने के लिए शैक्षिक नीतियाँ बनाई जाती हैं। शैक्षिक नीतियों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा लघु शैक्षिक योजनाएँ तैयार तथा प्रारंभ की जाती हैं। उपर्युक्त उल्लेखित मुद्दों के अंतर्गत विमर्श के मुख्य क्षेत्र शिक्षा तथा संविधान के मध्य सम्बन्ध; शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान; शैक्षिक नीतियों को प्रभावित करने वाले कारक तथा केन्द्र तथा राज्य प्रायोजित शैक्षिक योजनाओं का विश्लेषण है। यह इकाई आपको आगे इस पाठ्यक्रम के 'भारत में शिक्षा के नीतिगत ढाँचा', खंड 2 को समझने में सहायता करेगी।

3.9 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

भट्टाचार्य, एस. (2002), *एजुकेशन एंड दि डिसप्रिविलेज्ड: नाइनटिन्थ एंड ट्वेंटीथ सेंचुरी इंडिया,* नई दिल्ली: ओरिएण्ट लॉगमेन।

कोच्रेन, एवं अन्य (2009). *अमेरिकन पब्लिक पॉलिसी – एन इंट्रोडक्शन* (9 वाँ संस्करण), वाड्सवर्थ सेंज लर्निंग एकडमी रिसोर्स सेंटर, बोस्टन।

डे, निराधर (2013). रीजनल इम्बेलेंस इन टीचर एजुकेशन इन इंडिया: एन एनालिसिस ऑफ ईस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग नार्थ ईस्टर्न स्टेटस. *जर्नल ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* खंड XXVII, सं. 1, नई दिल्ली: एन.यू.ई.पी.ए.।

भारत सरकार (2009), *दि राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट, 2009,* नई दिल्ली: भारत सरकार।

PDF Compressor Free Version

इग्नू, (2013), *भारतीय संविधान का दर्शनशास्त्र* (खंड 2), समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा, (बीईएस–004), नई दिल्ली: इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय।

इग्नू, (2014), *विद्यालयी शिक्षा: संरचना एवं प्रक्रियाएँ,* खंड 1, बीईएस–017, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, नई दिल्ली: इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय।

कुमार, सी.के. अजीत, एवं लतिका, एम. (2012). सेकेंड गोल्स एंड इंजूडिसियस सपेंडिंग: ए मिड–टर्म अप्रेजल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, केरल. *जर्नल ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* खंड XXVI, सं. 3, पृ.445–464, नई दिल्ली: एन.यू.ई.पी.ए.।

मा.सं.वि.मं., (2014–15), वार्षिक रिपोर्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली: भारत सरकार।

ओमवेडट, जी. (1993). *दलित्स एंड दि डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन: डॉ. अम्बेडकर एंड दि दलित मूवमेंट इन कालोनियल इंडिया,* नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स।

दि वर्ल्ड बैंक (2015). यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टेस्टीक्स, वेबसाइट http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS/countries से 1 नवम्बर 2015 को लिया गया।

तिलक, जे.बी. (2012). ट्वंटी फाइव ईयर्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (1987–2011), *जर्नल ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* खंड XXVI, सं. 1, नई दिल्ली: एन.यू.ई.पी.ए.।

वेबसाइट :

http://floatingsun.net/udai/files/education-initiatives.pdf से 20 दिसम्बर 2015 को लिया गया।

http://nagaon.nic.in/schmstate.html से 20 दिसम्बर 2015 को लिया गया।

3.10 प्रगति जाँच हेतु उत्तर

1. संपूर्ण रूप से राष्ट्र को शिक्षित करने के लिए भारत के संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों तथा प्रावधानों तथा विशेष रूप से समाज के विभिन्न समूहों, वर्गों तथा समुदायों के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। देश की शैक्षिक नीतियाँ संविधान के शैक्षिक प्रावधानों को प्रतिबिम्बित करती हैं। इस तरह शिक्षा तथा संविधान एक दूसरे से सम्बन्धित हैं।
2. स्व–अभ्यास।
3. किसी शैक्षिक योजना की सफलता उसके क्रियान्वयन की योजना पर निर्भर करती है।
4. स्व–अभ्यास।
5. स्व–अभ्यास।
6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (2014–15) का अध्ययन कीजिए तथा इसे आप स्वयं कीजिए।

PDF Compressor Free Version

इकाई 4 भारतीय समाज तथा शिक्षा

संरचना

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 भारतीय समाज की उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा

4.3.1 उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति

4.3.2 उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा की विशेषताएँ तथा कार्य

4.4 भारतीय समाज की संरचना एवं प्रकृति

4.5 शिक्षा तथा इसका भारतीय सामाजिक संरचना से संबंध

4.5.1 शिक्षा तथा अर्थव्यवस्था के मध्य अंतर्संबंध

4.5.2 शिक्षा एवं नीति

4.5.3 शिक्षा एवं जाति व्यवस्था

4.5.4 शिक्षा तथा सामाजिक पिछड़ापन में सुधार

4.5.5 शिक्षा तथा भाषा

4.5.6 शिक्षा तथा संस्कृति

4.6 सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में शिक्षा

4.6.1 सामाजिक परिवर्तन का अर्थ

4.6.2 सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएँ

4.6.3 सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका

4.6.4 सामाजिक गतिशीलता

4.7 शिक्षा की सामाजिक माँग (आवश्यकता)

4.8 सामाजिक इकाई के रूप में विद्यालय

4.8.1 विद्यालय के कार्य

4.9 विद्यालयी जीवन में लोकतंत्र

4.9.1 विद्यालय का सामाजिक वातावरण

4.9.2 विद्यालय में शिक्षक की भूमिका

4.10 सारांश

4.11 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

4.12 प्रगति की जाँच हेतु उत्तर

4.1 प्रस्तावना

समाज विभिन्न विचारों, अभिवृत्तियों तथा मान्यताओं के व्यक्तियों का एक समूह है। परंतु विभिन्नताओं अथवा विविधताओं के बावजूद समाज के सभी व्यक्ति इसके स्तर के उत्थान में

नोट (द्रष्टव्य) : उपरोक्त इकाई पूर्व उपलब्ध इकाई, "शिक्षा तथा समाज" ई.एस. 332, बी.एड., इग्नू (2000) से ग्रहण/रूपांतरित किया गया है।

PDF Compressor Free Version

उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं। जब सभी व्यक्ति सौहार्द तथा व्यवस्थित ढंग से कार्य करते हैं तब समाज प्रगति करता है। इस इकाई में, भारतीय सामाजिक संरचना की समझ के लिए इसकी चर्चा की गई है। शिक्षा भारतीय समाज की अन्य व्यवस्थाओं (आर्थिक, भाषा, नीति, जाति, संस्कृति, आदि) से कैसे संबंधित है। इसकी चर्चा की गई है। शिक्षा का समाज के अन्य उपव्यवस्थाओं से अंतर्संबंध पर विमर्श तथा सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की भूमिका, भारतीय समाज में शिक्षक के भूमिका के वर्णन के बिना पूर्ण नहीं किया जा सकता है। शिक्षक का समाज में विशिष्ट स्थान तथा समाज के सदस्यों के बीच ज्ञान प्रसारित करने का माध्यम है। इस इकाई में, आप भारतीय समाज की संरचना, शिक्षा का समाज के अन्य उपव्यवस्थाओं से अंतर्संबंध तथा सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में शिक्षा का अध्ययन करेंगे। यह सामाजिक इकाई के रूप में विद्यालय के प्रति आपकी समझ का भी निर्माण करेगा। इकाई का यह भाग विद्यालय की अवधारणा तथा विद्यालय के कार्य का वर्णन करता है, आगे आप लोकतंत्र की विशेषताएँ तथा विद्यालय में सामाजिक वातावरण को पढ़ेंगे।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आपः

- भारतीय सामाजिक संरचना में उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा का वर्णन कर सकेंगे;
- भारतीय समाज की संरचना को समझेंगे;
- सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की भूमिका को समझेंगे;
- सामाजिक इकाई के रूप में विद्यालय को जानेंगे;
- विद्यालयी जीवन में लोकतंत्र की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे; और
- विद्यालयी जीवन में शिक्षक की भूमिका से परिचित हो सकेंगे।

4.3 भारतीय समाज की उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा

किसी भी सामाजिक संरचना के लिए सामान्यतः तीन शब्दों का उपयोग किया है, ये हैं: (क) सामाजिक संरचना (ख) सामाजिक व्यवस्था और (ग) सामाजिक पदानुक्रम। किसी राष्ट्र के संदर्भ में यह तीन शब्द समाज की सामाजिक संरचना को निर्मित करते हैं। विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाएँ जैसे संस्कृति, आर्थिक, शिक्षा नीति आदि से मिलकर संरचना का निर्माण होता है। मौरिस गिन्सबर्ग (1947) ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि "सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रधान रूपों से संबंधित है जैसे – समूहों, संगठनों तथा संस्थानों के प्रकार और इनके जुड़ाव जो समाजों को निर्मित करते हैं। सामाजिक संरचना का एक पूर्ण विवरण तुलनात्मक संस्थानों के संपूर्ण क्षेत्र के पुनरावृत्ति को सम्मिलित करेगा।"

4.3.1 उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति

समाज एक साथ रहने वाले लोगों का एक समूह होता है। ओटावे (1953), के अनुसार "एक साथ रह रहे लोगों को समाज या समुदाय में रहना कहा जाता है।" आर.जी कॉलीनावुड ओटावे द्वारा उद्धृत समाज का वर्णन इस रूप में करते हैं "एक प्रकार का समुदाय (या समुदाय का एक भाग) जिसके सदस्य अपने जीवन पद्धति के प्रति सामाजिक रूप से सचेत हो चुके हैं तथा सामान्य लक्ष्यों तथा मूल्यों से बँधे हैं। यह लोगों का समूह है जो भविष्य की तरफ देखता है।"

PDF Compressor Free Version

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मानव समाज अपने प्रचलित या स्थापित परंपराओं से संस्कृति, निश्चित मानक तथा व्यवस्था को ग्रहण करता है। ये सभी व्यवस्थाएँ समाज द्वारा स्वयं निर्मित होती हैं परंतु जब एक बार ये व्यवस्थाएँ स्थापित हो जाती हैं तब समाज के कार्यों तथा गतिविधियों पर नियंत्रण रखती हैं। जो व्यवस्थाएँ (आर्थिक, शिक्षा नीति) समाज के कार्यों पर नियंत्रण रखती हैं वे समाज की उपव्यवस्थाएँ होती हैं। ये उपव्यवस्थाएँ अन्योन्याश्रित हैं क्योंकि वे विचार या सिद्धान्तों को हस्तांतरित करती हैं जो कि एक–दूसरे से अंतर्संबंधित हैं।

एक उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा की प्रकृति परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं, क्योंकि यह समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न परिवर्तनों से गमन करती है। आपने बहुत–सी पुस्तकों तथा सिद्धान्तों आदि को पढ़ा होगा जो एक उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा के अवधारणात्मक तथा व्यावहारिक ज्ञान को प्रदान करती हैं। शिक्षा भी विभिन्न उपव्यवस्थाओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि से संबंधित है। आप आगे इस इकाई में शिक्षा के साथ इन उपव्यवस्थाओं के अंतर्संबंध को पढ़ेंगे।

4.3.2 उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा की विशेषताएँ तथा कार्य

एक उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:

- शिक्षा समाज रूपी बृहद व्यवस्था का एक भाग है।
- एक उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा के अपने नियम, पद्धतियाँ, मानक तथा विद्यालय जैसे प्रमुख भाग हैं जो प्राथमिक–प्रारंभिक–माध्यमिक, तथा उच्च माध्यमिक स्तरों को सम्मिलित करती है।
- एक उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा के निश्चित लक्ष्य तथा उद्देश्य हैं। शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना है।
- एक उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा समाज से निवेश प्राप्त करती है जो समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तित होता है।
- एक उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा बाह्य वातावरण से शिक्षक, आधारभूत संरचना आदि के रूप में अपने संसाधनों की व्यवस्था करती है तथा समाज की अन्य व्यवस्थाओं का निर्माण करती है।
- एक उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा समाज की अन्य व्यवस्थाओं के कार्य में वृद्धि करती है तथा परिवर्तनकारी कारक के रूप में कार्य करती है और परिवर्तनों को प्रसारित करती है।
- एक उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा संस्कृति, धर्म, अर्थव्यवस्था आदि जैसी उपव्यवस्थाओं से प्रभावित भी होती है।

एक उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा योग्य तथा रचनात्मक कार्यशक्ति का निर्माण करती है जो राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए तकनीकों का उपयोग कर सकती है। इस तरह, किसी समाज में रहने वाले लोगों के कार्य की क्षमता तथा योग्यता में वृद्धि होती है जो लोगों में एक–दूसरे के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाती है तथा अंतर्संस्कृतियों और अंतर्परंपराओं के प्रति सहयोग तथा सम्मान को निर्मित करती है। शिक्षा व्यक्तियों में अधिकार और उत्तरदायित्व की समझ को विकसित करती है। लोग शिक्षा द्वारा विभिन्न मूल्यों तथा जीवन

PDF Compressor Free Version

कौशलों, होने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, जानने के लिए सीखना, एक साथ रहने के लिए सीखना आदि सीखते हैं। सामाजिक प्रवृत्ति की यह शिक्षा स्वस्थ समाज के विकास की ओर अग्रसर करती है जिसमें शांतचित्त तथा समाज के प्रति उत्तरदायी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। लोग शिक्षा की सहायता से अपनी संस्कृति का अनुरक्षण, कर्त्तव्य निर्वहन तथा अधिकारों के उपयोग आदि को सीखते हैं।

इस प्रकार, शिक्षा मूल्यों को संचारित करने, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, विभिन्न मूल्यों तथा जीवन कौशलों को मनःस्थापित करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है तथा समाज के सर्वांगीण विकास (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक) में सहायता करती है।

अपनी प्रगति की जाँच करें —1

नोट : (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. एक उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा की प्रकृति क्या है?

....

....

....

....

2. एक उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा की विशेषताएँ क्या हैं?

....

....

....

....

3. एक उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा के क्या कार्य हैं?

....

....

....

....

4.4 भारतीय समाज की संरचना एवं प्रकृति

सामाजिक संरचना एक सामाजिक संगठन होता है जो विभिन्न संबंधों जैसे माता–पिता तथा बच्चों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों, नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों आदि के मध्य सामाजिक अंतःक्रिया के पूर्व–स्थापित प्रतिरूपों पर आधारित होता है। ये सभी संबंध मान्य मानकों, अवधारणाओं, मान्यताओं, सिद्धान्तों, संबंधों के मध्य व्यवहारों के माध्यम से नियंत्रित होते हैं।

PDF Compressor Free Version

नृजातीय/मानव शास्त्रीय रूप में सामाजिक संरचना, सामाजिक तत्त्वों का एक दीर्घकालिक प्रतिरूप या अंतर्संबंध है। अन्य शब्दों में, यह समाज या समूह विशेष या सामाजिक संगठन में सामाजिक व्यवस्था का लगभग स्थायी (दीर्घकालिक) प्रतिरूप है। सामान्यतः सामाजिक संरचना संस्थागत नियंत्रित या निश्चित संबंधों में लोगों की एक व्यवस्था है (ब्राउन, 1952)।

भारतीय समाज एक विविधतापूर्ण (बहुमुखी) समाज है। भारतीय समाज बहुत–सी जातियों, पंथों, धर्मों तथा वर्गों से मिलकर बना है तथा ये सभी शांतिपूर्वक एक साथ निवास करते हैं। भारत में बहुत से धर्म, रिवाज तथा मान्यताएँ हैं। भारतीय सामाजिक संरचना विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं, प्रजातियों, सामाजिक वर्गों का मिश्रण है।

जाति व्यवस्था

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज चार मुख्य जातियों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। भारत में रूढ़िवादी सामाजिक जाति व्यवस्था के प्रचलन के कारण, वर्तमान समय में यहाँ लोगों ने सहयोग तथा सौहार्दपूर्वक रहने का प्रचलन प्रारंभ किया है। भारतीय समाज की विविधतापूर्ण संरचना तथा प्रकृति यह बताती है कि यह विविधता में एकता पर आधारित है।

सामाजिक संरचना

संयुक्त परिवार की जीवन शैली भारतीय समाज का सौन्दर्य है जो अभी भी पूरे भारत में विद्यमान है परंतु भारतीय पारिवारिक व्यवस्था पर आधुनिकता के प्रभाव के कारण एकल परिवार भी अस्तित्व में आ गए हैं। इससे यह पता चलता है कि भारत की सामाजिक संरचना बहुत सी संस्कृतियों, जाति तथा पंथ का मिश्रण है और आनुवंशिक सिद्धान्तों का अनुकरण करती है।

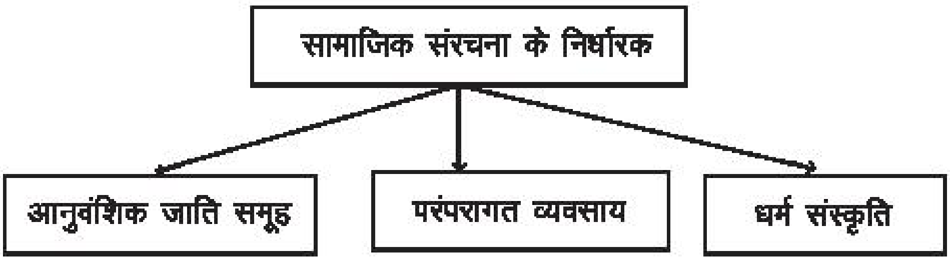

चित्र 1 : भारतीय सामाजिक संरचना के बहुस्तरीय निर्धारक

भारतीय व्यवस्था में सामाजिक संरचना आनुवंशिक सिद्धान्तों पर आधारित है। हमारे समाज के परिवार विशेष के सदस्य एक–दूसरे से अपने रक्त के संबंध से जुड़े हैं। सामान्यतः लोग अपने परिवार से संबंधित परंपरा, धर्म, संस्कृति यहाँ तक पारिवारिक व्यवसाय का भी अनुकरण करते हैं। भारतीय सामाजिक संरचना बहुधर्मी, बहुसंस्कृति, बहुभाषी है। परंतु वर्तमान परिदृश्य में, व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन विशेषतः व्यवसाय में देखे गए हैं।

लोकतांत्रिक संरचना

भारतीय समाज की संरचना लोकतांत्रिक है। प्रत्येक व्यक्ति को रहने की समान स्वतंत्रता तथा अधिकार है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र का अनुकरण करती है जिसमें सभी व्यक्तियों को मतदान करने तथा सरकार चुनने का समान अधिकार है। यह "जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए" के लोकतांत्रिक सिद्धान्तों का अनुकरण करती है। भारत में लोकतांत्रिक संरचना के चार स्तंभ न्याय, समानता, बंधुता तथा स्वतंत्रता हैं।

PDF Compressor Free Version

भारतीय लोकतांत्रिक संरचना			
समानता	बंधुता	स्वतंत्रता	न्याय
भारतीय सामाजिक संरचना			

चित्र 2 : भारतीय लोकतंत्र के चार स्तंभ

भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म के अपने मानक तथा सिद्धान्त हैं। भारतीय समाज बहुधार्मिक समूहों जैसे हिन्दू, सिक्ख, मुस्लिम, ईसाई आदि से रंगा हुआ है। ये सभी धर्म भारतीय समाज को सम्पन्न तथा वृहद बनाते हैं। प्रत्येक संस्कृति दूसरी संस्कृति के अस्तित्व को स्वीकारती है तथा लोग अपने ह्रदय में एक—दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। चूँकि, भारतीय समाज बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक है अतः भारतीय समाज में बहुत—सी भाषाओं का उपयोग होता है जैसे : मराठी, बंगाली, गुजराती आदि। यह भी एक भारतीय समाज की उपव्यवस्था है। आप आगे इस इकाई में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे।

भारतीय सामाजिक संरचना में शिक्षा

भारतीय शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल पद्धति से इक्कीसवीं सदी के आधुनिक शिक्षा पद्धति में पहुँच चुकी है। एक समय में गुरुकुल तथा मदरसे बच्चों को शिक्षित करते थे। विद्यार्थी आश्रमों तथा मदरसों में अध्ययन करते थे परंतु ब्रिटिश शिक्षा पद्धति से आज तक भारत ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में बहुत से विकास कर लिया है। अब शिक्षा औपचारिक विद्यालयों में दी जाती है। जैसा कि हम अपने वर्तमान भारतीय समाज में देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था भारतीय विद्यालयों में प्रचलित है। सामान्य तथा विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीतियों का निर्माण किया जाता है।

लिंग तथा भारतीय समाज

प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाएँ पुरुषों के बराबर नहीं थीं परंतु वर्तमान व्यवस्था में महिलाओं को शिक्षा तथा व्यवसाय का समान अधिकार है। भारतीय सामाजिक संरचना महिलाओं को विशेष महत्त्व देता है क्योंकि महिलाएँ पारिवारिक संस्कृति की वाहक हैं। आधुनिक भारतीय सामाजिक संरचना में महिलाएँ भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण कार्यशक्ति हैं। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में विशेष विधि तथा प्रावधान बनाए गए हैं। आपने इसे इस खंड की इकाई 3 में पढ़ा होगा।

अर्थव्यवस्था तथा भारतीय सामाजिक संरचना

भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। भारत में लघु व्यवसाय से बृहद उद्योग तक, कृषि, हस्तकरघा से विनिर्माण उद्योग तक बहुत से व्यवसाय हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को विभिन्न

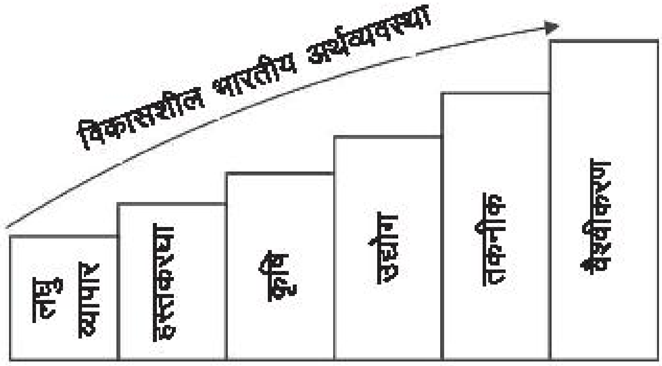

चित्र 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील संरचना

PDF Compressor Free Version

तथा बहुस्तरीय कार्यशील उद्योगों से सबलता प्राप्त होती है। यह दिन–प्रतिदिन विकसित हो रही है तथा तकनीक एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जैसा कि ऊपर दी गई आकृति में आप देख सकते हैं जो हमें बताती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्व में केवल लघु उद्योगों पर आधारित थी जिसको अब विकसित किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में दिन–प्रतिदिन विकास हो रहा है तथा विभिन्न कारकों जैसे निजीकरण, वैश्वीकरण तथा उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है जिसका परिणाम व्यापार, व्यवसाय तथा वाणिज्य में विस्तार है। व्यापार तथा वाणिज्य भारतीय सामाजिक संरचना से पर्याप्त रूप में जुड़े हैं। परंपरागत व्यवसाय से प्रारंभ करते हुए भारतीय समाज वैश्विक दुनिया तथा व्यवसाय में प्रवेश करने में कभी संकोच नहीं किया।

क्रियाकलाप 1

समाचारपत्रों अथवा पत्रिकाओं से क्लीपिंग (कटिंग) एकत्रित कीजिए जो भारतीय समाज की प्रकृति को प्रदर्शित करते हों तथा भारतीय समाज की गतिशील पद्धति के विषय में अपने विचार को लिखिए।

....

....

....

....

....

....

....

4.5 शिक्षा तथा इसका भारतीय सामाजिक संरचना से संबंध

एक समाज में विभिन्न प्रकार के बल होते हैं जो सामाजिक उपव्यवस्था के अनुसार कार्य करते हैं। ये उपव्यवस्थाएँ शिक्षा से संबंधित हैं, उदाहरणार्थ, शिक्षा सांस्कृतिक संघर्ष के लिए उचित दिशा तथा समाधान प्रदान करने में सहायता करती है। शिक्षा के माध्यम से संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है। शिक्षा किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। यह नीति निर्माण में सहायता करती है तथा विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए दिशा–निर्देश प्रदान करती है। आप इस भाग में इसके बारे में विस्तृत समझ प्राप्त करेंगे।

4.5.1 शिक्षा तथा अर्थव्यवस्था के मध्य अंतर्संबंध

शिक्षा सामाजिक घटना के रूप में बच्चों को उनके जीवन में भावी व्यवसाय के लिए तैयार करने से संबंधित है। यह शिक्षा का एक मुख्य आर्थिक कार्य है तथा यह राष्ट्र और व्यक्ति विशेष दोनों के हित में है। शिक्षा तथा अर्थव्यवस्था का संबंध निम्नलिखित दी गई आकृति में वर्णित किया जा सकता है।

PDF Compressor Free Version

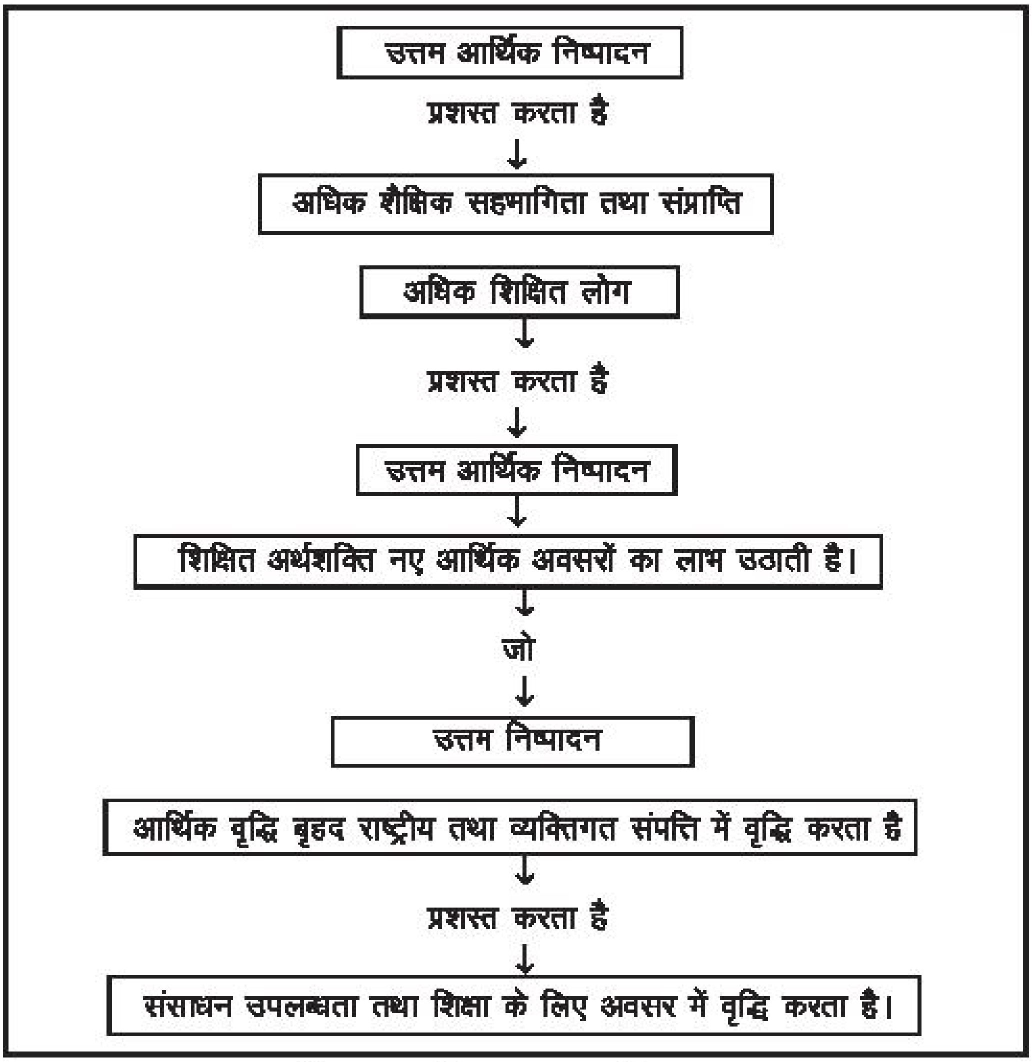

चित्र 4 : शिक्षा तथा अर्थव्यवस्था

शिक्षा कार्यकारी लोगों की योग्यताओं तथा कौशलों को प्रभावित करने वाली एक महत्त्वपूर्ण कारक है। बढ़ी हुई योग्यताएँ अर्थव्यवस्था को बेहतर उत्पादकता की ओर प्रशस्त (अग्रसरित) करती हैं। यह तकनीकी कौशलों में भी वृद्धि करती है जैसे कार्यशक्ति के साथ कंप्यूटर तथा सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग करना तथा अंततः ये बढ़े हुए तथा अनुभवी कौशल अच्छी आर्थिक वृद्धि के परिणामी हैं। शिक्षा में नवाचार, अंतर्दृष्टि, विचारों, सामाजिक तथा औद्योगिक प्रवृत्ति, तकनीकी आदि के अधिक प्रोत्साहन द्वारा अर्थव्यवस्था की क्षमता को सुधारा जाता है। शिक्षा अर्थव्यवस्था की क्षमता में वृद्धि करने का एक माध्यम है। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओ ई सी डी, 2000) के अनुसार शिक्षा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए नवीन विचारों के अनुप्रयोग तथा निर्माण के लिए एक साधन की तरह है तथा यह व्यापक निजी और सामाजिक लाभ के लिए नवीन तकनीकों के उपयोग के ज्ञान को भी सम्मिलित करती है।

4.5.2 शिक्षा एवं नीति

आपने पहले ही इस खंड की इकाई 2 में शिक्षा तथा नीति के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है। शिक्षा को मानसिकता में परिवर्तन तथा सुशिक्षित राष्ट्र के निर्माण के लिए रणनीतिक अभिकर्त्ता की तरह व्यवहार किया जाता है। एक राष्ट्र के लिए अपने सभी नागरिकों को शिक्षा से युक्त करना आवश्यक होता है। यह राष्ट्र के विकास में आने वाली चुनौतियों को दक्षतापूर्वक तथा प्रतियोगितापूर्वक समाधान के लिए आवश्यक है। इस आलोक में, शिक्षा व्यवस्था का समय–समय पर गुणात्मक रूप में पुनर्रचना तथा परिवर्तन किया जाता

PDF Compressor Free Version

है। 6-14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के प्रोत्साहन पर प्रकाश डालना; दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देता है कि भारत के सभी बच्चों को मूलभूत शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए जिससे कि वे राष्ट्र के भावी उत्पादक नागरिक बन सकते हैं। समाज के गरीब समुदाय तथा सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्हें मूलभूत शिक्षा तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए लक्षित किया गया है। पिछड़े वर्गों को अधिक समान सुविधा प्रदान करने से अधिक कार्यशक्ति अस्तित्व में आई है। अधिक कुशल लोग सामाजिक व्यवस्था के अंग बने हैं तथा राष्ट्र के विकास करने के लिए समय–समय पर नीतियों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण किया जाता है।

4.5.3 शिक्षा एवं जाति व्यवस्था

भारत एक बहुत मजबूत सामाजिक संस्थाओं का राष्ट्र है। जाति व्यवस्था इस मजबूत सामाजिक संस्थान के मुख्य कारणों में से एक है। निम्न वर्ग तथा जाति से संबंधित बच्चे आर्थिक पिछड़ापन, शिक्षा के अभाव तथा संसाधन के अभाव जैसी विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् पिछड़े वर्गों के जीवन के उत्थान के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण किया गया। समता व समानता, उदारता और बंधुता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित आधुनिक उदार शिक्षा पद्धति ने लोगों की चिंतन प्रक्रिया को परिवर्तित किया है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाहित की गई विभिन्न वैज्ञानिक मूल्यों ने शिक्षा के प्रसार के साथ लोगों की चिंतन प्रक्रिया में वृद्धि की है। शिक्षा राष्ट्र को बिना किसी मतभेद के शांतिपूर्वक रहने के लिए निर्देशित करती है।

4.5.4 शिक्षा तथा सामाजिक पिछड़ापन में सुधार

सुधार का अर्थ "अच्छा होना या बनाना है"। जब किसी समाज में परंपराएँ समाज के सदस्यों के ऊपर बोझ बन जाती हैं या समाज के सदस्यों के पक्ष में कोई सामाजिक परिवर्तन कार्य नहीं करता है तब शिक्षा भलाई के लिए परिस्थितियों में सुधार हेतु एक अभिकर्ता या उपव्यवस्था की तरह कार्य करती है। शिक्षा लोगों को सीखने के लिए तत्पर कर जागरूकता के स्तर में सुधार करती है। देश में कुछ लोग हैं जो सकल आर्थिक वंचन तथा सामाजिक तिरस्कार से पीड़ित थे। अनुसूचित जातियों, अनुसूजित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को मुख्यतः पिछड़े समूहों के रूप में चिह्नित किया गया है। भारतीय समाज में महिलाएँ पिछड़ों के अन्य समूह के रूप में सम्मिलित हैं। उनके सामाजिक पिछड़ेपन का केवल एक बड़ा कारण शिक्षा के अभाव के रूप में परिलक्षित किया गया है। यह अनुभव किया जाता रहा है कि शिक्षा पिछड़ेपन के कलंक को मिटा सकती है। शिक्षा समाज के पिछड़े वर्ग में उनके अधिकारों तथा सुविधाओं के प्रति सचेतना लाती है। शिक्षा पिछड़े वर्गों के उन्नयन के लिए सभी विकास योजनाओं के महत्त्वपूर्ण पक्ष के रूप में कार्य करती है। विशेष शिक्षा नीतियों, आरक्षण योजनाओं तथा सामाजिक प्रावधानों का निर्माण सामाजिक पिछड़ेपन में सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान या सुधार के लिए किया गया है।

4.5.5 शिक्षा तथा भाषा

भाषा संप्रेषण अनुभूतियों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह संवाद संप्रेषण में मौखिक (भाषिक) तथा अमौखिक (अभाषिक) दोनों रूपों में उपयुक्त होती है। भाषा को वंशानुगत तथा संप्रेषणीय परिस्थितियों के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है; विशेषतः शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में भाषा विषयवस्तु, विचारों को संप्रेषित तथा अनुदेश देने में उपयुक्त होती है। शिक्षक विषयवस्तु के अध्यापन, विद्यार्थियों से अंतःक्रिया, मूल्यांकन के लिए तथा उनके अधिगम में सहायता के लिए मौखिक या लिखित भाषा का उपयोग करते हैं। विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया, अपने प्रश्नों, सत्रीय कार्यों को पूछने या प्रस्तुत करने के लिए तथा विषयवस्तु

PDF Compressor Free Version

आदि के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। अतः भाषा शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में ज्ञान तथा कौशल की प्रस्तुति/प्रदर्शन का एक माध्यम है तथा यह कक्षाकक्ष में शिक्षण–अधिगम वातावरण को कायम रखती है तथा उसका निर्माण भी करती है। जैसा कि अर्थव्यवस्था वैश्वीकृत हो रही है तथा आधुनिक समाज विकसित हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के सीखने की आवश्यकता का उभार हुआ है तथा शिक्षा, भाषा सीखने के लिए एक माध्यम के रूप में है।

भाषा का निर्माण बहुत प्रारंभ से परिवार तथा समाज में होता है। विद्यार्थी जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ के शब्दों तथा मुहावरों का उपयोग अपने कथनों में करते हैं तथा सुनते व बोलते हैं। कक्षाकक्ष में भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षक को कथ्यात्मक निष्पादन तथा बच्चों के भाषायी क्षमताओं के मूल्यांकन में सांस्कृतिक भिन्नता के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। क्योंकि भाषा का अधिगम एवं शिक्षण बच्चों की भाषायी क्षमताओं, सांस्कृतिक भिन्नताओं तथा समाज की शिक्षा पद्धति के प्रकार को स्थापित करता है। किसी भाषा के विकास में सीखना व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि करना है तथा यह बच्चों को सामाजिक संरचना के निकट लाता है। क्योंकि भाषा लोगों को एक–दूसरे से जोड़ने का माध्यम है तथा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सौहार्दपूर्ण संबंध का निर्माण करना है।

4.5.6 शिक्षा तथा संस्कृति

आपने इकाई 1 में पहले ही भारत में क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक विविधता के विषय में पढ़ा है। संस्कृति (Culture) शब्द (Cultivate अर्थात् कर्षण या जोतना) क्रिया पद से लिया गया है। इस प्रकार, कर्षण अर्थात व्यक्ति द्वारा कौशलों, गुणों आदि के अर्जन के फलस्वरूप व्यक्ति विशेष के परिशोधन को संस्कृति कहा जा सकता है। संस्कृति लोगों का एक एकीकृत समूह है जो समान विचारों, मान्यताओं, परंपराओं, मानकों, व्यवहारों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों का अनुकरण करते हैं।

संस्कृति को, समाज के सदस्य के रूप में हमारे विचार, कार्य आदि सभी से मिलकर बने समष्टि या मिश्रण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित किया जाता हैं। यह अंतःक्रिया एकीकृत संस्कृति का निर्माण करती है। संस्कृति प्रगतिशील होती है तथा इसे व्यक्तियों की क्षमताओं में वृद्धि का लक्ष्य होता है। शिक्षा अपनी भूमिका व्यक्तियों को संस्कृति के विषय में सीखने के लिए एक माध्यम के रूप में निभाती है। शिक्षा व्यवस्था न केवल संस्कृति की समझ में सहायता करती है बल्कि यह सांस्कृतिक धरोहर को उन्नत तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने में भी सहायता करती है।

अपनी प्रगति की जाँच करें –2

नोट: (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

4. संस्कृति क्या है?

....

....

....

....

PDF Compressor Free Version

5. सामाजिक पिछड़ेपन के सुधार में शिक्षा की क्या भूमिका है?

....

....

....

....

....

4.6 सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में शिक्षा

किसी समाज में सामाजिक परिवर्तन, समाज के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन का सूचक होता है। ये सभी पक्ष समाज विशेष में रह रहे लोगों की परंपरा तथा मूल्य, संस्कृति एवं विचार, चिंतन तथा कार्य हैं। सामाजिक परिवर्तन के पीछे कई कारण जैसे विभिन्न नवाचारों के रूप में तकनीकी, राजनीतिक तथा धार्मिक गतिविधियाँ, आर्थिक अन्योन्याश्रय आदि हो सकते हैं। यह तर्कसम्मत है कि प्रत्येक समाज में दी जाने वाली शिक्षा समाज के परिवर्तन के साथ समय–समय पर परिवर्तनशील होनी चाहिए। शिक्षा समाज में सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण है। शैक्षिक परिवर्तन अन्य सामाजिक परिवर्तनों के प्रतिगामी होते हैं। ओटावे (1960) ने अवलोकन किया कि परिवर्तन का विचार मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, प्रायः एक व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में। विशिष्ट व्यक्ति अपने समाज के लिए नई तकनीकों का आविष्कार तथा नए मूल्यों का प्रतिपादन करते हैं।

4.6.1 सामाजिक परिवर्तन का अर्थ

– मेकाइवर तथा पेज के अनुसार, "सामाजिक परिवर्तन विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को सूचित करता है; जीवन के लिए मानव निर्मित परिस्थिति में परिवर्तन करना; व्यक्तियों की अभिवृत्तियों तथा मान्यताओं में परिवर्तन करना; तथा मानव नियंत्रण से परे जैविक तथा वस्तुओं की भौतिक प्रकृति में परिवर्तन।"

– गिन्सबर्ग के अनुसार, "सामाजिक परिवर्तन से, मैं सामाजिक संरचना में परिवर्तन समझता हूँ जैसे समाज का आकार, इसके किसी भाग के संघटन तथा संतुलन या इसके संगठनों के प्रकार।"

– एम.डी. जेन्सन के अनुसार, "सामाजिक परिवर्तन को लोगों की कार्यशैली तथा सोच में परिष्करण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।"

(स्रोतः दाश, 2010 द्वारा उद्धृत)

सामाजिक परिवर्तन समाज में रह रहे लोगों के विचारों, अभिवृत्तियों, मान्यताओं तथा प्रकृति में व्यापक स्तर पर परिवर्तन है। जब व्यक्तियों में परिवर्तन होता है सामज स्वतः परिवर्तित हो जाता है क्योंकि यह समाज की कार्यविधि को प्रभावित करता है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना तथा कार्यशैली में परिवर्तन को समाहित करता है।

4.6.2 सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएँ

सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है:

PDF Compressor Free Version

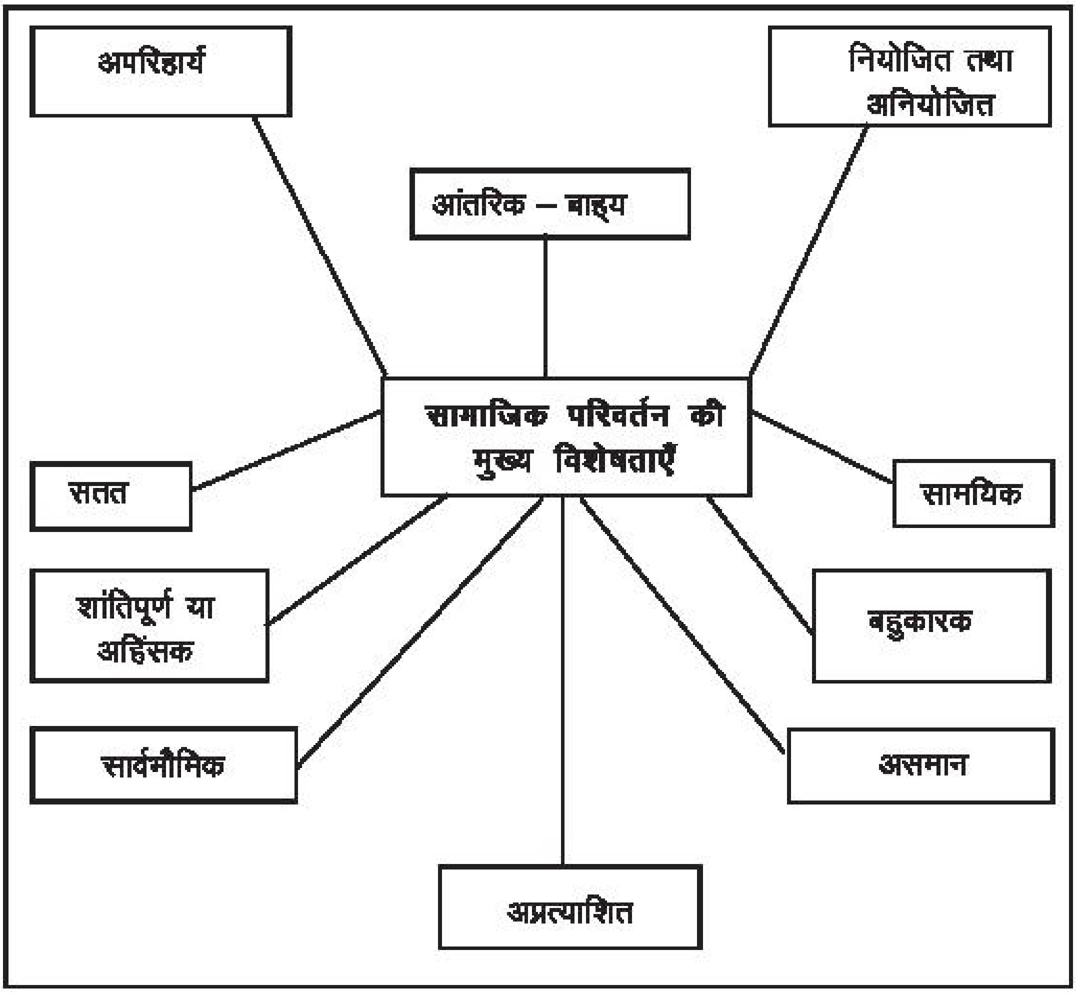

चित्र 5 : सामाजिक परिवर्तन की मुख्य विशेषताएँ

आकृति 5 स्पष्ट करती है:

- सामाजिक परिवर्तन अपरिहार्य है, इसे टाला नहीं जा सकता है। यह आवश्यकता है। हम सभी को अपने जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है, कोई परिवर्तन स्थायी नहीं होता है। प्रत्येक परिवर्तन अन्य परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है तथा इस प्रकार यह एक आवश्यक घटना है।

- सामाजिक परिवर्तन कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप आदि के कारण हो सकता है अथवा यह मानव द्वारा ज्ञात प्रयासों या कार्यों द्वारा भी घटित हो सकता है। जैसे मानव द्वारा अधिक सभ्य बनने के लिए किए गए कार्य सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अतः सामाजिक परिवर्तन नियोजित तथा अनियोजित दोनों होते हैं।

- यह बाह्य तथा आंतरिक दोनों होता है। जब यह बाह्य कारकों से उत्पन्न होता है तो यह बाह्य या बाहरी होता है जैसे भारतीय समाज पर ब्रिटिश प्रभाव। ये सामाजिक निर्धारक भी कहलाते हैं। जलवायु, संसाधनों की उपलब्धता, तथा जैविक कारक जैसे निर्धारक गैर–सामाजिक निर्धारक हैं। आंतरिक का अर्थ किसी समाज में संस्थापित मूल्यों, सामाजिक संरचना तथा वर्गों के पारस्परिक संबंध है।

- सामाजिक परिवर्तन कभी भी हो सकता है। विभिन्न कारकों के प्रभाव भिन्न हो सकते हैं तथा इनका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है अतः यह पूर्वानुमानित नहीं होता है।

PDF Compressor Free Version

- कोई आंदोलन या प्रयोग दोनों समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। अतः सामाजिक परिवर्तन शांतिपूर्ण तथा अहिंसक हो सकता है।
- सामाजिक परिवर्तन लाने में विभिन्न कारक भूमिका निभाते हैं। केवल एक कारक सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं हो सकता है।
- सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक होते हैं। ये समय तथा स्थान से आबद्ध नहीं होते हैं।
- आंदोलन का प्रभाव समाज के एक भाग पर सकारात्मक हो सकता है तथा समाज के दूसरे भाग पर नकारात्मक हो सकता है अतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन असमान होते हैं।

4.6.3 सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका

शिक्षा व्यक्ति के विचारों तथा जीवन को सशक्त करने के एक अभिकर्ता की तरह कार्य करती है। जब शिक्षा द्वारा सामूहिक विचार परिवर्तित होते हैं तब सामाजिक परिवर्तन होता है। विज्ञान तथा तकनीकी का विकास शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। लोग शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं तथा शिक्षा ने बदले में समाज के लोगों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास किया है। शिक्षा जनसंख्या को संपत्ति तथा शक्ति के रूप में परिवर्तित करने में तथा साथ–साथ इसके वृद्धि पर नियंत्रण के प्रयास में सहायता करती है। यद्यपि शिक्षा सभी लोगों के उच्च स्तर तथा स्थिति को सुनिश्चित नहीं करती है फिर भी बिना शिक्षा के व्यक्ति द्वारा सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करना असंभव है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा अवसरों की समानता में तीन प्रकार से भूमिका निभाती है।

(1) जो लोग शिक्षित होने के इच्छुक हैं उन्हें सुविधाओं के लाभ लेने के योग्य बनाने के कार्य को संभव बनाना।

(2) शिक्षा की विषयवस्तु को विकसित करना जो वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के विकास को प्रोन्नत करें।

(3) धर्म, भाषा, जाति, वर्ग आदि पर आधारित पारस्परिक सहिष्णुता का सामाजिक वातावरण के निर्माण द्वारा।

सामाजिक परिवर्तन आर्थिक विकास को गतिशील करता है जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सहायता करता है। प्रगतिशील अर्थव्यवस्था एक प्रतियोगी समाज का निर्माण करती है। शिक्षा अवसरों तथा अनुभवों को प्रदान कर समाज को परिवर्तित कर सकती है जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में समायोजित कर सकता है।

आप भी समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देख सकते हैं। उदाहरणार्थ : स्मार्टफोन ने समाज में संचार की पद्धति को परिवर्तित कर दिया है। स्मार्टबोर्ड ने शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया है।

4.6.4 सामाजिक गतिशीलता

समाज में परिवर्तन लाने हेतु शिक्षा मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में नवीन परिवर्तनों तथा परिमार्जनों के प्रोत्साहन द्वारा एक उपकरण की भूमिका निभाती है। सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति के समाज में गति करने की घटना है। समाज के एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना व्यक्ति के समाज में व्यापक स्तर पर लोगों की संस्कृति, स्थिति तथा मानसिकता में संक्रमण को परिलक्षित करता है। यह गमन या परिवर्तन प्रमाण है कि व्यक्ति व्यावसायिक स्थिति में ऊपर गमन करता है या यथावत स्थिति में रहता है परंतु परिवर्तन भौगोलिक क्षेत्र के अंदर

PDF Compressor Free Version

होता है। इसका अर्थ है कि सामाजिक क्रम में ऊपर या नीचे गमन करना या यथावत स्थिति में रहना हो सकता है। दो प्रकार की सामाजिक गतिशीलता होती है – क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर। जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में समान स्तर पर गतिशीलता होती है तब यह क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। जब समाज के एक स्तर से दूसरे स्तर में परिवर्तन होता है तब यह ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता कहलाती हैं। यह लोकतांत्रिक समाजों में अधिक महत्त्वपूर्ण है जहाँ व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति को गतिमान करने हेतु सक्षम बनाने के लिए अधिक अवसर प्राप्त हैं। आपने पहले ही सामाजिक गतिशीलता को उदाहरण के साथ इस खंड की इकाई 2 में पढ़ा है।

क्रियाकलाप 2

अपने सहकर्मियों के साथ समाज में हुए परिवर्तनों तथा अपने अनुभव के विषय में चर्चा कीजिए। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा कैसे भूमिका निभाती है उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

अपनी प्रगति की जाँच करें – 3

नोट : (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

6. सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं?

....

....

....

....

7. सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक क्या हैं?

....

....

....

PDF Compressor Free Version

8. सामाजिक परिवर्तन की मुख्य विशेषताएँ कौन–सी हैं?

....

....

....

....

4.7 शिक्षा की सामाजिक माँग (आवश्यकता)

हम केवल पढ़ने तथा लिखने की दक्षता प्राप्त करने के लिए शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं बल्कि आत्मनिर्भरता तथा तीव्रता से बदलते विश्व में समायोजन की क्षमता प्राप्त करने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम आधुनिक समाज में बहुस्तरीय कौशल ग्रहण करने के लिए अधिक जागरूक हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं कि शिक्षा कैसे एक उपव्यवस्था है तथा यह अन्य उपव्यवस्थाओं से कैसे अंतर्संबंधित है। शिक्षा का अन्य उपव्यवस्थाओं के साथ अंतर्संबंध भी शिक्षा की सामाजिक आवश्यकता का वर्णन करते हैं। आधुनिकीकरण तथा वैश्वीकरण भारतीय समाज पर कुशल नागरिक उत्पन्न करने के लिए बल दे रहे हैं ताकि भारतीय समाज विश्व में प्रतियोगी कार्यबल का उत्पादक बन सके। हमारी व्यवस्था पर माँग हेतु प्रतिक्रिया तथा अनुकूलन के लिए मुख्य तीन दिशाओं में दबाव का अनुभव किया जा रहा है जो माध्यमिक तथा उच्च स्तरीय शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा हैं।

माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की रक्षात्मक, नैतिक तथा उपचारात्मक वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता (माँग) है ताकि देश को अधिक परिपक्व नागरिक प्रदान किए जा सकते हैं।

तकनीकी शिक्षा की माँग तीव्रता से बढ़ रही है। हम यहाँ उच्च तथा मध्यम स्तर के टैक्निशियन को निम्न स्तर का तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। ये लोग पहले अधिकांशतः अंशकालिक पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षित होते है जिसमें समय की कमी, असफलता की उच्च दर तथा गहनता की कमी रही है। विद्यालय तथा आगामी शिक्षा व्यवस्था के मध्य घनिष्ठ संबंध की आवश्यकता रही है। भारत सरकार का कौशल आधारित शिक्षा संस्थान नागरिक को कुशल होने में समर्थन करता है तथा यह सामाजिक माँगों को भी पूरा करता है।

विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा स्तर पर, आधुनिक विश्वविद्यालय न केवल विद्वत समुदाय तथा शोध के ज्ञान को प्रोन्नत करने के केन्द्र के रूप में अपने परंपरागत कार्य को निरंतर रखते हैं बल्कि समाज में शक्ति तथा प्रभाव के अग्रणी स्रोत भी होते हैं। उच्च स्तर पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम तथा अध्ययन क्षेत्र हैं जो व्यक्तियों की आवश्यकता तथा माँग के अनुरूप उचित हैं।

इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों की जागरूकता तथा वैश्विक काल के बढ़ते प्रभाव के कारण शिक्षा की सामाजिक माँग बढ़ी है।

4.8 सामाजिक इकाई के रूप में विद्यालय

एक सामाजिक इकाई एक संगठन है जो एक वृहद सामाजिक व्यवस्था के अंश या भाग के रूप में मानी जाती है। यहाँ, संगठन लोगों का एक समूह है जो एक साथ कार्य करते हैं। इस दृष्टि से, एक विद्यालय एक सामाजिक इकाई के रूप में है जिसमें लोगों का एक समूह एक साथ कार्य करता है। विद्यालय औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के अत्यंत महत्त्वपूर्ण अभिकरण होते हैं। विद्यालय संस्कृति के हस्तांतरण के अत्यंत महत्त्वपूर्ण माध्यम होते हैं।

PDF Compressor Free Version

विद्यालयों के कार्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है बल्कि विद्यालय समाज के सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित तथा हस्तांतरित जैसे कार्य भी करते हैं। यह एक सामाजिक इकाई की तरह कार्य करता है जहाँ शिक्षक तथा विद्यार्थी शिक्षण अधिगम वातावरण में कार्य करते हैं तथा सीखते हैं। इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य समाज के सदस्यों में ऐसी नागरिकता को मनःस्थापित करना है जो राष्ट्र की प्रगति में सहायता कर सकती है। विद्यालय में औपचारिक शिक्षा समाज की मान्यताओं तथा मूल्यों, रिवाजों तथा परंपराओं के निर्माण, उत्थान, संरक्षित तथा हस्तांतरित करने में भी सहायता करती है।

4.8.1 विद्यालय के कार्य

एक विद्यालय सामान्यतः निम्नलिखित पंक्तियों के साथ बच्चों का पालन तथा उत्तरदायित्वों का विकास करता है। यह भी कहा जा सकता है कि विद्यालयों के निम्नलिखित कार्य होते हैं:

- सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण एवं उन्नयन।
- सामाजिक तथा अन्य मूल्यों को मनःस्थापित करना।
- बच्चों का सर्वांगीण विकास करना।
- नेतृत्त्व गुणों का विकास करना।
- अर्थव्यवस्था के लिए कार्यशक्ति उत्पन्न करना।
- समाज का पुनर्निर्माण करना।
- सहयोग तथा सुरक्षा के भाव को विकसित करना।
- आत्मानुशासन के भाव को विकसित करना।

विद्यालय का कार्य शिक्षा प्रदान करने तक सीमित नहीं है, एक विद्यालय एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भूमिका निभाता है। यह ज्ञान को हस्तांतरित करता है तथा यह सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम भी है। विभिन्न पाठ्यचर्या तथा पाठ्यसहगामी गतिविधियों की व्यवस्था द्वारा यह विद्यार्थियों में नेतृत्त्व के गुणों, अनुशासन की समझ, सहयोग आदि विकसित करता है।

क्रियाकलाप 3

एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भ्रमण कीजिए तथा सभी भौतिक पक्षों, मानव संसाधन, गतिविधि आदि सहित एक विद्यालय के कार्यों की सूची बनाइए।

....

....

....

....

4.9 विद्यालयी जीवन में लोकतंत्र

विद्यालय समाज की एक मूलभूत तथा महत्त्वपूर्ण संस्था होती है। विद्यालय में विद्यार्थी लोकतांत्रिक जीवन शैली में शिक्षित होते हैं। सभी धर्म, संस्कृति, परंपराएँ, विद्यालय प्रणाली में समान हैं। भारत बहु समुदायों, परंपराओं, प्रथाओं, आस्थाओं, धर्मों तथा भाषाओं का एक राष्ट्र है। जैसा कि विद्यालय एक सामाजिक इकाई के रूप में होने के कारण विद्यालय में विविध प्रकार की संस्कृतियों और परंपराओं में समानता तथा समता कायम रखना सदैव एक चुनौती होती है। आधुनिक भारत में विविधता में सौहार्द तथा एकता कायम रखने के लिए विद्यालयों को किसी भी आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी का सम्मान करने का एक बड़ा उत्तरदायित्व है। विद्यालयों को अपने मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए ताकि समुदाय का

PDF Compressor Free Version

कोई भी वर्ग विद्यालय व्यवस्था पर प्रभावी न हो सके। विद्यालय को एक लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ सभी धर्म तथा संस्कृति शांति तथा सौहार्द में सहभागी बन सकते हैं, जहाँ एक–दूसरे के धर्म तथा संस्कृति के लिए सम्मान को विकसित किया जा सकता है।

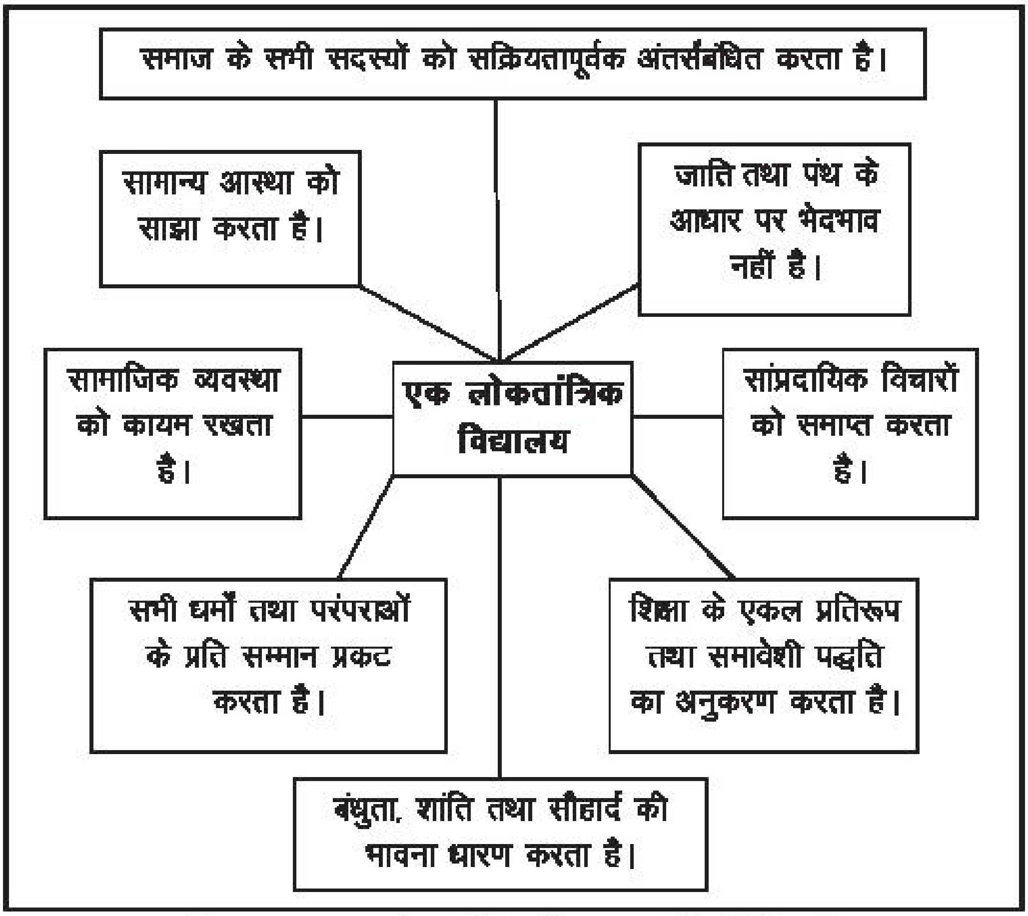

चित्र 6 : एक लोकतांत्रिक विद्यालय की विशेषताएँ

विभिन्न पाठ्यचर्या तथा पाठ्यसहगामी गतिविधियों के आयोजन द्वारा विद्यालय स्वस्थ तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखता है ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जा सके। एक लोकतांत्रिक विद्यालय सभी सदस्यों को विभिन्न कार्य करने के लिए सम्मिलित करता है। सभी को सीखने तथा निष्पादन के लिए समान अवसर दिए जाते हैं। जाति या लिंग के आधार पर पूर्वाग्रह विद्यमान नहीं होता है। एक लोकतांत्रिक विद्यालय संघर्ष बहिष्कार करते हुए लोकतांत्रिक ढंग से समाधान करता है।

4.9.1 विद्यालय का सामाजिक वातावरण

मनोविज्ञान शब्दकोश के अनुसार, "सामाजिक वातावरण कई लोगों द्वारा निर्मित विभिन्न परंपराओं तथा समायोजनों का मेल है।" फ्रेजर (1986) ने लिखा है, "शैक्षिक व्यवस्था में सामाजिक वातावरण शिक्षकों तथा विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों के मध्य आपसी संबंधों द्वारा निर्मित किया जाता है। इन संबंधों की मात्रा, गुणवत्ता तथा दिशाएँ आगे विद्यार्थियों की आत्मसंकल्पना, प्रेरणा तथा निष्पादन को प्रभावित करते हैं।"

सामाजिक वातावरण की अवधारणा कक्षाकक्ष वातावरण, विद्यालय के वातावरण तथा विद्यालय की विशेषता से संबंधित है जिसका अर्थ शैक्षिक व्यवस्था के मनो–सामाजिक वातावरण की विशेषताएँ हैं।

PDF Compressor Free Version

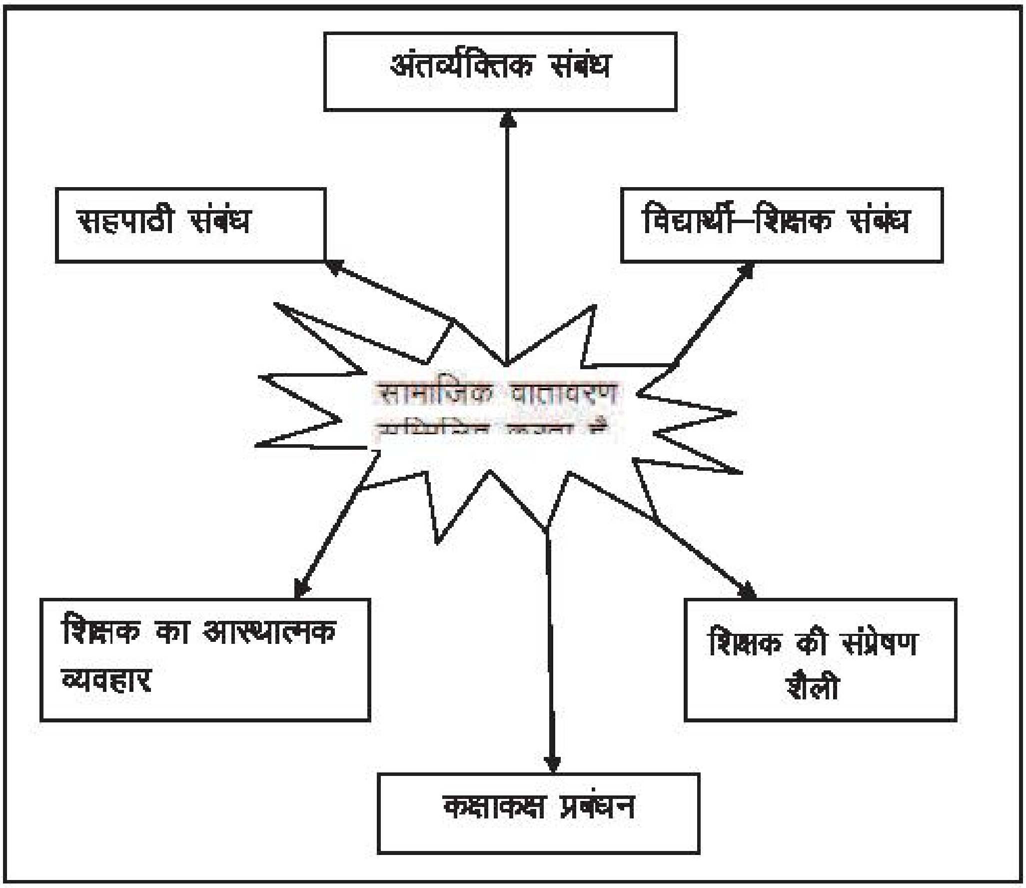

चित्र 7 : विद्यालय का सामाजिक वातावरण

विद्यालय के वातावरण का अर्थ विद्यालय का सामाजिक, भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण है जो इसकी कार्यशक्ति, विद्यार्थियों तथा सभी कार्यों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार विद्यालय का वातावरण विद्यालय के सभी सदस्यों के मध्य संरचनात्मक सामाजिक संबंधों को प्रोत्साहित करता है। सामाजिक वातावरण में शिक्षक विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को सुनते हैं तथा उनके दृष्टिकोणों से महत्त्वपूर्ण नैतिक मूल्यों को संबंधित करते हैं तथा विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श की तरह भी होते हैं।

4.9.2 विद्यालय में शिक्षक की भूमिका

शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है तथा एक शिक्षक को विभिन्न रूप धारण करने चाहिए तथा विद्यार्थियों के ज्ञान तथा समझ की वृद्धि के लिए कई भूमिकाएँ निभानी चाहिए। एक शिक्षक की निम्नलिखित भूमिकाएँ हैं :

एक अनुदेशक विशेषज्ञ के रूप में शिक्षक की भूमिका : एक अनुदेशक विशेषज्ञ के रूप में शिक्षक अधिगम में सहायता के लिए क्रियाकलापों के आयोजन के लिए उत्तरदायी है। शिक्षक विद्यार्थियों के अधिगम क्रियाकलापों में निर्देशन तथा उनके अनुभवों के परिणामों के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है।

प्रबंधक के रूप में शिक्षक की भूमिका : एक प्रबंधक के रूप में शिक्षक के लिए अधिगम प्रक्रिया में सहायता हेतु कक्षाकक्ष को व्यवस्थित तथा संरचना प्रदान करना आवश्यक होता है। एक शिक्षक शिक्षण अधिगम वातावरण को कायम रखने के साथ–साथ कक्षाकक्ष में अनुशासन व्यवस्था के उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करता/करती है।

एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका : शिक्षक की भूमिका परामर्शदाता के रूप में कार्य करती है तथा विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श आवश्यकताओं

PDF Compressor Free Version

को प्रदान करती है। यह अधिगम, व्यावसायिक के साथ–साथ व्यक्तिगत परामर्श से भी संबंधित हो सकता है।

एक सुविधाप्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका : एक सुविधाप्रदाता के रूप में शिक्षक, अधिगम के लिए विद्यार्थियों को दिशानिर्देश प्रदान करता/करती है। शिक्षक विद्यार्थियों के लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करता/करती है। विद्यार्थियों की सोच, तर्कशक्ति तथा समस्या समाधान क्षमताओं का विकास उचित सहायता से संभव होता है।

एक आदर्श के रूप में शिक्षक की भूमिका : शिक्षक बहुत महत्त्वपूर्ण तथा मूल्यवान भूमिका निभाता है। वह कई लोगों के सामाजिक व्यक्तित्त्व को प्रभावित करता/करती है। विद्यार्थी शिक्षक के चरित्र, दक्षता तथा उसके नैतिक वचनबद्धता से दृढ़तापूर्वक प्रभावित होते हैं।

एक भविष्य निर्माता के रूप में शिक्षक की भूमिका : भावी पीढ़ी के निर्माता के रूप में शिक्षक का महत्त्व यह माँग करता है कि समाज के उत्तम तथा अतिप्रतिभावान सदस्यों को नागरिकों के भविष्य निर्माण का उत्तरदायित्व है। शिक्षक का व्यवसाय के प्रति अच्छी दृष्टि और अभिवृत्ति राष्ट्र को सुरक्षित बनाने में सहायता कर सकती है।

एक सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका : एक सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में शिक्षक को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से सहभागी होना चाहिए। एक शिक्षक को समाज की गतिविधियों को समझना चाहिए तथा सामाजिक परिवर्तन तथा समाज की आवश्यकता के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षित करना चाहिए। शिक्षक को सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए आगे आना चाहिए तथा समाज में शांति तथा सौहार्द बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

क्रियाकलाप 4

विद्यालय व्यवस्था की विभिन्न परिस्थितियों में एक शिक्षक की भूमिका कैसे परिवर्तित होती है? इक्कीसवीं सदी में एक शिक्षक की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों के विषय में अपने विचारों को लिखिए।

....

....

....

....

अपनी प्रगति की जाँच करें –4

नोट : (क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए।

(ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

9. एक सामाजिक इकाई के रूप में विद्यालय के कार्यों की व्याख्या कीजिए।

....

....

....

....

PDF Compressor Free Version

10. सामाजिक जीवन में लोकतंत्र को कायम रखने हेतु क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

....

....

....

....

11. विद्यालय के सामाजिक वातावरण की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

....

....

....

....

4.10 सारांश

एक उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा समाज के प्रतिरूप को परिवर्तन करने तथा सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा समाज के प्रकार्य के लिए कार्यशक्ति के निर्माण के अभिकर्त्ता की तरह कार्य करती है। व्यक्ति सर्वांगीण विकास तथा समाज के सभ्य सदस्य के रूप में स्वीकार्यता के लिए शिक्षा पर निर्भर होता है। इस प्रकार, एक उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा केन्द्रीय बिन्दु है जिसके चारों तरफ अन्य व्यवस्थाएँ भ्रमण करती हैं तथा यह अन्य उपव्यवस्थाओं से अंतर्संबंधित है।

शिक्षा बच्चे को समाज की सामाजिक संरचना के अंदर उसके समुचित भूमिका निष्पादन की अनुमति देती है। राष्ट्र की शैक्षिक व्यवस्था समाज की माँगों पर आधारित होनी चाहिए क्योंकि यदि कोई शैक्षिक व्यवस्था समाज की आवश्यकता को पूर्ण करने में असफल रहती है तो व्यवस्था स्वतः असफल हो जाती है।

4.11 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन

दाश, बी.एन. (2010). *ए न्यू एप्रोच टू टीचर एंड एजुकेशन इन दि इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी,* नीलकमल पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

इग्नू, (2000). *एजुकेशन इन दि इंडियन सोसाइटिकल कांटेस्ट,* ई.एस.–334: एजुकेशन एंड सोसाइटी, इग्नू (2000 में प्रकाशित, 2008 में पुनर्मुद्रित), नई दिल्ली : इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय।

ओटावे, ए.के.सी. (1980). *एजुकेशन एंड सोसाइटी: एन इंट्रोडक्शन टू दि सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन,* न्यू यार्क: दि ह्यूमनिटीज प्रेस।

रुहेला, एस. पी., (1992). सोशालॉजी ऑफ एजुकेशन: प्रोब्लम्स एंड प्रोसपेक्ट्स, दि एसोसिएट्स पब्लिशर्स, अम्बाला कैंट।

शर्मा, एस.एन. (1995). *फिलोसोफिकल एंड सोसियोलोजिकल फाउण्डेशन्स ऑफ एजुकेशन,* कनि   का पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स।

PDF Compressor Free Version

शर्मा, योगेन्द्र, वाई. (2001). *फाउण्डेशन्स इन सोसियोलोजिकल ऑफ़ एजुकेशन,* कनिष्का पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।

शुगरमेन, बेरी (1973). दि स्कूल एंड मोरल डेवलपमेंट, ग्रोम हिल्म, लंदन।

वेबसाइट :

www.justlanded.com.../India language-in-India से 20 अक्तूबर 2015 को लिया गया।

www.ask.com/science/types-social-change- से 14 अक्तूबर 2015 को लिया गया।

http://www.oiirj.org/ejournal/Jan-Feb-Mar2012IEEJ/38.pdf से 29 जनवरी 2016 को लिया गया।

4.12 प्रगति की जाँच हेतु उत्तर

1. परिवर्तनशील, सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक, संरचनात्मक, एक व्यापक व्यवस्था की उपव्यवस्था।
2. एक बृहद व्यवस्था का भाग समाज कहलाता है; इसकी अपनी विधि, नियंत्रक, विधान तथा मानक; लक्ष्य तथा उद्देश्य होते हैं।
3. निर्मिततावादी तथा रचनात्मक शक्तियाँ; संस्कृति तथा परंपराओं का मिलान तथा हस्तांतरण; सामाजिक अभिवृत्तियों का समावेशन; बालक का समाजीकरण तथा समाज का संपूर्ण विकास।
4. स्व अभ्यास
5. स्व अभ्यास
6. सामाजिक परिवर्तन का अर्थ रिवाजों, परंपरागत व्यवसायों, स्तर आदि में परिवर्तन है।
7. स्व अभ्यास
8. सामाजिक परिवर्तन नियोजित तथा अनियोजित, सतत तथा असतत, सार्वभौमिक, असमान होता है। यह शांतिपूर्ण, हिंसक तथा अभूतपूर्व हो सकता है।
9. स्व अभ्यास
10. स्व अभ्यास
11. स्व अभ्यास